

संपादक

अभिजीत कुमार, 9431006107

समाचार संपादक

अखिलेश कुमार, 9431089053

विशेष संपादक

मुकेश कुमार सिंह

सहायक संपादक

कोमल सुलतानिया

राजनीतिक संपादक

प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337

संपादकीय सलाहकार

राजीव कुमार सिंह 9431210181

कॉन्सेप्ट एडिटर

अनूप कुमार शर्मा, 7004821433

राजनीतिक व्यूरो

अमरेन्द्र शर्मा 9899360011

प्रभाकर कुमार राय

प्रबंधक

अविनाश कुमार 8287266244

विधि सलाहकार

वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट

बिहार व्यूरो

अनूप नारायण सिंह 9546224277

क्राइम व्यूरो

एसएन श्याम

मुख्य संचादकाता

सोनू सिंहा, 9431006189

आशीष कुमार

जिला व्यूरो

बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316

अमित सिंह, 9430595995

भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार,

(व्यूरो चीफ), 9334114515

समस्तीपुर : राजेश कुमार

चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993

मुंगेर : सिद्धांत

कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संचादकाता 9973077043

सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संचादकाता)

बिहार-झारखण्ड : अभिनव कुमार 7903292877

दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841

स्वाति, रंजीत कुमार

ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318

प्रधान कार्यालय

गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली

मंदिर रोड नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)

मो.- 9431006107, 9939815347

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार

गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली

मंदिर रोड नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से

प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोटी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004, से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक



डॉ. संजय मयूर

राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी  
माजपा

जय जयराम सिंह

JJRS CONSTRUCTION  
PVT. LTD.

# चर्चित बिहार

वर्ष : 9, अंक : 9, मई 2022, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका



18

भारत में पानी-पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अधिनियम व कानून




बढ़लाव की शुरूआत

22



जाति-धर्म के नाम पर बढ़ता ...

36



त्लोबल वार्मिंग बनाम मानवाधिकार

28



## रूपये की कस्क

नि

स्पंदेह, कोरोना संकट से उभरती अर्थव्यवस्था में रुपये का डॉलर के मुकाबले लुढ़कना हमारी गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन खराब होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह गिरावट स्वाभाविक है। एशिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इसके बावजूद रुपये का डॉलर के मुकाबले अब तक की बड़ी गिरावट के साथ 77 पार पहुंचना बड़ी फिक्र की बात ही कही जायेगी। इसके चलते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई है। मुश्किल बात यह है कि भारत का आयात निर्यात के मुकाबले अधिक है। खासकर अस्सी फीसदी से अधिक कच्चा तेल हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है जिसके चलते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि होगी, जो कालांतर पहले से बढ़ी महंगाई को और बढ़ाएगी। जाहिर है रुपये के कमजोर होने का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। ऐसे वक्त में जब आरक्षीआई कह रहा है कि कोरोना काल से पहले स्तर की अर्थव्यवस्था पर लौटने में एक दशक से ज्यादा समय लग सकता है तो अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी चिंताएं और गहरी हो जाती हैं। महंगाई दर ऊँची है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है तो ऐसे में रुपये के मूल्य में गिरावट से समस्याओं में और इजाफा ही होगा। निस्संदेह कोरोना महामारी से बाधित वैश्विक आपूर्ति शृंखला में रूस-यूक्रेन युद्ध ने आग में घी का काम किया है। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहरी अनिश्चितता उभरती है दुनिया का संपन्न वर्ग डॉलर की ओर दौड़ता है, जिससे उसके मूल्य में वृद्धि होती है। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा व्याज दरों में वृद्धि से वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत हुआ है। ऐसे में संस्थागत निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं जिससे भारतीय बाजार में विनिवेश की प्रक्रिया तेज हुई है और रुपये के मूल्य में गिरावट हुई है। कमोबेश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला में बाधा व रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते मौद्रिक नीतियां सख्त हुई हैं, जो कालांतर मुद्रा अवमूल्यन का कारक बनती हैं। निस्संदेह, रुपये में गिरावट का क्रम स्थायी नहीं है, देर-सवेर उसमें सुधार की संभावना है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम इस संकट का मुकाबला मौद्रिक व अन्य नीतियों से कैसे करते हैं। इसमें विदेशी निवेशकों से भी सहारा मिल सकता है। लेकिन हमारी बड़ी चिंता यह है कि रुपये के मूल्य में गिरावट से हमारे तमाम आयात महगे हो जायेंगे। उसके लिये हमें अधिक भुगतान करना होगा। वहीं एक दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी निर्यात सस्ते हो जायेंगे। इससे हमारे निर्यात बढ़ सकते हैं। यदि सरकार निर्यातकों को बढ़ावा दे तो इससे निर्यात बढ़ने के साथ ही रोजगार के नये अवसर भी सुजित किये जा सकते हैं। साथ ही निर्यातकों को डॉलर के लिये अधिक रुपये मिलेंगे। लेकिन आम आदमी की चिंता यह है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट व्यय बढ़ जायेंगे, जो कालांतर पहले से बढ़ी महंगाई को और बढ़ा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से लोगों की क्रयशक्ति कम हो जायेगी। वहीं विदेशों में पढ़ रहे और पढ़ने जाने की तैयार कर रहे छात्रों की मुश्किलें भी बढ़ जायेंगी। उनकी पढ़ाई इससे और महगी हो जायेगी। वहीं फार्मा व आईटी कंपनियां फायदे में रहने वाली हैं, रुपये के कमजोर होने उनकी कमाई बढ़ जायेगी। जाहिरा तौर पर रुपये के गिरने का एक संदेश दुनिया में यह भी जायेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर है। वैसे कोरोना संकट में आय कम होने से लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट आई है। इसके चलते मांग में आई गिरावट से हमारा उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। दरअसल, सरकार को लोगों की मांग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खासकर असंगठित क्षेत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है जो हमारे रोजगार का बड़ा जरिया भी है। विकास दर को गति देने के लिये बाजार में मांग व आपूर्ति का संतुलन बनाना भी जरूरी है। यह उद्योगों को गति देने के लिये भी आवश्यक है। यह सरकार पर निर्भर है कि वह संकट को अवसर में कैसे बदलती है।



अभिजीत कुमार  
संपादक  
9431006107

[cbhindi.news@gmail.com](mailto:cbhindi.news@gmail.com)

# चिंता का सबब बनता गिरता हुआ रूपया



रुपये के मूल्यह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कम मूल्यवान हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.44 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। सख्त वैश्विक मौद्रिक नीति, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और जोखिम से बचने, और उच्च चालू खाता घटे से भारतीय रुपये के लिए गिरावट चिंता का विषय है।

भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के पीछे विभिन्न कारक देखे तो वैश्विक इक्विटी बाजारों में एक विकाली जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व (केंद्रीय बैंक) द्वारा व्याज दरों में वृद्धि, यूरोप में युद्ध और चीन में कोविड -19 के कारण विकास की चिंताओं से शुरू हुई थी। अमेरिकी

फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ, वैश्विक बाजारों में विकाली हुई है क्योंकि निवेशक डॉलर की ओर बढ़ गए हैं। डॉलर का बहिर्वाह उच्च कच्चे तेल की कीमतों का परिणाम है और इक्विटी बाजारों में सुधार भी डॉलर के प्रतिकूल प्रवाह का कारण बन रहा है।

भारत में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कोटक के आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लगभग 5.8 बिलियन डॉलर की निकासी की है, जिससे मुद्रा पर दबाव बढ़ गया है। बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से भी

मूल्यह्रास हुआ है। बढ़ते व्यापार घाटे के कारण भी दबाव है ज्ञ अप्रैल में घाटा मार्च में 18.7 अरब डॉलर से बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया। दरअसल, विशेषकों के मुताबिक, चालू खाता घाटा 2013 के संकट के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर रहने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति की आशंका, व्याज दरों में बढ़ोतरी और कमजोर घरेलू इक्विटी से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने के कारण सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.43 के ताजा निचले स्तर पर आ गया। वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने, डॉलर की मजबूती ने

जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों की मांग को प्रभावित किया, जिससे स्थानीय इकाई कम हुई। ग्रीनबैंक के मुकाबले रुपये 0.7% पिछकर 77.43 पर आ गया, जो इस साल मार्च में 76.98 के पिछले सर्वकालिक निचले स्तर को छू गया था। विशेषकों ने कहा कि विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय संपत्तियों की लगातार बिक्री को लेकर चिंता का भी मुद्रा पर असर पड़ा। फरवरी में रूप से द्वारा यूकेन पर आक्रमण करने के बाद से रुपये पर दृष्टिकोण खराब हो गया है क्योंकि संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।

रुपये में गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा; चालू खाता घाटा बढ़ने, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और रुपये को कमजोर करने के लिए बाध्य है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अन्य महत्वपूर्ण आयातों के साथ, अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से लागत-मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रही है। कॉस्ट-पुश इन्प्लेशन जिसे मजदूरी-पुश इन्प्लेशन के रूप में भी जाना जाता है; तब होता है जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतों में वृद्धि (मुद्रास्फीति) होती है। कंपनियों को उच्च लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर पूरी तरह से डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो बदले में, सरकारी लाभांश आय को प्रभावित करती है, बजटीय राजकोषीय घाटे के बारे में सवाल उठाती है।

मजबूत अमेरिकी मुद्रा के साथ-साथ निराशावादी वैश्विक बाजार की भावना रुपये के मूल्यह्रास का कारण बन रही है। बाजार की धारणा भी आहत हुई है क्योंकि निवेशक बढ़ती मुद्रास्फीति, दुनिया के प्रमुख देशों में मौद्रिक नीति के सम्बन्ध होने, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से चिंतित हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक व्यापार बिल के रूप में देश अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है, ने निवेशकों को हिला दिया है। हबाजार सहभागियों को डर है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारत के व्यापार और चालू खाते को नुकसान होगा।

रुपये में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए दोधारी तलवार है। कमजोर रुपये को सैद्धांतिक रूप से भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में, रुपये के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में तब्दील नहीं हो सकती है। मुद्रास्फीति आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा करता है, और केंद्रीय बैंक के लिए व्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है। भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकताओं को दो-तिहाई से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत खाद्य तेलों के शीर्ष आयातकों में से एक है। एक कमजोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और बढ़ाएगी और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी।

मूल्यह्रास का मुकाबला करने के लिए गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने से डालर की मांग कम होगी और निर्यात को बढ़ावा देने से देश में डॉलर के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी, इस प्रकार रुपये के मूल्यह्रास को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मसला बॉन्ड सीधे भारतीय मुद्रा से जुड़ा होता है। यदि भारतीय उधारकर्ता अधिक रुपये के मसला बांड जारी करते हैं, तो इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी।




या बाजार में कुछ मुद्राओं के मुकाबले रुपये के स्टॉक में वृद्धि होगी और इससे रुपये का समर्थन करने में मदद मिलेगी। बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) विदेशी मुद्रा में एक प्रकार का ऋण है, जो अनिवासी उधारदाताओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, ईसीबी की शर्तों को आसान बनाने से विदेशी मुद्राओं में अधिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे रुपये की सराहना होगी। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की स्लाइड को नरम करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है ज्यह इसके विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से पता चलता है कि यह गंभीर मामला है।

यह मुद्रा की अस्थिरता को कम करता है।

यह देखते हुए कि रुपये का मूल्य अधिक है, केंद्रीय बैंक को मुद्रा को फिसलने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे वह अपने स्तर का पता लगा सके, केवल अतिरिक्त अस्थिरता को कम करने के लिए हस्तक्षेप कर सके। मुद्रा मूल्यह्रास एक स्वचालित स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करेगा। यह आयात पर अंकुश लगाकर चालू खाते के दबाव को कम करने में मदद करेगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा समय में देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण चालक के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

# मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर बढ़ाई



अभी हाल ही में दिनांक 04 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 40 अंकों की वृद्धि कर इसे 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 4140 प्रतिशत कर दिया है। रेपो दर में उक्त वृद्धि 45 महीनों पश्चात अर्थात् अगस्त 2018 के बाद की गई है। इसके तुरंत अगले दिन अर्थात् 5 मई 2022 को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दर में 50 अंकों की वृद्धि (22 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि) की घोषणा करते हुए इसे 1 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। अमेरिका में पिछले दो माह के दौरान यह दूसरी बार ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा की गई है। जबकि कई यूरोपीयन एवं अन्य विकसित एवं विकासशील देश पहिले ही ब्याज दरों में वृद्धि कर चुके हैं। आखिर क्यों पूरे विश्व में ब्याज दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं।

कोरोना महामारी के बाद से पूरे विश्व में मुद्रा स्फीति (महंगाई) बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। अमेरिका एवं कई विकसित देशों में तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति 8150 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है जो कि पिछले 40 वर्षों की अवधि में सबसे अधिक महंगाई की दर है। भारत में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति 7 प्रतिशत के आस पास पहुंच गई है एवं थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर 13 प्रतिशत के ऊपर निकल गई है। अमेरिका की ढाह-

नामक अनुसंधान केंद्र ने विश्व के 46 देशों में मुद्रा स्फीति की दर पर एक सर्वेक्षण किया है एवं इसमें पाया है कि 39 देशों में वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में मुद्रा स्फीति की दर, कोरोना महामारी के पूर्व, वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में मुद्रा स्फीति की दर की तुलना में बहुत अधिक है।

सामान्य बोलचाल की भाषा में, मुद्रा स्फीति से आश्य वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि से है। इसे कई तरह से अंका जाता है जैसे थोक मूल्य सूचकांक आधारित; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित; खाद्य पदार्थ आधारित; ग्रामीण श्रमिक की मजदूरी आधारित; इंधन की कीमत आधारित; आदि। मुद्रा स्फीति का आश्य मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होने से भी है, जिससे वस्तुओं के दामों में वृद्धि महसूस की जाती है।

मुद्रा स्फीति (महंगाई) एक ऐसा 'राक्षस' है जो विशेष रूप से समाज के गरीब एवं निचले तबके तथा मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। क्योंकि, इस वर्ग की आय, जो कि एक निश्चित सीमा में ही रहती है, का एक बहुत बड़ा भाग उनके खान-पान पर ही खर्च हो जाता है और यदि मुद्रा स्फीति की बढ़ती दर तेज बनी रहे तो इस वर्ग के खान-पान पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। अतः, मुद्रा स्फीति की दर को काबू में रखना देश की सरकार का प्रमुख कर्तव्य है।

मुद्रा स्फीति की तेज बढ़ती दर, दीर्घकाल में देश के आर्थिक विकास की दर को भी धीमा कर देती है। इसी कारण से कई देशों में मौद्रिक नीति का मुख्य ध्येय ही मुद्रा स्फीति लक्ष्य पर आधारित कर दिया गया है।

वर्ष 2014 में केंद्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद, देश की जनता को उच्च मुद्रा स्फीति की दर से निजात दिलाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2015 को एक मौद्रिक नीति ढांचा करार पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया था कि देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर को जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत के नीचे तथा इसके बाद 4 प्रतिशत के नीचे (+/- 2 प्रतिशत के उत्तर चड़ाव के साथ) रखा जाएगा। उक्त समझौते के पूर्व, देश में मुद्रा स्फीति की वार्षिक औसत दर लगभग 10 प्रतिशत बनी हुई थी। उक्त समझौते के लागू होने के बाद से देश में, मुद्रा स्फीति की वार्षिक औसत दर लगभग 4/5 प्रतिशत के आसपास आ गई थी। अब तो मुद्रा स्फीति लक्ष्य की नीति को विश्व के 30 से अधिक देश लागू कर चुके हैं। क तरार पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर के 6 प्रतिशत (टॉलरस्स रेट) के पास आते ही रेपो रेट (ब्याज दर) में वृद्धि के बारे में सोचना शुरू कर देता है क्योंकि इससे आम नागरिकों के हाथों में मुद्रा कम होने लगती है एवं उत्पादों की मांग कम होने से महंगाई पर अंकुश लगने लगता है। इसके ठीक विपरीत यदि देश में महंगाई दर नियंत्रण में बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करने लगता है ताकि आम नागरिकों के हाथों में मुद्रा की उपलब्धता बढ़े एवं देश के आर्थिक विकास को बल मिल सके। इस प्रकार देश में मुद्रा स्फीति की दर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव कर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

हाल ही के समय में वैश्विक स्तर पर मुद्रा स्फीति की दर के अचानक इतनी तेजी से बढ़ने के कारणों में कुछ विशेष कारण उत्तरदायी पाए गए हैं। मुद्रा स्फीति की दर में यह अचानक आई तेजी किसी सामान्य आर्थिक चक्र के बीच नहीं पाई गई है बल्कि यह असामान्य परिस्थितियों के बीच पाई गई है। अर्थात्, कोरोना महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर एक तो सलाई चैन में विभिन्न प्रकार के विज्ञ पैदा हो गए हैं। दूसरे, कोरोना महामारी के चलते श्रमिकों की उपलब्धता में कमी हुई है। अमेरिका आदि देशों में तो श्रमिक उपलब्ध हो नहीं हो पा रहे हैं, इससे विनिर्माण के क्षेत्र की इकाईयों को पूरी क्षमता के साथ चलाने में समस्याएं आ रही हैं। तीसरे, विभिन्न देशों के बीच उत्पादों के आयात नियात में बहुत समस्याएं आ रही हैं। पानी के गस्ते जहाजों के माध्यम से भेजी जा रही वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में पहुंचने में (एक बंदरगाह से उत्पादों के पानी के जहाजों पर चढ़ाने से लेकर दूसरे बंदरगाह पर पाने के जहाजों से सामान उतारने के समय को शामिल करते हुए) पहले जहाजे के बाद 10/12 दिन लगते थे अब इसके लिए 20/25 दिन तक का समय लगने लगा है। कई बार तो पानी का जहाज बंदरगाह के बाहर 7 से 10 दिनों तक खड़ा रहता है क्योंकि श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण सामान उतारने की दृष्टि से उस जहाज का नम्बर ही नहीं आता। चौथे, कोरोना महामारी का प्रभाव कम होते ही विभिन्न उत्पादों की



रुपए की तरलता कम हो जाएगी।

भारत के बहुत पुराने समय के इतिहास में महंगाई नामक शब्द का वर्णन ही नहीं मिलता है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता था एवं वस्तुओं की आपूर्ति सदैव ही सुनिश्चित रखी जाती थी अतः मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। बल्कि, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि चूंकि वस्तुओं की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहती थी अतः वस्तुओं के दाम कम होते रहते थे। ब्याज दरों को बढ़ाकर कुछ समय के लिए तो मांग में कमी की जा सकती है। साथ ही, जब बाजार पूर्णतः प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य कर रहा हो तभी मौद्रिक नीति के माध्यम ब्याज दरों में परिवर्तन कर वस्तुओं की मांग को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। परंतु, लम्बे समय के लिए यदि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रखना हो तो वस्तुओं की उपलब्धता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः वैश्विक स्तर पर भारत की पुरातन आर्थिक नीतियों के माध्यम से महंगाई पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया जा सकता है।

# भारत बन रहा है दुनिया का फामेसी हब

पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत के ड्रग्स एवं फार्मा उत्पाद के नियात में 103 प्रतिशत की आर्कॉक वृद्धि दर अर्जित की गई है। ड्रग्स एवं फार्मा उत्पाद के नियात वर्ष 2013-14 में 90,414 करोड़ रुपए के रहे थे जो 2021-22 में बढ़कर 1183 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। भारत अब औषधियों के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और इस क्षेत्र में विश्व का लीडर बनने की राह पर चल पड़ा है। आकार के मामले में भारतीय दवा उद्योग विश्व स्तर पर आज तीसरे स्थान पर है। भारत में वर्ष 2019-2020 में औषधियों का कुल वार्षिक कारोबार 289,998 करोड़ रुपये का रहा था। विश्व में उपयोग होने वाली जेनेरिक दवाइयों का 20 प्रतिशत भाग भारत नियात करता है। भारत में औषधि निर्माण के लिए 10,500 से अधिक औद्योगिक केंद्रों का मजबूत नेटवर्क है तथा 3,000 से अधिक फार्मा कम्पनियां भारत में औषधियों का निर्माण कर रही हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भी भारत ही है। टीकों की कुल वैशिक मांग के 62 प्रतिशत भाग की आपूर्ति भारत ही करता है। जेनेरिक दवाओं और कम लागत वाले टीकों के लिए आज भारत का नाम पूरे विश्व में बड़े विश्वास एवं आदर के साथ लिया जा रहा है। भारतीय औषधि उद्योग की आज पूरे विश्व में धमक दिखाई दे रही है एवं भारत दुनिया का फामेसी हब बनने की अपने कदम बड़ा चुका है।

पिछले 9 वर्षों के दौरान भारतीय औषधीय क्षेत्र में 9143 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वृद्धि (सीएजीआर) दर हासिल की गई है। भारत आज पूरे विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 जेनेरिक दवाओं का निर्माण करता है। भारतीय औषधीय उद्योग ने कोविड महामारी का मुकाबला करने में भी वैशिक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोविड महामारी के काल में भारत ने 120 देशों को हाईड्रोक्सीक्लोरोवीन नामक दवाई उपलब्ध कराई थी तथा 20 से अधिक देशों को पैरासिटामोल भी पर्याप्त मात्रा में नियात की थी। 100 से अधिक देशों को भारतीय वैक्सीन के 6150 करोड़ डोज भी उपलब्ध कराए गए हैं। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत आज विश्व का पावर हाउस बन गया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बताया था कि कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने जो टीका लगाया था वह भारतीय टीका ही था। भारत के लिए यह गौरव करने वाली बात है कि अन्य विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनके अपने यहां



उत्पादित टीकों के स्थान पर भारत में निर्मित टीकों पर अधिक विश्वास कर रहे हैं। इस प्रकार भारत में निर्मित हो रही औषधियों पर पूरे विश्व का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय फार्मा उद्योग का आकार वर्ष 2024 तक 6000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। वर्ष 2014 से आज तक भारतीय फार्मा उद्योग में 1200 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी किया गया है।

भारत जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के मामले में विश्व में काफी आगे है। दरअसल जेनेरिक दवाओं की ब्रांडेड संरचना ब्रांडेड दवाओं के अनुसार ही होती है। लेकिन वो रासायनिक नामों से ही बेची जाती है ताकि जनता को कोई उलझन न रहे। क्रोसिन और कालपोल, ब्रांडेड दवाओं के वर्ग में आती है जबकि जेनेरिक दवाओं में इनका नाम पैरासिटामोल है। जब कोई कम्पनी कई सालों की रिसर्च के बाद किसी दवा की खोज करती है तो उस कम्पनी को उस दवा के लिये पेटेंट मिलता है जिसकी अवधि 10 से 20 वर्ष की रहती है। पेटेंट अवधि के दौरान केवल वही कम्पनी इस दवा का निर्माण कर बेच सकती है, जिसने इस दवा की

खोज की है। जब दवा के पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तब उस दवा को जेनेरिक दवा कहा जाता है। यानि, पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद कई अन्य कम्पनियां उस दवा का निर्माण कर सकती हैं। परन्तु इस दवा का नाम और कीमत अलग-अलग रहता है। ऐसी स्थिति में दवा जेनेरिक दवा मानी जाती है। भारतीय बाजार में केवल 9 प्रतिशत दवाएं ही पेटेंटेड श्रेणी की हैं और 70 प्रतिशत से अधिक दवाएं जेनेरिक श्रेणी की हैं।

जेनेरिक दवाएं सबसे पहिले भारतीय कम्पनियां ही बनाती हैं एवं अमेरिका एवं यूरोपीयन बाजार को भी सबसे सस्ती जेनेरिक दवाएं भारतीय कम्पनियां ही उपलब्ध कराती हैं। चीन के मुकाबले भारतीय जेनेरिक दवाएं ज्यादा गुणवत्ता वाली मानी जाती हैं और कीमत में भी सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं, इसीलिये केन्द्र सरकार ने जेनेरिक दवाओं को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु भारत में जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों पर 600 से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां सस्ते दामों पर मिलती हैं एवं 150 से ज्यादा सर्जीकल सामान भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं।

# मजहबी देशों में अमन चैन हेतु स्वधर्म वापसी ही एकमात्र विकल्प है



अगर बृहदतर भारत का इतिहास देखा जाए तो आरंभ से ही सत्ताधारियों एवं उनकी प्रजा ने अपने जीवन काल में कईबार अपने धर्म को बदला है। जब-जब राजसत्ता अत्यधिक क्रूर अताताई और अत्याचारी हुआ है तब-तब संबद्ध शासकों ने आत्म मूल्यांकन करके तत्कालीन सहिष्णु और अहिंसक धर्म को अपनाया है। प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास महाभारत कालीन बृहद्रथ पुत्र जरासंध के वंशजों को सत्ता से बेदखल करने के पश्चात एक क्षत्रिय सैनिक भट्टी द्वारा स्थापित हर्यक साम्राज्य से आरंभ होता है। जिसे पितृहंता साम्राज्य कहा गया है। इस वंश के पहले प्रतापी शासक भट्टी पुत्र बिंदुसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या करके मगध की सत्ता हासिल की थी। जिसके बाद उन्होंने पश्चात्ताप करके अपने पिता के अहिंसक बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने पिता की धार्मिक सहिष्णुता और विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपना राज्य विस्तार किया था। भारत में देशज धर्म की कभी कभी नहीं रही है। हर काल में राजा एवं प्रजा को एक साथ कई स्वदेशी धर्मों को चुनौती का विकल्प रहा है। हर्यक शासकों के काल में भी सनातन धर्म की कम से कम तीन शाखाएं एकसाथ प्रचलित थी।

एक वैदिक कर्मकांडी पशुबलि समर्थक ब्राह्मण धर्म, दूसरा प्रथम मनु स्वायंभु काल से चल रहे मनुर्भरतवंशी चौबीस क्षत्रिय तीर्थकरों के अहिंसक नागवंशी क्षत्रिय राजकुमार पारश्वनाथ व आर्य वात्य क्षत्रिय राजकुमार महावीर जिन का जैन धर्म और तीसरा आर्य वात्य क्षत्रिय राजकुमार गौतम बुद्ध का वर्ण-जाति विहीन समता और अहिंसावादी बौद्ध धर्म। हर्यकों के पश्चात शिशुनागवंश और नंदवंशी वृषल क्षत्रिय बौद्ध शासकों के बाद ब्राह्मण चाणक्य समर्थित मौर्य कृषक राजवंश ने ब्राह्मण धर्मी चाणक्य नीति और ब्राह्मण धर्म को अपनाया। धर्मसहिष्णु उदार चंद्रगुप्त मौर्य व उनके महान पुत्र बिंदुसार से उनके पुत्र सम्राट अशोक तक आते आते ब्राह्मण राजधर्म काफी क्रूर और हिंसक हो गया। खुद ब्राह्मण धर्मी अशोक ने निन्यानबे भाई की हत्या करके मगध की सत्ता हथियाई थी। उनका खूनी दौर का अंत कलिंग विजय के दौरान राजकुमारी पद्मावती से सामना होने पर हृदय परिवर्तन तथा अहिंसावादी बौद्ध धर्म स्वीकारने से हुआ। अशोक विश्व के चहेते महान सम्राट तभी बन पाए जब उन्होंने हिंसावादी ब्राह्मण धर्म का परित्याग किया। अशोक कालीन भारत का बौद्ध राजधर्म मौर्य राजवंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य तक

चला।

जिसे उनके अनार्य ब्राह्मण सेनापति पुष्टिमित्र शुंग ने हत्या करके पुनः यज्ञ बलिप्रथा कर्मकांडी ब्राह्मण धर्म को चलाया। वस्तुतः पुष्टिमित्र शुंग ईशानी आक्रांत अहुर माजदा पुत्र भृगु के प्रपौत्र मातृहंता क्षत्रिय कुलधारी भार्गव ब्राह्मण परशुराम परंपरा के भृगु रचित मनुस्मृतिवादी घोर क्रूरकर्म ब्राह्मण थे। जिन्होंने असंख्य अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके हिंसावादी ब्राह्मण धर्म का पुनः प्रचार किया। उन्होंने महाभारत काल के बाद बौद्ध अशोक काल तक बंद अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया। जिसमें यज्ञ पशु घोड़े की बलि दी जाती थी। यह धर्म परवर्ती ब्राह्मण कण्ठ आंश्र सातवाहन तक जारी रहा। यह भारतीय इतिहास का अंधकार युग था। इस अंधकार युग की समासि वैष्णव धर्मविलंबी श्रीगुणवंशी चंद्रगुप्त के स्वर्णयुग से हुआ। गुप्त शासकों का वैष्णव धर्म हिंसावादी ब्राह्मण धर्म से हटकर अहिंसक बौद्ध धर्म के निकट था। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने ही तक्षशिला के पश्चात विश्व के सबसे बड़े बौद्ध विद्यामहाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो अहिंसावादी बौद्ध वैष्णव शासक हर्षवर्धन के राज्याश्रय में काफी फूली फूली। गुप्त एवं हर्षवर्धन के

पश्चात बौद्ध धर्मावलंबी पाल शासन काल में भारत में शाति काल रहा। गोपाल एवं उनके पुत्र धर्मपाल से उदंतपुरी एवं विक्रमशिला जैसे दो बड़े विश्वविद्यालय एवं शिक्षा केन्द्रों का उदय एवं विस्तार हुआ। जिसका अंत ग्याह त्रै बेरानबे में महान वैष्णव हिन्दू शासक पृथ्वीराज चौहान का विदेशी आक्रमणकारी मुहम्मद गँगा के हाथों पराजय से हुआ था। गँगा के गुलाम बखियार खिलजी के द्वारा तीनों

विश्वविद्यालयों के दहन के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत से विदेशी धर्म इस्लाम के अनुयायियों क्रमशः गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी एवं आगरा से मुगल शासकों का निरंकुश अत्याचारी शासन का अंतहीन सिलसिला चला जो अंग्रेजों के आने तक जारी रहा। इस दरम्यान हिन्दुओं का व्यापक कल्पेआम और धर्मांतरण किया जाता रहा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को इस्लाम नहीं स्वीकारने पर गर्म तवे में तपकर हत्या की जो जहांगीर मातृ पक्ष से हिन्दू राजकुमारी जोधाबाई का पुत्र था। गुरु अर्जुन देव के सोढ़ी क्षत्रिय वंश में जन्मे गुरु तेगबहादुर से उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों पुत्रों में से दो नाबालिंग पुत्रों को दीवार में चुनवा कर एवं दो पुत्रों को धोखे से औरंगजेब ने इस्लाम नहीं कबूलने के कारण मौत का घात उतार दिया। मुगलों के वक्त कश्मीर से मगध बिहार बंगाल उड़ीसा में बहुत अधिक धर्मांतरण हुआ। आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान के सबके सब मुस्लिम धर्मावलंबी मध्यकालीन भारत के धर्मांतरित हिन्दू ही हैं। जो अज्ञानता और भ्रम के कारण खुद को अरबी तुर्की मूल के इस्लामी आक्रांताओं के वंशज समझने लगे हैं। इन देशों के सारे मुस्लिम धर्मावलंबियों का रक्त वंश और डी एन ए वर्तमान भारतीय हिन्दुओं का ही है। ये कद काठी, हाव भाव स्वभाव एवं नस्ल से पूर्णतः हिन्दू ही लगते हैं। ये हिन्दू मूल के मुस्लिम कहीं से भी अरबी कबीलाई नस्ल के नहीं हैं तथा इस्लाम की जन्म भूमि अरब के इस्लामी समाज द्वारा इन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता है। इन देशों की बदहाली इनके विदेशी मजहब को अपनाने की वजह से ही है। इन देशों की अपनी पृथक् भूमि भारत से दुश्मनी इसी विदेशी मजहब व गलतफहमी की वजह से है। आए दिन बृहदतर भारतीय देशों के धर्मांतरित मुस्लिमों की अरब देश के शहरों व मक्का-मदीना में भेदभाव और बेडजती होते रहती हैं। इन देशों के मुस्लिमों की अरब देशों में मान न मान मैं तेरा मेहमान की स्थिति है। इन देशों के हुक्मरामों और प्रजा को अपनी तरकी के लिए जितना जल्दी हो सके अपने मूल धर्म सनातन हिन्दू बौद्ध जैन सिख आर्य समाज में वापसी कर लेना चाहिए तथा अपने आर्थिक सामाजिक बौद्धिक अध्यात्मिक दशा में लगातार सुधार करना चाहिए। सच तो यह भी है कि इन पड़ोसी देशों के सच्चे हितैषी और शुभचिंतक भारत के अलावा कोई और देश कभी नहीं हो सकता। हाल के दिनों में अपने पूर्वजों के बामियानी बौद्ध मूर्ति को मोटार से ढाहने वाले तालिबानी शासकों और इस्लामी प्रजा को मानवीय आधार पर खाद्य पदार्थ गेहूं दबा आदि पहुंचाने वाली तथाकथित कट्टर हिन्दूवादी मोदी सरकार ही है। आज की तालिबानी अफगान सरकार अपने हममजहबी पाकिस्तान से अधिक भारत को ही अपना हमदर्द समझती है। इतिहास गवाह है कि धर्म मजहब मानव जाति की बेहतरी के लिए स्थान विशेष के स्थानीय

महामानवों द्वारा ईजाद किया गया है। जो स्थानीय भौगोलिक बसोवास रहन सहन संस्कृति पर आधारित होता है। सदा से विश्व भर में अपनी बेहतरी के लिए लगातार लोग अपना मत मजहब धर्म बदलते रहते हैं। सच कहा जाए तो हम जाने अनजाने प्रत्येक दिन अपना मत मजहब विचार धर्म संस्कार बदलते रहते हैं। आज कोई नहीं कह सकता कि वर्तमान हिन्दू धर्म अतीत का वर्णवादी और जातिवादी कट्टर ब्राह्मण धर्म है। आज ब्राह्मणों का सोच बदल गया है। हिन्दू धर्म में पंडा पुरोहितों का महत्व घट गया है। आज ब्राह्मण जाति की अधिकांश आवादी मंदिरों की पुरोहिताई को छोड़कर अन्य सेवा कर्म में लग गए। ईसाई व इस्लाम धर्म के पोप पादरी और मुल्ला मौलियों की तरह हिन्दू पंडित पुरोहित किसी तरह का आदेश फतवा जारी नहीं कर सकते हैं। हिन्दू धर्म पंडा पुरोहित वैदिक कर्मकाण्ड बलिप्रथा से लगभग आजाद हो चुका है। यहां तक कि हिन्दू अपने मठ मंदिर गुरुद्वारे में बिना ब्राह्मण पुरोहित के ही पूजा पाठ करने लगे हैं। हिन्दू धर्म में ब्राह्मण पुरोहितों का थोड़ा सा वर्चस्व बचा है। वो मनमानी दक्षिणा का हठ भी नहीं कर सकते हैं। हिन्दू मंदिरों में पूजा स्वतः बिना ब्राह्मण पुरोहित का होने लगा है। सच बात तो यह है कि आज का ब्राह्मण वेद पुराण का

**विश्वविद्यालयों के दहन के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत से विदेशी धर्म इस्लाम के अनुयायियों क्रमशः गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी एवं आगरा से मुगल शासकों का निरंकुश अत्याचारी शासन का अंतहीन सिलसिला चला जो अंग्रेजों के आने तक जारी रहा। इस दरम्यान हिन्दुओं का व्यापक कल्पेआम और धर्मांतरण किया जाता रहा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को इस्लाम नहीं स्वीकारने पर गर्म तवे में तपकर हत्या की जो जहांगीर मातृ पक्ष से हिन्दू राजकुमारी जोधाबाई का पुत्र था। गुरु अर्जुन देव के सोढ़ी क्षत्रिय वंश में जन्मे गुरु तेगबहादुर से उनके चारों पुत्रों में से दो नाबालिंग पुत्रों को दीवार में चुनवा कर एवं दो पुत्रों को धोखे से औरंगजेब ने इस्लाम नहीं कबूलने के कारण मौत का घात उतार दिया। मुगलों के वक्त कश्मीर से मगध बिहार बंगाल उड़ीसा में बहुत अधिक धर्मांतरण हुआ। आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान के सबके सब मुस्लिम धर्मावलंबी मध्यकालीन भारत के धर्मांतरित हिन्दू ही हैं। जो अज्ञानता और भ्रम के कारण खुद को अरबी तुर्की मूल के इस्लामी आक्रांताओं के वंशज समझने लगे हैं। इन देशों के सारे मुस्लिम धर्मावलंबियों का रक्त वंश और डी एन ए वर्तमान भारतीय हिन्दुओं का ही है। ये कद काठी, हाव भाव स्वभाव एवं नस्ल से पूर्णतः हिन्दू ही लगते हैं। ये हिन्दू मूल के मुस्लिम कहीं से भी अरबी कबीलाई नस्ल के नहीं हैं तथा इस्लाम की जन्म भूमि अरब के इस्लामी समाज द्वारा इन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता है। इन देशों की बदहाली इनके विदेशी मजहब को अपनाने की वजह से ही है। इन देशों की अपनी पृथक् भूमि भारत से दुश्मनी इसी विदेशी मजहब व गलतफहमी की वजह से है। आए दिन बृहदतर भारतीय देशों के धर्मांतरित मुस्लिमों की अरब देश के शहरों व मक्का-मदीना में भेदभाव और बेडजती होते रहती हैं। इन देशों के मुस्लिमों की अरब देशों में मान न मान मैं तेरा मेहमान की स्थिति है। इन देशों के हुक्मरामों और प्रजा को अपनी तरकी के लिए जितना जल्दी हो सके अपने मूल धर्म सनातन हिन्दू बौद्ध जैन सिख आर्य समाज में वापसी कर लेना चाहिए तथा अपने आर्थिक सामाजिक बौद्धिक अध्यात्मिक दशा में लगातार सुधार करना चाहिए। सच तो यह भी है कि इन पड़ोसी देशों के सच्चे हितैषी और शुभचिंतक भारत के अलावा कोई और देश कभी नहीं हो सकता। हाल के दिनों में अपने पूर्वजों के बामियानी बौद्ध मूर्ति को मोटार से ढाहने वाले तालिबानी शासकों और इस्लामी प्रजा को मानवीय आधार पर खाद्य पदार्थ गेहूं दबा आदि पहुंचाने वाली तथाकथित कट्टर हिन्दूवादी मोदी सरकार ही है। आज की तालिबानी अफगान सरकार अपने हममजहबी पाकिस्तान से अधिक भारत को ही अपना हमदर्द समझती है। इतिहास गवाह है कि धर्म मजहब मानव जाति की बेहतरी के लिए स्थान विशेष के स्थानीय**

अध्ययन भी नहीं करते। वे सिर्फ नाम के द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी त्रिपाठी उपाध्याय ज्ञा मिश्र तिवारी बने हुए हैं। भारत में जाति का वर्चस्व और जातिवाद का पोषण लगभग समाप्त हो गया। जो भी ऐसा करते वे खुद उपेक्षित होने लगे हैं। आज हिन्दुओं में अंतरजातीय विवाह भी परस्पर समझौता से होने लगा है। ऐसे विवाह में शंकराचार्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वर्तमान हिन्दू धर्म में भेदभाव छुआछूत तेजी से घटता जा रहा है। रहन सहन वस्त्र आध्यात्मण पहनावे में किसी तरह का प्रतिबंध या ड्रेस कोड जोर जबरदस्ती नहीं है। आप पगड़ी धोती साड़ी पहने ये नहीं पहने कोई मायने नहीं रखता। विवाह तक में धोती नहीं पहनने की छूट हो गई है। हिन्दू नायियों को समानता का वास्तविक अधिकार प्राप्त है। बेटी बच्चाओं बेटी पढ़ाओं हिन्दुओं का लक्ष्य हो गया है। नजदीकी रिश्तेरों में वैवाहिक संबंध वर्जित और धार्मिक वैज्ञानिक कारण से दोषपूर्ण घण्टित करार दिए जाने के कारण हिन्दू धर्म में स्त्री जाति की यौन सुचिता और पवित्रता बनी रहती है। साथ ही हिन्दू धर्म में एकल विवाह नियम का पूर्णतः पालन होने से दापत्य संबंध में विश्वसनीयता बढ़ी है तथा जनसंख्या बढ़िया वृद्धि पर स्वतः रोक लग गई है। इस तरह वर्तमान हिन्दू धर्म भेदभाव की शून्यता की ओर अग्रसर है। साथ ही हिन्दू तेजी से अंथविश्वास रहित कुप्रथा को त्याग कर पूर्णतः उदार सहिष्णु बनता जा रहा है। हिन्दुओं में मासं भक्षण की प्रवृत्ति बहुत तेजी से घट रही है। राजस्थान गुजरात जैसे राज्यों के हिन्दू आरंभ से ही पूर्णतया शाकाहारी एवं पशुबुति विरोधी हैं। हिन्दू धर्म को ऐसे वर्तमान प्रगतिशील सुधारवादी स्थिति प्रदान करने के लिए भगवान राम का मयार्दावादी व्यक्तिलव, कृष्ण का उपनिषदीय गीता ज्ञान, बौद्ध महावीर का अहिंसा दर्शन एवं दस सिख सदुर्वासों सहित दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह का समतावाद तथा दयानंद, विवेकानंद, रामानंद, प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य, ज्योति बा फूले, कबीर, रहीम, रसखान रैदास अबेडकर आदि तथा आलवार लिंगायत संत भक्त महापुरुषों के मानवतावादी विचारों का सर्वाधिक योगदान है। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भी हिन्दू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जहां हिंसा और इस्लाम धर्म में तर्क को ईश निंदा की कोटि में माना गया है। जबकि हिन्दू धर्म तारिक जिज्ञासु और ज्ञान पिपासुओं का धर्म है। बालक नचिकेता अपने पिता की खोखली दानशीलता पर तर्क कर सकता है। गर्भस्थ शिशु अष्टवक्र अपने पिता के अशुद्ध वेद मंत्र उच्चारण के लिए गर्भ से ही टोका टोकी कर सकता है और तो और हिन्दू अपने भगवान के अच्छे बुरे कर्म की आलोचना समालोचना करते हैं। हिन्दू धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि प्राचीन ऋषियों मुनियों ने अपने नीच कुल अधम जाति में जन्म वृतांत को पूरी ईमानदारी से शास्त्रों में लेखबद्ध कर दिया है। चाहे ब्रह्मऋषि वाल्मीकि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास अगस्त श्रीगी द्वैषाचार्य कृपाचार्य आदि वर्षों ना हो सबके वैध अवैध जन्म वृतांत को शास्त्रों में स्पष्ट रूप से ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा ही लिपिबद्ध किया गया है। अस्तु हिन्दू धर्म के जैसा उदारमान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। ब्राह्मणों ने अगर समय काल स्थिति के अनुसार तमाम जातियों को शूद्र वर्णसंकर ब्रात्य वृशत कहा है तो खुद की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया है। हिन्दू धर्मग्रंथों और शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है।

# सबके अंदर एक दूसरे के प्रति सामंजस्य भाव की प्रधानता हो



किसी भी देश के शक्तिशाली होने के निहितार्थ होते हैं। इन निहितार्थों का मन, वाणी और कर्म से अध्ययन किया जाए तो जो प्राकटय होता है, वह यही प्रदर्शित करता है कि सबके भाव राष्ट्रीय हों, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति सामंजस्य भाव की प्रधानता हो, लेकिन वर्तमान में समाज के बीच सामंजस्य के प्रयास कम और समाज के बीच भेद बनाने के प्रयास ज्यादा हो रहे हैं। जिसके चलते हमारी राष्ट्रीय अवधारणाएं तार-तार होती जा रही हैं। कौन नहीं जानता कि भारतीय समाज की इसी फूट के कारण भारत ने गुलामी के दश को भोगा था। अंग्रेजों की नीति का अनुसरण करने वाले राजनीतिक दल निश्चित ही भारत के समाज में एकात्म भाव को स्थापित करने प्रयासों को रोकेने का उपक्रम ही कर रहे हैं। जो संभवतः भारत की बढ़ती शक्ति से परेशान हैं। समाज को ऐसे घड़यंत्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए।

लम्बे समय से भारत में इस धारणा को समाज में संप्रेषित करने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया कि मुस्लिम तुष्टिकरण ही धर्मनिरपेक्षता है। इसी के कारण गगा जमुना तहजीब की अपेक्षा केवल हिन्दू समाज से ही की जाती रही है। भारत का हिन्दू समाज पुरातन समय से इस संस्कृति को आत्मसात किए हुए है। तभी

तो इस देश में सभी संप्रदाय के व्यक्तियों को पर्याप्त सम्मान दिया गया। यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने आपको धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल मानती है और इन्हीं दलों ने मुस्लिम वर्ग का तुष्टिकरण करने की राजनीति की। इसके कारण देश में जिस प्रकार से वर्ग भेद खाई पैदा हुई, उससे आज का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्राओं पर पत्थरबाजी की गई, वह देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की परिभाषा के दायरे में बिलकुल भी नहीं आता। धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा यही है कि देश में धर्मों को समान वृष्टि से देखा जाए, लेकिन क्या देश में समाज के द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से देखने की मानसिकता विकसित हुई है। अगर नहीं तो फिर धर्मनिरपेक्षता का कोई मतलब ही नहीं है। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता शब्द समाज में समन्वय स्थापित करने में नाकाम साबित हो रहा है, इसके बजाय वर्ग भेद बढ़ाने में ही बहुत ज्यादा सहायक हो रहा है। हालांकि यह शब्द भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे इंदिरा गांधी के शासन काल में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। इस शब्द के आने के बाद ही देश में तुष्टिकरण की राजनीतिक भावना ज्यादा जोर मारने लगी। यहां हम

हिन्दू और मुस्लिम वर्ग को अलग-अलग देखने को प्रमुखता नहीं दे रहे हैं। और न ही ऐसा दृश्य दिखाने का प्रयास ही करना चाहिए। बात देश के समाज की है, जिसमें हिन्दू भी आता है और मुस्लिम भी। जब हम समाज के तौर पर चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें वह सब दिखाई देगा, जो एक निरपेक्ष व्यक्ति से कल्पना की जा सकती है। लेकिन इसके बजाय हम पूर्वाग्रह रखते हुए किसी बात का चिंतन करेंगे तो हम असली बातों से बहुत दूर हो जाएंगे। आज देश में यही हो रहा है। आज का मीडिया अखलाक और तबरेज की घटना को भगवा आतंक के रूप में दिखाने का साहस करता दिखता है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे का सच जानने का प्रयास नहीं किया जाता। संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो इन दोनों की अनुचित क्रिया की ही समाज ने प्रतिक्रिया की थी, जो समाज की जाग्रत अवस्था कही जा सकती है, लेकिन यही मीडिया उस समय अपनी आंखों पर पट्टी बाध लेता है, जब किसी गांव से हिन्दुओं के पलायन की खबरें आती हैं। जब महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की कवायद पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर राष्ट्रद्रोह का प्रकरण दर्ज हुआ है। हो सकता है कि राणा



संजय कुमार सिंह बचपन से ही सादगी एवं शांत प्रवृत्ति के जीवन यापन कर रहे थे ठीक उसी समय देश और दुनिया में अराजकता का माहौल पैदा हो चुका था उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के सामाजिक न्याय के विचारों को अपना आदर्श मानते हुए समाज में व्यास कुरीतियों का खात्मा करने हेतु विभिन्न स्तर पर सक्रिय सामाजिक जन चेतना का कार्य करते हुए सामाजिक संगठन जैसे भारत जागरण मंच बरगया विकास मंच एवं जनकल्याण क्षत्रिय युवा मंच का गठन कर युद्ध स्तर पर कार्य करना इनका यह सफर सन 1989 से 2000 तक का रहा इसी बीच सन 1994 से 95 तक पटना विश्वविद्यालय के छात्र विकास मंच के अध्यक्ष पद पर रहकर एक ऊजार्वान शक्तिमान संगठन को खड़ा किया वर्ष 2001 से 2000 तक फतुहा विधान सभा के आदर्श ग्राम पंचायत अलावतुरु के पंचायत समिति सदस्य के रूप में पहली बार जीतकर अपना परचम लहराए।

इसी दौरान वर्ष 2004 में पंचायत समिति का गठन कर प्रदेश की राजधानी पटना से बापूधाम मोतिहारी तक पैदल मार्च कर एक मील का पथर स्थापित की वर्ष 2006 से 2017 तक बिहार की जदयू सेवादल प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के रूप में पार्टी द्वारा दी गई कार्यों को चरणबद्ध तरीके से निष्पादन कर 38 जिलों में संगठन को मजबूत किये वर्ष 2017 से 2020 तक बिहार प्रदेश जदयू सेवा दल के प्रधान

लम्बे समय से भारत में इस धारणा को समाज में संप्रेषित करने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया कि मुस्लिम तुष्टिकरण ही धर्मनिरपेक्षता है। इसी के कारण गंगा जमुना तहजीब की अपेक्षा केवल हिन्दू समाज से ही की जाती रही है। भारत का हिन्दू समाज पुरातन समय से इस संस्कृति को आत्मसात किए हुए है। तभी तो इस देश में सभी संप्रदाय के व्यक्तियों को पर्याप्त सम्मान दिया गया। यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने आपको धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल मानती है और इन्हीं दलों ने मुस्लिम वर्ग का तुष्टिकरण करने की राजनीति की। इसके कारण देश में जिस प्रकार से वर्ग भेद खाई पैदा हुई, उससे आज का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्राओं पर पत्थबाजी की गई।

महासचिव के पद पर रहते हुए पार्टी को जिला में जमीनी स्तर पर मजबूत करने का कार्य किए इनकी मेहनत रंग लाई पार्टी ने इन्हें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत करते हुए।

राघोपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया वर्तमान में नालंदा जिला के हरनौत विधानसभा प्रभारी रहे, इस कार्य को भी उन्होंने बखूबी निभाया ये जीवन में हर एक चुनौती को स्वीकार कर राजनीति के उस चोटी पर जा पहुंचे जहां अच्छे-अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं पहुंच पाते हैं, बर्ष 2012 में ब्रह्म बाबा सेवा एवं शोध संस्थान के संस्थापक संजय कुमार सिंह ने ब्रह्म बाबा मंदिर निरोगधारा की स्थापना की जो धर्मान्धता, अंधविश्वास, पाखंड, कुरुति, परंपरा, रुढ़िवादिता के खिलाफ जनजागरण का केंद्र है, युग शक्ति गायत्री मंदिर वृदांतन कालोनी कुम्हरार पटना और ज्ञान मंदिर का निर्माण कर समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आंदोलन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति संजय कुमार सिंह को पटना की जनता ने अपना मेयर पद के उम्मीदवार के रूप खड़ा किया है, इनका अपना मानना है कि जनता चुनाव जीतती है और जनता चुनाव हारती है, यदि जनता का सहयोग और समर्थन मिला तो पटना के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कई वर्षों के बाद इस तरह का ऊजार्वान शक्तिमान व्यक्ति पृथ्वी पर पैदा होता है।

# सशक्त उपभोक्ता के लिए चुनौती और मुद्दे



केंद्रीय विद्युत मंत्रालय देश में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियम जारी करता हैं। इन नियमों में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। बिजली एक समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) का विषय है और केंद्र सरकार के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार और शक्ति है। ये नियम उपभोक्ताओं को उन अधिकारों के साथ 'सशक्त' बनाने का काम करते हैं जो उन्हें गुणवत्ता, विश्वसनीय बिजली की निरंतर आपूर्ति तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।

सशक्त उपभोक्ता के लिए चुनौती और मुद्दे देखें तो कई राज्य विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। चौबीसों घंटे आपूर्ति की गारंटी और प्रावधान केवल दांवों में है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग 20 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे ग्रामीण और शहरी आपूर्ति के बीच भेदभाव है। बिजली मीटर से संबंधित नियम कहते हैं कि अलग-अलग राज्यों में शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर खराब मीटरों की जांच की जानी चाहिए। उपभोक्ता

शिकायत निवारण फोरम नियम कहते हैं कि मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुसार बिजली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए गठित फोरम का नेतृत्व कपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। भारत में बड़ी जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण, यह देश को 2040 में कुल वैश्विक ऊर्जा खपत के लगभग 11% होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आज देश में लगभग 35 गीगावाट स्थापित सौर उत्पादन क्षमता और 38 गीगावाट



पवन ऊर्जा है। भारत ने मार्च 2022 तक सौर परियोजनाओं से 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट बिजली का लक्ष्य रखा है। भारत की आवासीय बिजली की खपत 2030 तक कम से कम दोगुनी होने की उम्मीद है।

चूंकि घर अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक बिजली के उपकरण खरीदते हैं। थर्मल पावर मुख्य आधार बनी हुई है; भारत का ऊर्जा-मिश्रण आरई (नवीकरणीय ऊर्जा) के पक्ष में झुक रहा है, जिसकी कुल बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी 2008-09 में 317 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 912 प्रतिशत हो गई है। हमें ऊर्जा दक्ष उपकरणों की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 2009 से स्वैच्छिक लेबलिंग योजना के बावजूद, भारत में उत्पादित 5% से भी कम सीलिंग पर्याय स्टार-रेटेड हैं। जबकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) 2022 से सीलिंग फैन को अनिवार्य लेबलिंग के तहत लाने की योजना बना रहा है। अधिकांश राज्य कानून के साथ गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम रहे हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को। भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को डिस्कॉम से आपूर्ति गुणवत्ता डेटा एकत्र करने, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से होस्ट करने और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ऑडिटेड एसओपी रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता प्रोग्रामसं के लिए फंड का वितरण कर सकती है।

केंद्र राज्य सबसे केंद्रित एकमुश्त प्रयास, विद्युतीकरण अभियान पूरे देश में कनेक्शन प्रदान कर सकता है। लेकिन चौबीसों घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा देने के लिए अपनी

चूंकि घर अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक बिजली के उपकरण खरीदते हैं। थर्मल पावर मुख्य आधार बनी हुई है; भारत का ऊर्जा-मिश्रण आरई (नवीकरणीय ऊर्जा) के पक्ष में झुक रहा है, जिसकी कुल बिजली

उत्पादन में हिस्सेदारी 2008-09 में 317 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 912 प्रतिशत हो गई है। हमें ऊर्जा दक्ष उपकरणों की उपलब्धता और सामर्थ्य

में सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 2009 से स्वैच्छिक लेबलिंग योजना के बावजूद, भारत में उत्पादित 5% से भी कम सीलिंग पंखे स्टार-रेटेड हैं। जबकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) 2022 से सीलिंग फैन को

अनिवार्य लेबलिंग के तहत लाने की योजना बना रहा है। अधिकांश राज्य

कानून के साथ गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम रहे हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को। भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को डिस्कॉम से आपूर्ति गुणवत्ता डेटा एकत्र करने, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर

सार्वजनिक रूप से होस्ट करने और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ऑडिटेड एसओपी रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता प्रोग्रामसं के लिए फंड का वितरण कर सकती है।

वेबसाइट, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और इसके विभिन्न नामित कार्यालयों के माध्यम से क्षेत्रवार विभिन्न सेवाओं जैसे आवेदन जमा करने, आवेदन की निगरानी स्थिति, बिलों का भुगतान, शिकायतों की स्थिति आदि का अॉनलाइन उपयोग करना होगा। वितरण लाइसेंसधारी विशेष नागरिकों को उनके दरवाजे पर सभी सेवाएं जैसे आवेदन जमा करना, बिलों का भुगतान आदि प्रदान करे तो कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। डिस्कॉम उपभोक्ता अधिकारों, मुआवजा तंत्र, शिकायत निवारण,

ऊर्जा दक्षता के उपायों और डिस्कॉम की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया, टीवी, समाचार पत्र, वेबसाइट और डिस्प्ले के माध्यम से उचित प्रचार की व्यवस्था करे। लागत प्रभावी सौर पैनल, भंडारण प्रौद्योगिकियां, और 2022 तक 227 गीगावॉट के आरई क्षमता लक्ष्य की प्रसिद्ध संभावित रूप से बिजली की कीमत को और कम कर सकती है। ये नियम पूरे देश में कारोबार करने में आसानी को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

# दशकों से जड़ें जमायी हुई सामाजिक कुरीति समाप्त



बिटिया का आसमां ऊंचा होता जा रहा है और बिटिया कह रही है कि आसमां थोड़ा और ऊंचा हो जाओ ताकि मैं तुम्हें छू सकूँ। आज जब हम भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के सबसे बड़े त्यौहार अक्षय तृतीया मना रहे हैं तब हमारे सामने दशकों से जड़ें जमायी हुई सामाजिक कुरीति के रूप में बाल विवाह दम तोड़ती नजर आ रही है। कोई एकाध माह पहले से सत्ता और शासन ने हर स्तर पर सुरक्षा कर लिया है। खबरें सुकून की आ रही है कि बिटिया स्वयं होकर ऐसी रीति-रिवाजों के खिलाफ खड़ी हो रही है। बदलाव की इस बयार में गर्म हवा के बजाय ठंडी हवा बहने लगी है। स्त्री जब स्वयं सशक्त हो जाए तो समाज स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए मजबूर होता है और यह हम कम से कम अपने राज्य की सरहद में देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबकुछ बेहतर हो गया है। लेकिन नासूर का इलाज मिल जाना भी एक सुखद संकेत है। आधी दुनिया का जब हम उल्लेख करते हैं तो सहसा हमारे सामने रस्ती की दुनिया का मानचित्र उभर कर आता है लेकिन भारतीय समाज में जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां आज के दौर में भी पैर पसारे हुए हैं, सारी बातें बेमानी लगती हैं। यह सच इतना तककलीफदेह है कि स्त्रियों के साथ होने वाले अपराधों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो उनके साथ इंसाफ की खबरों का ग्राफ आकार नहीं ले पा रहा है। घरेलू हिंसा की कुछ खबरें ही सामने आ पाती हैं क्योंकि जिम्मेदार स्त्री अपने बच्चों के भविष्य को देखकर पांच समेट लेती है।

बदलाव की इस बयार में गर्म हवा के बजाय ठंडी हवा बहने लगी है। स्त्री जब स्वयं सशक्त हो जाए तो समाज स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए मजबूर होता है और यह हम कम से कम अपने राज्य की सरहद में देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबकुछ बेहतर हो गया है। लेकिन नासूर का इलाज मिल जाना भी एक सुखद संकेत है। आधी दुनिया का जब हम उल्लेख करते हैं तो सहसा हमारे सामने स्त्री की दुनिया का मानचित्र उभर कर आता है लेकिन भारतीय समाज में जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां आज के दौर में भी पैर पसारे हुए हैं, सारी बातें बेमानी लगती हैं। यह सच इतना तककलीफदेह है कि स्त्रियों के साथ होने वाले अपराधों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो उनके साथ इंसाफ की खबरों का ग्राफ आकार नहीं ले पा रहा है। घरेलू हिंसा की कुछ खबरें ही सामने आ पाती हैं क्योंकि जिम्मेदार स्त्री अपने बच्चों के भविष्य को देखकर पांच समेट लेती है। इन भयावह स्थितियों और खबरों के बीच एक सुकून की खबर मध्यप्रदेश से मिलती है कि तकरीबन दस बरस पहले राज्य में लिंगानुपात की जो हालत थी,

उसमें सुधार आने लगा है। एक दशक पहले एक हजार की तादात पर 932 का रेसियो था लेकिन गिरते गिरते स्थिति बिगड़ गई थी। हाल ही में जारी आंकड़े इस बात की आश्वस्ति देते हैं कि हालात सुधरे भले ना हो लेकिन सुधार के रास्ते पर है। आज की तारीख में 1000 पर 930 का आंकड़ा बताया गया है। एक तरह से झुलसा देने वाली स्थितियों में कतिपय पानी के ठड़े छींटे पड़ रहे हैं।

लगातार प्रयासों का सुपरिणाम है कि उनकी बेटियां मुस्कराती रहें और कामयाबी के आसमां को छुये लेकिन इसके लिए जरूरी होता है समाज का साथ और जो स्थितियां बदल रही हैं, वह समाज का मन भी बदल रही है। मध्यप्रदेश में नये सिरे से बेटी बचाओं की हाँक लगायी गई तो यह देश की आवाज बनी और बिटिया मुस्कराने लगी। यह कहना फिजूल की बात होगी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बिटिया बचाने पर ध्यान नहीं दिया लेकिन यह कहना भी अनुचित होगा कि सारी कामयाब कोशिशें इसी दौर में हो रही हैं। इन दोनों के बीच फक्त अंतर यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं की जमीन कहीं कच्ची रह गयी थी तो वर्तमान सरकार ने इसे ठोस बना दिया। जिनके लिए योजनायें गढ़ी गई, लाभ उन तक पहुंचता रहा और योजनाओं का प्रतिफल दिखने लगा। महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन बच्चों और महिलाओं के हक के लिए बनाया गया था।

इस विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह नयी योजनाओं का निर्माण करें और महिलाओं को विसंगति से बचा कर उन्हें विकास के रास्ते पर सरपट ढौँड़ये। योजनाएं बनी और बजट भी भारी-भरकम मिलता रहा।

**लगातार प्रयासों का सुपरिणाम है कि उनकी बेटियां मुस्कराती रहें और कामयाबी के आसमां को छुये लेकिन इसके लिए जरूरी होता है समाज का साथ और जो स्थितियां बदल रही हैं, वह**

**समाज का मन भी बदल रही है।** मध्यप्रदेश में नये सिरे से बेटी बचाओं की हाँक लगायी गई तो यह देश की आवाज बनी और बिटिया मुस्कराने लगी। यह कहना फिजूल की बात होगी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बिटिया बचाने पर ध्यान नहीं दिया लेकिन यह कहना भी अनुचित होगा कि सारी कामयाब कोशिशें इसी दौर में हो रही हैं। इन दोनों के बीच फक्त अंतर यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं की जमीन कहीं कच्ची रह गयी थी तो वर्तमान सरकार ने इसे ठोस बना दिया। जिनके लिए योजनायें गढ़ी गई, लाभ उन तक पहुंचता रहा और योजनाओं का प्रतिफल दिखने लगा। महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन बच्चों और महिलाओं के हक के लिए बनाया गया था।

लेकिन नीति और नियत साफ नहीं होने से कारगर परिणाम हासिल नहीं हो पाया। 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता की बागड़ेर सम्मालने के बाद शिवराजसिंह चौहान ने बेटियों की ना केवल चिंता की बल्कि समय-समय पर उनकी खोज-खबर लेते रहे। जब मुख्या सक्रिय और सजग हो जाए तो विभाग का चौंकना होना लाजिमी था। मुख्यमंत्री की निगहबानी में परिणामदायी योजनाओं का निर्माण हुआ और परिणाम के रूप में दस वर्ष में गिरते लिंगनुपात को रोकने में मदद मिली। एक मानस पहले से तैयार था कि बिटिया बोझ होती है और कतिपय सामाजिक रूढ़ि के चलते उनका बचपन में व्याह कर दिया जाता था। लेकिन पीछे कुछ वर्षों के आंकड़े इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि समाज का मन बदलने लगा है। यह बेहद सुकून की खबर है कि अब मीडिया में बेटियों को जगह दी जाने लगी है। गेस्टराइटर से लेकर संपादक तक बेटियां बन बैठती हैं। विशेषांक बेटियों पर पल्लिश किया जा रहा है। राज्य, शहर और गांव से महिला प्रतिभाओं को सामने लाकर उनका परिचय कराया जा रहा है। उनकी कामयाबी उनके बाद की बच्चियों के लिए लालंडेन का काम कर रही हैं। सिनेमा के पर्दे पर भी महिला हस्तक्षेप बढ़ा है। मेरी कॉम जैसी बॉयोपिक फिल्में खेल संगठनों की राजनीति का चीरफाड़ करती हैं तो दूसरी तरफ बताती है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। इन सबका अर्थ है कि महिला समाज की भूमिका अब आधी दुनिया से आगे निकल रही है। एक अच्छा संकेत है बदलते समाज का और समाज का मन बदल जाए तो बिना क्रांति किये बदलाव की हवा चल पड़ती है।



# यूट्यूब चेनल्स के लिए भी बनाए जाएं कायदे



अनादिकाल से भारतभूमि योग भूमि के रूप में विख्यात रही है। यहां का कण-कण, अणु-अणु न जाने कितने योगियों की योग-साधना से आप्लावित हुआ है। योगियों की गहन योग-साधना के परमाणुओं से अधिकृत यह माटी धन्य है और धन्य है यहां की हवाएं, जो योग-साधना के शिखर पुरुषों की साक्षी हैं। संसार के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में कई स्थानों पर योगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि-मुनियों से ही योग का प्रारम्भ माना जाता है। इसके पश्चात पतंजली ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। कभी भगवान महावीर, बुद्ध एवं आद्य शंकराचार्य की साधना ने इस माटी को कृतकृत्य किया था। इस महान् भूमि ने योग की गंगा को समूची दुनिया में प्रवाहित करके मानवता का महान् उपकार किया है।

भारत की धरा साक्षी है रामकृष्ण परमहंस की परमहंसी

साधना की, साक्षी है यहां का कण-कण विवेकानन्द की विवेक-साधना का, साक्षी है क्रांत योगी से बने अध्यात्म योगी श्री अरविन्द की ज्ञान साधना का और साक्षी है। योग साधना की यह मंदाकिनी न कभी यहां अवरुद्ध हुई है और न ही कभी अवरुद्ध होगी। इसी योग मंदाकिनी से आज समूचा विश्व आप्लावित हो रहा है, निश्चित ही यह एक शुभ संकेत है सम्पूर्ण मानवता के लिये। विश्व योग दिवस की सार्थकता इसी बात में है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, विश्व मानवता का कल्याण हो। सचमुच योग वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। लोगों का जीवन योगमय हो, इसी से युग की धारा को बदला जा सकता है। गीता में लिखा भी है—योग स्वयं की स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुँचने की यात्रा है। योग धर्म का वास्तविक एवं प्रायोगिक स्वरूप है। दरअसल परम्परागत धर्म तो लोगों को खूँट से बाँधता है

और योग सभी तरह के खूँटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। इसीलिये मेरी दृष्टि में योग मानवता की न्यूनतम जीवनशैली होनी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने का यही एक सशक्त माध्यम है। एक-एक व्यक्ति को इससे परिचित- अवगत कराने और हर इंसान को अपने अन्दर झांकने के लिये प्रेरित करने हेतु विश्व योग दिवस को और व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के उपक्रम होने चाहिए। इसी से योगी बनने और अच्छा बनने की ललक पैदा होगी। योग मनुष्य जीवन की विसंगतियों पर नियंत्रण का माध्यम है।

किसी भी व्यक्ति की जीवन-पद्धति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन जीने की शैली-ये सब उसके विचार और व्यवहार से ही संचालित होते हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में, एक-दूसरे के साथ कदमताल से चलने की कोशिश में मनुष्य अपने वास्तविक रहन-सहन,

खान-पान, बोलचाल तथा जीने के सारे तौर-तरीके भूल रहा है। यही कारण है, वह असमय में ही भाँति-भाँति के मानसिक/भावनात्मक दबावों के शिकार हो रहा है। मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाने से शारीरिक व्याधियां भी अपना प्रभाव जमाना चालू कर देती हैं। जितनी आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, सुविधादायी सांसाधनों का विकास हुआ है, जीवन उतना ही अधिक बोझिल बना है। तनावों/दबावों के अंतहीन सिलसिले में मानवीय विकास की जड़ों को हिला कर रख दिया है। योग ही एक माध्यम है जो जीवन के असन्तुलन को नियोजित कर जीवन में शांति, स्वस्थता, संतुलन एवं खुशहाली का माहौल निर्मित करता है।

अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान, जप, तप, प्राणायाम तथा सत्संग आदि अनेक साधन हैं। ये समस्त साधन विषयासक्ति के त्याग पर बल देते हैं। विषयासक्ति का त्याग ही वास्तविक विषय-त्याग है। आसक्ति अविद्याजनित मोह से होती है। जहां तक बुद्धि मोह से ढकी हुई है, वहां तक विषयों से वास्तविक वैराग्य नहीं हो सकता, कैवल्य प्राप्ति एवं मोक्ष तो संभव ही नहीं है।

कहा गया है कि जब हमारा जीवन सांसारिक दलदल से निकल जाएगा तभी वास्तविक सुख एवं शांति अवतरित होगी। मानवीय व्यक्तित्व को समग्रता से उद्घाषित परिभाषित करने वाले चार सकार हैं- स्वास्थ्य, सौंदर्य, शक्ति और समृद्धि। इनकी प्राप्ति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक समझदार व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है पर अपेक्षा है उल्लेखित चारों तत्त्व श्रृंखलाबद्ध हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों।

इन्हें टुकड़ा-टुकड़ों में बांट कर जीवन को समग्रता प्रदान नहीं की जा सकती। उक्त सकार चतुष्टीयों को एकसूत्रता में जोड़ने वाला सशक्त माध्यम है योग यानी स्वस्थ मनोभूमि का निर्माण। मन का धरातल यदि स्वस्थ न हो तो स्वास्थ्य कब क्षीण हो जाए, सौंदर्य पुष्ट कब कुम्हला जाए, शक्ति कब चुक जाए और समृद्धि की इमारत कब भरभरा कर गिर पड़े, कहा नहीं जा सकता। अतः योग को जीवनशैली बनाना आवश्यक है।

भारत में विभिन्न योग पद्धतियां प्रचलित हैं, मेरे गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने प्रेक्षाध्यान के रूप में नवीन ध्यान पद्धति प्रदत्त की है, जो अंतःसौन्दर्य को प्रकट करने एवं उसे देखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्वयं से स्वयं के साक्षात्कार का यह विलक्षण प्रयोग है। यह योग मनुष्य को पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है, स्वस्थ बनाता है। यजुर्वेद में की गयी पवित्रता-निर्मलता की यह कामना हर योगी के लिए काम्य है कि ह्याह्यादेवजन मुझे पवित्र करें, मन में सुसंगत बुद्धि मुझे पवित्र करें, विश्व के सभी प्राणी मुझे पवित्र करें, अग्नि मुझे पवित्र करें। हङ्ग योग के पथ पर अविराम गति से वही साधक आगे बढ़ सकता है, जो चित्त की पवित्रता एवं निर्मलता के प्रति पूर्ण जागरूक हो। निर्मल चित्त वाला व्यक्ति ही योग की गहराई तक पहुंच सकता है।

बटेंड रसेल अपने योगपूर्ण जीवन के सत्यों की अभिव्यक्ति इस भाषा में देते हैं-ह्याह्याअपने लम्बे जीवन में मैंने कुछ ध्रुव सत्य देखे हैं-पहला यह है कि धृणा, द्वेष और मोह को पल-पल मरना पड़ता है। निरक्ष इच्छाएं चेतना पर हावी होकर जीवन को असंतुलित और दुःखी बना देती हैं। एक साधक आवश्यकता एवं

आकांक्षा में भेदेखा करना जानता है। इसलिए इच्छाएं उसे गलत दिशा में प्रवृत्त नहीं होने देती। हाँ आज योग दिवस के माध्यम से सारा मानव जाति आत्म-मंथन की ओर प्रवृत्त हो रही है, निश्चित ही दुनिया में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा।


योग किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या भाषा से नहीं जुड़ा है। योग का अर्थ है जोड़ना, एकीकरण करना। अच्छी एवं सकारात्मक ऊजाओं को संगठित करने एवं परम परमात्मा से सक्षात्कार का यह अनूठा माध्यम है। इसलिए यह प्रेम, अहिंसा, करुणा और सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। योग, जीवन की प्रक्रिया की छानबीन है। यह सभी धर्मों से पहले अस्तित्व में आया और इसने मानव के सामने अनंत संभवनाओं को खोलने का काम किया। आंतरिक व आत्मिक विकास, मानव कल्याण से जुड़ा यह विज्ञान सम्पूर्ण दुनिया के लिए एक महान तोहफा है।

आज योगिक विज्ञान जितना महत्वपूर्ण हो उठा है, इससे पहले यह कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। आज हमारे पास विज्ञान और तकनीक के तमाम साधन मौजूद हैं, जो दुनिया के विवर्णस का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे भीतर जीवन के प्रति जागरूकता और ऐसा भाव बना रहे कि हम हर दूसरे प्राणी को अपना ही अंश महसूस कर सकें, वरना अपने सुख और भलाई के पीछे की हमारी दौड़ सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा विश्व भारती विश्व में योग को स्थापित करने एवं अहिंसक समाज रचना के संकल्प को आकार देने के लिये प्रयत्नशील है।

कहते हैं कि दुनिया की कुल आबादी में लगभग दस करोड़ व्यक्ति किसी न किसी मनोरोग से पीड़ित हैं। एक अध्ययन के अनुसार अकेले भारतवर्ष में ही दो करोड़ से अधिक लोग मनोरोगी हैं। जाने-अनजाने प्रत्येक

व्यक्ति किसी न किसी मनोरोग से सदा पीड़ित रहता है। चिंता, घबराहट, नींद की कमी, निराशा, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक सोच-ये सब मनोरोग के लक्षण हैं। यह मानसिक पंगुता की शुरूआत है। इससे मस्तिष्क कुठित हो जाता है। बौद्धिक स्फुरण अवरुद्ध हो जाती है। दिमागी मशीनरी के जाम होते ही शरीर-तंत्र भी अस्त-व्यस्त और निष्क्रिय हो जाता है। असंतुलित मन स्वयं रोगी होता है और तन को भी रोगी बना देता है। इस तरह एक बीमार एवं खडित समाज का निर्माण हो रहा है, जिसे योग के माध्यम से ही संतुलित किया जा सकता है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि इस आधुनिक युग में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारे रहन-सहन, बोल-चाल और खान-पान बिल्कुल ही बनावटी हो चुकी है। हमारी जिंदगी मशीनों पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है। हमे एहसास भी नहीं है लेकिन हम इस दुनिया की ओर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में योग ही वह कारण उपाय है जो हमें बनावटी दुनिया से मुक्त करके प्रकृति और आध्यात्म की दुनिया की ओर ले जाती है, प्रकृतिस्थ बनाता है।

अगर लोगों ने अपने जीवन का, जीवन में योग का महत्व समझ लिया और उसे महसूस कर लिया तो दुनिया में व्यापक बदलाव आ जाएगा। जीवन के प्रति अपने नजरिये में विस्तार लाने, व्यापकता लाने में ही मानव-जाति की सभी समस्याओं का समाधान है। उसे निजता से सार्वभौमिकता या समग्रता की ओर चलना होगा। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, हमने गत वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रों में योग दिवस के सफलतम आयोजनों के माध्यम से दुनिया में योग का परचम फहराने का प्रयत्न किया, जो इस पूरी धरती पर मानव कल्याण और आत्मिक विकास की लहर पैदा करने की आहट थी।



# भारत में पानी-पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अधिनियम व कानून



केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को विश्वेषण करने के लिए किसी भी स्थान से वायु, जल, मिट्टी या कोई अन्य पदार्थ का नमूना लेने का अधिकार है। इस अधिनियम को 23 मार्च, 1986 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा उसकी उन्नति और सम्बन्धित मामलों के लिए बनाया गया है। वस्तुतः इसे भोपाल गैस दुर्घटना के बाद संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। इस अधिनियम के सेक्शन 3(1) में भारत सरकार को अधिकृत किया गया है कि हायापर्यावरणीय गुणवत्ता की सुरक्षा एवं उन्नयन तथा प्रदूषण से रक्षा, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए समस्त संभव उपायों को करना है जो इनके लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो। इस अधिनियम द्वारा केन्द्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता के अनुरक्षण हेतु नए राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और उत्सर्जन बहिःसाव विसर्जन को भी नियंत्रित करने के लिए मानकों, खतरनाक अपशिष्ट और रसायनों के प्रबंधन के लिए विधियों को निर्धारित करने,

उद्योगों के स्थान का नियमन करने, दुर्घटना रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों की स्थापना करने, पर्यावरणीय प्रदूषण सम्बन्धी सूचनाओं का एकत्राण एवं वितरण करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को सीधे लिखित आदेश जारी करने, किसी उद्योग को बंद, प्रतिबंधित, या नियमित करने, संचालन या तरीकों को रोकने, बिजली और पानी की आपूर्ति या किसी भी अन्य सेवाओं को बन्द करने के लिए अधिकृत है।

इस अधिनियम के अनुसार निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषकों को विसर्जित करने वाला व्यक्ति इसकी सुरक्षा या प्रदूषण को घटाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और सरकारी प्राधिकरण को विसर्जन की सूचनाएं देने के लिए बाध्य है। इस अधिनियम के अनुसार दोषी व्यक्तियों को पांच वर्षों तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुमारा या दोनों से दोषित करने का अधिकार है। इसे मानने से इनकार करने पर 5 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुमारा लगाकर दण्डित करने का भी

प्रावधान है। सेक्शन 15(1)।

**वायु (सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981**

यह अधिनियम देश में वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वायु प्रदूषण से रक्षा, नियंत्रण और उपशमन के लिए निर्मित किया गया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ नीचे वर्णित हैं।

1. यह अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रभावी है।
2. अधिनियम के सेक्शन 19 के अंतर्गत राज्य सरकार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के साथ परामर्श कर वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है जिसमें अधिनियम के विधान प्रभावी होंगे।
3. सेक्शन 21( ) व ( ) के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की पूर्व अनुमति के बिना औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं कर सकता है।
4. सेक्शन 22 एवं 22( ) के अंतर्गत किसी औद्योगिक

संयंत्र का संचालन जो राज्य परिषद द्वारा निर्धारित मानक से अधिक वायु प्रदूषण उत्सर्जित करता है वह परिषद द्वारा निर्धारित अभियांग के लिए जिम्मेदार होगा।

## राज्य परिषद के अधिकार-

राज्य परिषद को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा या प्रतिबंध के लिए परामर्श देने के साथ ही निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं।

1. प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार: राज्य परिषद के किसी भी अधिकृत व्यक्ति को औद्योगिक परिसर में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थिति का निरीक्षण के अधिकार है।

2. नमूना प्राप्त करने के अधिकार: राज्य परिषद या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को वायु या किसी चिम्नी से रोशन दान निकास नाली या कोई अन्य निकास से उत्सर्जन का नमूना लेने का अधिकार है।

3. निर्देश देने का अधिकार: राज्य परिषद किसी भी व्यक्ति/ प्राधिकारी को कोई भी उद्योग बंद, प्रतिबंधित या उनका नियमन करने के निर्देश देने का अधिकार देता है।

जल (सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यह अधिनियम जल प्रदूषण की सुरक्षा और नियंत्रण और अनुरक्षण या जल की गुणवत्ता की पुनराप्राप्ति के लिए है। इसके लिए केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद क्रमशः 3 और 4 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम में कुछ सदेहों के स्पष्टीकरण और प्रदूषण बोर्ड में और अधिक अधिकारों को सन्निहित करने के उद्देश्य से सन् 1978 और 1988 में संशोधन किए गए। उद्योगों के लिए मुख्य बातें और कार्य इस प्रकार हैं-अधिनियम के न्यौ 25 में स्थापना या नवीन विसर्जन के लिए अनुमति प्राप्त करना है। यह किसी भी घरेलू या वाणिज्यिक बहिःस्थाव को जल, धारा, अवतल कुओं या भूमि पर विसर्जित करने वाली प्रत्येक उद्योगों/स्थानीय संस्था के लिए आवश्यक है। परिषद के किसी कार्यों के निष्पादन या निर्देश पालन के लिए कोई स्थान या किसी संयंत्र, अभियोग पत्रावली इत्यादि का निरीक्षण करने के लिए प्रवेश करने या आवश्यक हो तो बन्द करने का अधिकार है। भारतीय वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972

भारतीय वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 एक व्यापक केन्द्रीय कानून है। जिसके अंतर्गत पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट इत्यादि वन्य प्राणी और विशेषकर संकटग्रस्त जातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गयी है। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य प्राणी अभ्यारणों की स्थापना, वन्य प्राणियों के उत्पादों के व्यवसाय का उचित नियंत्रण भी सम्मिलित है। इस अधिनियम के अंतर्गत दुलभ और संकटग्रस्त जातियों की पांच सूचियां हैं जिन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही शिकार की विशेष जातियां भी सूची में दी गयी हैं। जिन्हें निश्चित सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस दिया जा सकता है। इस अधिनियम की धाराओं में समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। एक प्रमुख संशोधन 2 अक्टूबर 1991 में किया गया जिससे वन्य प्राणियों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गयी है और कानून का उल्लंघन करने पर सख्त सजा तथा अधिनियम के उल्लंघन की घटनाओं के खिलाफ लोगों को सीधे

मुकदमा करने की इजाजत दी गयी है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उन सभी वन्य प्राणियों का शिकार वर्जित है जिनका अधिनियम की सूची 1,2,3 और 4 में उल्लेख किया गया है। वन्य जीव उत्पादों के विक्रेताओं, वन्य जीवों को बंदी बनाने और अवैध शिकार करने वालों को कठोर दंड देने के लिए कड़े प्रवधान तथा कार्य प्रणालियां भी हैं।

## वन (संरक्षण) अधिनियम, 1981

सन् 1980 में जारी और 1981 में क्रियान्वयन के बाद सन् 1988 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी आरक्षित वन को अनारक्षित करने, वन के लिए निर्धारित भूमि को अन्य वनविहीन कार्यों के लिए उपयोग करने, वन के लिए चिन्हित भूमि को किसी निजी व्यक्ति या पंचायत (कारपोरेशन) को सौंपने, किसी वन्यभूमि को पुनः वनीकरण हेतु साफ करने की स्थितियों में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने के लिए बाध्य करता है। राज्य के निवेदन के उपरान्त इन्हें देखने के लिए बनी परामर्श समिति की सिफारिशों के बाद ही अस्वीकृति या स्वीकृति प्रदान की जाती है। परिवर्तन की स्वीकृति मिल जाने पर उसी क्षेत्र के वनविहीन भूमि में उसके बदले में वनरोपण करना भी अन्य शर्तों के साथ निर्देशित किया जाता है। वनविहीन क्षेत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में क्षरित वन भूमि पर वनरोपण किया जाना चाहिए और यह परिवर्तन किए गए क्षेत्र की तुलना में दो गुना अधिक होनी चाहिए।

## साइट्स (सीआईटीईएस)

वन्य प्राणियों और पेड़-पौधों की संकटग्रस्त जातियों की अन्तरराष्ट्रीय व्यापार उपसंचय (सीआईटीईएस) 1975 से लागू हुई। इसका उद्देश्य वन्य प्राणियों और पेड़-पौधों के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को रोकना है। भारत ने इस उपसंचय पर हस्ताक्षर किये हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने निम्न बिंदुओं पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

- वन्य प्राणी और पेड़-पौधे अपने कई सुंदर और विविध रूपों में पृथक्की के प्राकृतिक मंत्रों का एक अद्वितीय भाग है।
- वे सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक और आर्थिक वृष्टिकोण से वन्य प्राणियों और पेड़-पौधों के बढ़ते हुए मूल्य के प्रति जागरूक हैं।
- लोग और राष्ट्र अपने वन्य प्राणियों और पेड़-पौधों के सबसे अच्छे रक्षक हैं और होने चाहिए।
- अन्तरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा अतिशोषण के विरुद्ध वन्य प्राणियों और पेड़-पौधों की कुछ जातियों की सुरक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
- इस उद्देश्य के लिए उचित कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। साइट्स वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करता है जिसके बिना अवैध व्यापार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

## अन्तरराष्ट्रीय जैवविविधता संरक्षण कानून

जैवविविधता के संरक्षण के लिए पहली बार जून 1992 में रियो डे जेनेरो में एक अन्तरराष्ट्रीय संधि बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन का आयोजन हुआ। 29 जून 1993 को यह संधि लागू कर दी गयी। इसके तहत जैव

विविधता के संरक्षण के लिए पहली बार एक अन्तरराष्ट्रीय कानून बना। जून 2001 में यूरोपीय संघ के एक सम्मेलन में 2010 तक जैवविविधता लक्ष्य तय किये गये।

पर्यावरण संरक्षण में भारतीय विधियां भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 48-क कहता है ह्याहराज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ह्याहराज्य देश भूमि कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51-क कहता है कि ह्याहराज्य देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि (च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौवशाली परंपरा का महत्व-समझे और उसका परिवर्क्षण करें। ह्याहराज्य देश के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों की जिसके अंतर्गत वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव रखें।

भारतीय दण्ड संहिता-इसके अध्याय 14 (धारा 268 से 291) एवं धारा 430 में लोक न्यूसेंस (उत्पात) के बारे में प्रवाधन दिए गए हैं। ह्याहराज्य न्यूसेसहङ्ग से मतलब उन सब गतिविधियों से है जो हानिकारक एवं खतरनाक हैं। इनमें वायु एवं जल का प्रदूषण, विस्फोट कार्य, प्रदूषित जल का बहना, धुआं एवं अन्य दूसरी प्रदूषित गतिविधियां सम्मिलित हैं।

धारा 168 के अनुसार, वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जन-साधारण को जो आस-पास में रहते हों या आस-पास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभकारित हो या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ होना अवश्यम्भवी हो।

ह्याहराज्य सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर क्षमा योग्य नहीं है कि उसपे कुछ सुविधा या भलाई होती है। धारा 290 में न्यूसेंस सिद्ध हो जाने पर दोषी व्यक्ति पर 200 रुपए तक का जुमारा किया जा सकता है। यदि दोषी व्यक्ति न्यायालय द्वारा मना किए जाने पर भी न्यूसेंस करने से नहीं रुकता है तो धारा 291 के तहत उसे छः माह तक का साधारण कारावास या जुमारा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता-धारा 133 तथा 143 के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस के बारे में शिकायत करना चाहता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कर सकता है एवं मजिस्ट्रेट न्यूसेंस को हटाने एवं पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सशर्त आदेश दे सकता है। ह्याहराज्य संविल प्रक्रिया संहिता-धारा 91 के अनुसार (1) लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोष पूर्ण कार्य की दशा जिससे जन साधारण पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हों, वाद-(क) महाधिवक्ता द्वारा या (ख) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की अनुमति से सिविल न्यायालय में दावर किया जा सकेगा। अपकृत्य विधि-लोक न्यूसेंस अपकृत विधि के अंतर्गत भी आता है लोक न्यूसेंस का मतलब सभी जगह एवं



विधियों में एक ही है उपचार अलग-अलग अधिनियमों में अनेक दिये गये हैं। भारत में अपकृत्य का अर्थ सिविल अपराध से है तथा उसी अनुसार बाद दायर किया जा सकता है।

## जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974

जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण, अधिनियम 1974 एक महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है। अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन किया है तथा अनुच्छेद 4 के अंतर्गत राज्य सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत तय किए गए कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन किया है। अनुच्छेद 16 केन्द्रीय बोर्ड के कार्यों से सम्बन्ध रखता है।

प्रक्रिया-अनुच्छेद 20 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी जल प्रवाह अथवा कुएँ के बहाव, मात्रा या अन्य लक्षणों का परिमापन कर सकता है तथा इसका लेखा-जोखा रख सकता है। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति को (जो इसकी राय में किसी भी जलधारा या कुएँ से इतनी मात्रा में पानी निकाल रहा है जो इसके प्रवाह या मात्रा के हिसाब से काफी अधिक है) पानी लेने के बारे में किसी भी समय तथा स्थान पर जानकारी देने के लिए निर्देशित कर सकता है।

राज्य बोर्ड किसी भी औद्योगिक अथवा प्रसंस्करण अथवा निर्माण इकाई के स्वामी, किसी भी व्यक्ति को

उसके कामकाज तथा निकासी तंत्रा अथवा किसी भी ऐसे विषय पर जानकारी मुहैया कराने के लिए निर्देशित कर सकता है जो जल के प्रदूषण के निरोध तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक हो।

अनुच्छेद 21 राज्य बोर्ड को यह सामर्थ्य देता है कि वह किसी भी जलधारा अथवा कुएँ किसी भी संयंत्र अथवा बर्तन से लिए गए किसी भी सीवेज (मलजल) अथवा व्यापारिक अवशिष्ट के नमनों से जल नमूने ले सकता है और निर्धारित पद्धति यह है कि नमूना लेने तथा उसका विश्लेषण करने के उद्देश्य का एक नोटिस दिया जाए। इसके बाद संयंत्र अथवा वाहिका के कार्यप्रभारी की उपस्थिति में नमूने लिए जाएं। विश्लेषण हेतु नमूने लेने का तरीका राज्य बोर्ड अथवा/तथा केन्द्रीय जल प्रयोगशाला द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा स्थापित प्रयोगशाला द्वारा बनाया गया होना चाहिए।

आपातकालीन परिस्थिति वाले मामले में जहां किसी संयंत्र अथवा वाहिका से निकलने वाले अवशिष्ट के बहाव के कारण किसी जल प्रवाह अथवा कुएँ अथवा भूमि पर कोई विषेश प्रदूषण उपस्थित है तो राज्य बोर्ड अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत संयंत्र वाहिका के कार्यप्रभारी को किसी भी जल प्रवाह अथवा भूमि या इस प्रकार के प्रदृष्टक तत्वों को प्रवाहित करने से रोक सकता है अथवा प्रतिबंधित कर सकता है।

अनुच्छेद 33 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां किसी भी जल प्रवाह का जल ऐसे जल-प्रवाह अथवा कुएँ अथवा मल-जल (सीवर) अथवा भूमि पर किसी पदार्थ के फेंके जाने की वजह से दूषित हो सकता है,

वहां बोर्ड किसी ऐसे न्यायालय जो मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के जुड़ीशियल मजिस्ट्रेट से कम न हो, से उन लोगों को रूकने की अपील। कर सकता है जो प्रदूषण फैला सकता है। उचित जांच के पश्चात न्यायालय एकादेश पारित करके ऐसे लोगों को जल को प्रदूषित करने से रोकने के लिए तथा प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को जलधारा अथवा कुएँ से हटाने में समर्थ है। न्यायालय प्रदूषणकारी पदार्थों को हटाने के लिए बोर्ड को भी अधिकृत कर सकता है।

दण्ड-राज्य बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जानकारी हासिल करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक की अवधि के लिए कैद की सजा हो सकती है अथवा रु. 10,000 तक का जुमारा किया जा सकता है। अगर बाद तक भी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो पालन न किये जाने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त जुमारा भी किया जा सकता है जो रु. 5,000 प्रतिदिन तक हो सकता है।

अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य बोर्ड के आदेश का पालन न करने के मामले में अथवा अनुच्छेद 33 की उपधारा 2 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर कम से कम 18 महीने और अधिक से अधिक 6 वर्ष की कैद जुमारे सहित हो सकती है। अगर आदेशों का पालन न करना जारी रहता है तो एक वर्ष तक रु. 5000 प्रतिदिन तक का जुमारा किया जा सकता है। अगर एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो कम से कम



2 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है।

राज्य बोर्ड अनुच्छेद 33 ए के अंतर्गत निम्नलिखित की प्रकृति बताते हुए निर्देश जारी कर सकता है:

(क) किसी भी उद्योग काम, अथवा प्रक्रिया को बंद करना, प्रतिबंधित करना अथवा नियंत्रित करना।

(ख) बिजली, पानी या अन्य किसी सेवा को रोक देना अथवा इसका नियंत्रण करना।

इन निर्देशों का पालन न करने पर उसी सजा का प्रावधान है जो अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है ऐसे अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी निर्देश का उल्लंघन करता है जिसके लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, वह 3 वर्ष की कैद तथा रु. 10,000 तक के जुमाने अथवा दोनों की सजा पा सकता है। अगर उल्लंघन जारी रहता है तो उस व्यक्ति पर प्रतिदिन रु. 5000 का अतिरिक्त जुमाना किया जा सकता है। अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान दिया गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो अपराध के समय कम्पनी का कामकाज चलाने के लिए उत्तरदायी था अथवा कार्य प्रभारी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और सजा दी जाएगी। अगर अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है तो अनुच्छेद 48 के अनुसार विभाग के मुखिया को उत्तरदायी माना जाएगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई न

अनुच्छेद 21 राज्य बोर्ड को यह सामर्थ्य देता है कि वह किसी भी जलधारा अथवा कुएं किसी भी संयंत्र अथवा बर्तन से लिए गए किसी भी सीवेज (मलजल) अथवा व्यापारिक अवशिष्ट के नमूनों से जल नमूने ले सकता है और निर्धारित पद्धति यह है कि नमूना लेने तथा उसका

विश्लेषण करने के उद्देश्य का एक नोटिस दिया जाए। इसके बाद संयंत्र अथवा वाहिका के कार्यप्रभारी की उपरिथिति में नमूने लिए जाएं। विश्लेषण हेतु नमूने लेने का तरीका राज्य बोर्ड अथवा/तथा केन्द्रीय जल प्रयोगशाला द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा स्थापित प्रयोगशाला द्वारा बनाया गया होना चाहिए। आपातकालीन परिस्थिति वाले मामले में जहां किसी संयंत्र अथवा वाहिका से निकलने वाले अवशिष्ट के बहाव के कारण किसी जल प्रवाह अथवा कुएं अथवा

भूमि पर कोई विषेला प्रदूषण उपस्थित है तो राज्य बोर्ड अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत संयंत्र वाहिका के कार्यप्रभारी को किसी भी जल प्रवाह अथवा भूमि या इस प्रकार के प्रदूषक तत्वों को प्रवाहित करने से रोक सकता है अथवा प्रतिबंधित कर सकता है अनुच्छेद 33 के अनुसार ऐसे


मामलों में जहां किसी भी जल प्रवाह का जल ऐसे जल-प्रवाह अथवा कुएं अथवा मल-जल (सीवर) अथवा भूमि पर किसी पदार्थ के फेंके जाने की वजह से दूषित हो सकता है, वहां बोर्ड किसी ऐसे न्यायालय जो मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के जुड़ीशियल मजिस्ट्रेट से

कम न हो, से उन लोगों को रुकने की अपील। कर सकता है जो प्रदूषण फैला सकता है। उचित जांच के पश्चात न्यायालय एकादेश पारित करके ऐसे लोगों को जल को प्रदूषित करने से रुकने के लिए तथा प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को जलधारा अथवा कुएं से हटाने में समर्थ है।

केवल राज्य बोर्ड द्वारा शिकायत किये जाने पर बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत किये जाने पर भी कर सकता है जिसने आरोपित अपराध के लिए कम से कम 60 दिन का एक नोटिस दिया हो तथा बोर्ड के पास

शिकायत करने की अपनी इच्छा प्रकट कर चुका/चुकी हो। ऐसे ही प्रावधान वायु (निरोध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 में दिये गये हैं।

# बदलाव की शुरूआत



तकनीक का विकास दुनियाभर को नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ा रहा है और इसने काला सोना यानी कोयले के भविष्य को चुनौती दे दी है। भारत में अन्तिम कोयला बिजली संयंत्र 2050 तक बन्द हो सकता है। चंद्र भूषण का विश्वेषण

बदलाव की शुरूआतवह मई 2030 है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में रहने वाली सुनिधि परमेश ने राहत की साँस ली है क्योंकि अब वह बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हे में नाश्ता बनाकर अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकती है। बेटियाँ इस साल अच्छे अंक लाइ हैं। इसका बड़ा ब्रेय छत पर लगे 500 वाट के सौर पैनल और 3 किलोवाट प्रति घंटा ('हँ') बैटरी बैंक को जाता है। उनके पाति महेश ने बैंक से लोन लेकर कुछ साल पहले इन्हें लगवाया था। इस सिस्टम से उन्हें 24 घंटे बिजली मिल जाती है। यह बिजली से घर में रखे रेफ्रिजरेटर, टीवी और बिजली से चलने वाले एक ई-स्क्रूटर के लिये पर्याप्त है। सुनिधि को अब इंधन के लिये लकड़ियाँ लाने पैदल नहीं जाना पड़ता और न ही एलपीजी रिफिल का इन्तजार करना पड़ता है। यहाँ तक की अब उनकी बेटियाँ आधी गत को भी पढ़ाई करती हैं और हर समय इंटरनेट भी मिल जाता है। महेश ने डिप सिंचाई के लिये अपने 2 एकड़ के खेत में सौर जल पम्प भी लगवा लिया है। उन्हें हर महीने बिजली का

बिल जमा करने से भी मुक्त मिल गई है। सौर ऊर्जा से बची हुई बिजली को वह दिल्ली की एक कम्पनी को बेचते हैं।

राजधानी में ऐसी करीब 20 कम्पनियाँ हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा खरीदती हैं उपभोक्ताओं को लुभाने के लिये पर्यावरण दितोषी होने का प्रचार करती हैं। दो बड़ी बिजली वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम) की दुकान बन्द हो गई है। इनके बदले वितरण प्रिड की देख-रेख के लिये हर नगरपालिका में एक कम्पनी है। सौर और पवन के बिजली का सस्ता स्रोत बनने के बाद कोयले से बनी बिजली खरीदने वाले कम हैं, इसलिये कोल ईडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपनी खदानें बन्द करनी शुरू कर दी हैं। अब कोयला बिजली संयंत्रों के लिये सरकार की मदद ही सहारा बनी हुई है।

भारत ऊर्जा के मामले में लोकतात्रिक होने का जश्न मना रहा है, सैकड़ों और हजारों घर बिजली का उत्पादन जो कर रहे हैं। उपभोग के साथ ही वे बिजली की पैदा कर रहे हैं। बिजली तक वैश्विक पहुँच के लिये सरकार गरीबों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी पहुँचा रही है ताकि वे अपनी पसन्द की कम्पनी से बिजली खरीद सकें।

अब वर्तमान में आते हैं : सरकार चार करोड़ घरों को दिसम्बर 2018 तक बिजली उपलब्ध कराने और



बिजली की कीमतों को कम करने के लिये कोयले की खदानों में भारी निवेश कर रही है। सरकार की मंशा है कि सीआईएल 2019-20 तक हर साल एक एक अरब टन कोयले का उत्पादन करे। 2016-17 में यह उत्पादन 55.4 करोड़ टन था। सरकार कोयले के भण्डार वाले 5,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नई खदानें शुरू करना चाहती है। सबको एलपीजी मुहैया कराने के लिये शहरों में नई पाइपलाइन डाली जा रही है। इसके अलावा डिस्कॉम को घाटे से उबारने के लिये महत्वाकांक्षी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेस (उदय) लागू की जा रही है।

ये सभी प्रयास चमकदार भविष्य की तस्वीर बना करते हैं। तथ्य यह है कि भारत एक ऐसे सपने का पीछा कर रहा है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। पूरी दुनिया ऊर्जा के एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आने वाले कुछ दशकों में ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने वाले हैं। ऊर्जा का जो परम्परागत ढाँचा इस वक्त स्थापित किया जा रहा है वह अपनी आर्थिक उम्मे से पहले ही इस्तेमाल में नहीं रहेगा। चीन में यह अभी अनुभव और उपभोग भी कर रहे हैं। 2010 से चीन ने कोयले से बिजली उत्पादन क्षमता में करीब 3,00,000 मेगावाट ( $^6$ ) की वृद्धि की है। इसकी वर्तमान क्षमता 9,50,000  $^6$  है जो

भारत से तीन गुणा ज्यादा है। 2011 से 2016 के बीच इन संयंत्रों से चीन के संयंत्रों के औसत उत्पादन घटों में 5305 घटे तक की गिरावट हुई है। पहले संयंत्र साल में 8760 घटे काम करते थे जो अब 4165 घटे ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2016 में चीन के कोयले संयंत्र अपनी क्षमता से आधे से भी कम पर काम कर रहे थे। फरवरी 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कोल ऊर्जा के निवेशकों को 28 से 65 लाख करोड़ रुपए तक नुकसान हो सकता है क्योंकि यह लाभकारी नहीं रहेगा या इसे पर्यावरण के कारणों से बन्द करना पड़ेगा।

पिछले 5 सालों में यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसईआईए) और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने कोयले के उपभोग का अपना अनुमान कम कर लिया है। यूएसईआईए ने 2013 में इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2010 और 2040 के दौरान वैश्विक कोयले के उपयोग में 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। इसकी 2017 की रिपोर्ट में, 2015 और 2050 के बीच कोयले के उपयोग में स्थिरता का अनुमान लगाती है। आईईए ने अपनी 2016 की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2040 तक वैश्विक कोल उपभोग की दर में ठहराव आ जाएगा। इसने 2012 में जारी रिपोर्ट में माना था कि 2010-2035 के बीच कोयले के उपभोग में 18 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी।

ऐसे क्या कारण रहे जिन्होंने यूएसईआईए और आईईए को अपना नजरिया बदलने के लिये मजबूर किया? इसका विश्वेषण करने के लिये जरूरी है कि उन अहम ताकतों को समझें जो दुनियाभर में उपभोक्ताओं के व्यवहार और व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद उन तकनीक खोजों को भी समझें जिसमें इन ताकतों के कारण बहुत तेजी से विकास हो रहा है।

ऊर्जा हासिल करने की वैश्विक प्रतिबद्धता

सुनिश्चित करो कि 2030 तक वहनीय, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा तक वैश्विक पहुँच हो। यह संयुक्त राष्ट्र का सातवाँ सतर विकास का लक्ष्य (स्टेनेबल डेवलपमेंट गोल) है। इतिहास में कभी ऊर्जा की पहुँच खासकर बिजली को लेकर इतना ध्यान नहीं दिया गया।

विश्व में करीब सौ करोड़ लोगों की बिजली तक पहुँच नहीं है। इन लोगों को बिजली मुहैया कराने के लिये 2030 तक हर साल करीब 325 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। यह ऊर्जा के क्षेत्र में वार्षिक निवेश का दो गुना है। 2030 तक बिजली की वैश्विक पहुँच के लिये निवेश में अन्तर है तथापि विश्व भर में इस दिशा में निवेश बढ़ा है। विश्व के 20 मुख्य देशों में बिजली की पहुँच के लिये 2013-14 के बीच निवेश 1870 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010 करोड़ रुपए हो गया है। इथियोपिया और बांग्लादेश जैसे देश भी अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 2-3 प्रतिशत निवेश खासकर बिजली की पहुँच पर कर रहे हैं। अन्तरराष्ट्रीय वित्त का सहयोग भी इस दिशा में बढ़ा है। अमेरिकी सरकार अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर सब-सहारन अफ्रीका में बिजली की क्षमता दोगुना करने की दिशा में कम कर रही है।



क्या वैश्विक कोयला उपभोग अपने चरम पर पहुँच गया? अफ्रीका देश नाइजीरिया में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये 22,500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत अफ्रीका में लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा से बड़ी संख्या में बिजली सुनिश्चित करने की पहल की गई है। वहाँ भी जोरों से ऊर्जा पहुँचाने पर काम हो रहा है। ऊर्जा से वर्चित भारत के तीस करोड़ लोगों को बिजली और पचास करोड़ लोगों को शुद्ध ईंधन अब तक नहीं पहुँचा है। सरकार ने हाल ही में 2018 तक लोगों को बिजली मुहैया कराने के लिये अबों रुपए की महत्वाकांक्षी पहल की है। इस दिशा में हो रहे निवेश का फायदा आगे अलग जगह पर भी होगा।

उदाहरण के लिये अभी खाना बनाने के लिये स्वच्छ ईंधन का मतलब एलपीजी या बायोमास स्टोब है। बिजली में सुधार के साथ बिजली चालित कुकिंग स्टोब खाना बनाने के लिये स्वाभाविक पसन्द होंगे। विकसित देशों में ऐसा देखा गया है।

स्वच्छ हवा की बढ़ती माँग

पिछले पाँच सालों में शहरों में हवा की खराब गुणवत्ता ने वैश्विक जागरूकता को बढ़ाया है। दूषित हवा से हो रही मौतों और बीमारियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हर साल 325 लाख करोड़ रुपए का भार डाला है। भारत में इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 5 प्रतिशत का नुकसान होता है। साफ हवा के लिये स्थानीय प्राधिकरण कठोर उपाय कर रहे हैं। चीन ने प्रदूषण वाली जगह पर कोयले के संयंत्र

लगाने बन्द कर दिए हैं। बीजिंग नियमित रूप से कोल ऊर्जा संयंत्र बन्द कर रहा है।

भारत में पहली बार दिल्ली स्थित बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को हवा को साँस लेने लायक बनाने के लिये शीत काल में बन्द कर दिया है। पेरिस, मेडिन, एथेस और मैक्सिको सिटी ने 2025 तक डीजल वाहन बन्द करने के लिये योजना बनाने की घोषणा कर दी है। भारत और चीन भी बड़े पैमाने पर बिजली चालित वाहनों को चलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। साफ हवा की खातिर परिवर्तन की यह लय ऊर्जा और परिवहन सेक्टर में काफी बदलाव ला रही है।

जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता

यह तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण ताकत है जो ऊर्जा की आधारभूत संरचनाओं में बदलाव की माँग कर रही है। जलवायु परिवर्तन न केवल गरीबों बल्कि अमीरों को भी अब चोट पहुँचाने लगी है। इस साल अमेरिका ने कई तूफानों का सामना किया है। अनुमान के मुताबिक, इससे अमेरिका को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा है। इन तूफानों से जिन परिस्थितियों को नुकसान पहुँचा उन्हें बनाने में कई साल लग जाएँगे। इसी तरह भारत में अतिशय बारिशों और सूखे ने शहरी और ग्रामीण इलाकों को अपनी चेपेट में लिया है। यूरोप और एशिया में गर्म हवाओं या लू (हॉट ब्रेंड) से जगलों में आग लग रही है और लोग मर रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए जनमत बनाने लगा है कि जलवायु परिवर्तन के लिये उपाय जल्द करने होंगे।

पेरिस समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के अलग होने और उत्सर्जन में कटौती में असफल रहने

के बावजूद व्यापारी और स्थानीय सरकारें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रतिबद्ध हैं। विश्व के सबसे बड़े 75 से ज्यादा शहरों सी-40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप का गठन किया है। उन्होंने प्रण लिया है कि वे अने वाले तीन दशकों में उत्सर्जन में कमी करेंगे। सितम्बर में नाइकी, गैप, लेवी स्ट्रॉस समेत छह बड़ी कम्पनियों ने कपड़ा सेक्टर की 300 से ज्यादा कम्पनियों से हाथ मिलाकर प्रण लिया कि वे विज्ञान आधारित जलवायु लक्ष्य निर्धारित करेंगी। ये परिवर्तन भले ही अभी पर्यास न हों लेकिन प्रत्यक्ष जरूर हैं। साल 2006 में 1990 के दशक के बाद सबसे कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कोयले का कम उपभोग और दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा का आधिक्य। लगातार तीसरे साल जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भी लगभग न के बराबर बढ़ोत्तरी हुई। तीन प्रतिशत वैश्विक आर्थिक विकास के बावजूद यह सम्भव हुआ।

इन तकतों ने उन्नत तकनीक को ऊर्जा सेक्टर में चिर परिचित रास्ते को बदलने के लिये प्रेरित किया। ऐसे पाँच तकनीकी चलन हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारी बदलाव की गवाही दे रहे हैं। भारत भी इनसे काफी प्रभावित है क्योंकि ये स्वच्छ भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

**चलन 1- नवीकरणीय ऊर्जा के दाम में भारी कमी:** सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) संयंत्र के दामों में पिछले छह वर्षों में भारी गिरावट हुई है। इंटरनेशनल रिनेवेबल एनर्जी एजेंसी (आईआईएनए) के अनुसार, 2009 से 2015 के अन्त तक पीवी मॉड्यूल के दाम 80 प्रतिशत तक गिरे हैं।

भारत में 2010 से 2016 के बीच सौर पीवी संयंत्र की लागत हर साल 20 प्रतिशत कम हुई है। इसी तरह यूटीलिटी स्केल यानी बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली की लागत कम हुई है। दिसम्बर 2010 में यह 12 रुपए 'हौं थी जो मई 2017 में 2.5 रुपए 'हौं हो गई। वर्तमान में सौर ऊर्जा की लागत एनटीपीसी की बिजली के औसत दाम से 20 प्रतिशत कम है। सबसे बड़ी बिजली निर्माता एनटीपीसी की बिजली की कीमत कोयला चालित परियोजनाओं से बनती है।

सौर ऊर्जा के दामों में भारी गिरावटपन ऊर्जा भी सस्ती हो रही है, हालांकि यह गिरावट सौर ऊर्जा जितनी नहीं है। वैश्विक स्तर पर तटवर्ती पवन ऊर्जा की पूँजी लागत 2015 में 1,01,400 'हौं थी जबकि 1983 में यह लागत 3,09,790 रुपए 'हौं थी। साफ है कि इस दौरान लागत में दो तिहाई की गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त चीन और भारत में पवन ऊर्जा स्थापित करने की लागत सबसे कम है। फरवरी 2017 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने 1000 टह निविदा के दौरान पवन ऊर्जा की लागत 3.46 रुपए 'हौं आंकी थी। यह आयातित कोयले के जरिए उत्पन्न बिजली से सस्ती है। हाल में भारतीय सौर ऊर्जा निगम की 1000 टह की पवन ऊर्जा निविदा में इसकी लागत 3.3 रुपए 'हौं बताई गई है। आने वाले 10 सालों में यह दर काफी कम होने की सम्भावना है। आईआईएनए के अनुसार, 2015 के स्तर के मुकाबले 2025 में सौर पीवी की वैश्विक लागत 59 प्रतिशत तक कम हो सकती है। जबकि तटवर्ती पवन ऊर्जा की दर 26 प्रतिशत तक गिर सकती है।

2025 के भारत में विद्युत ग्रिड मुक्त घर संभव होंगे चलन 2- प्रभावी और सस्ती बैटरी : अक्टूबर 2016 में टेस्ला के एलोन मस्क ने पावरवाल-दो से पर्दा उठाया था। यह लीथियम आयन बैटरी का भण्डार था जो 14 'हौं तक बिजली का संग्रह कर सकती है और 15 साल तक चल सकती है। यह सौर पैनल के साथ इस तरह डिजाइन की गई है कि घरों को ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भारत में एक उच्च मध्यम वर्ग परिवार दो पावरवाल ऑनलाइन खरीदकर ग्रिड की बिजली से मुक्त हो सकता है। इसके लिये उन्हें करीब 8 लाख रुपए देने होंगे। इसके अतिरिक्त छत पर लगाने के लिये 10 'हौं का सौर संयंत्र 6 लाख रुपए में खरीदना होगा। आज ग्रिड की बिजली से मुक्त होने की लागत मध्यम दर्जे की कार की कीमत के बराबर हो गई है।

दिसम्बर 2016 में टेस्ला ने दक्षिण कैलिफोर्निया एडिसन के लिये ग्रिड से जुड़ी बैटरी स्थापित की। यह कम्पनी दक्षिण कैलिफोर्निया में बिजली की आपूर्ति करती है। 80 टह्न की बैटरी उस वक्त बिजली का भण्डारण कर लेती है जब माँग कम होती है और अधिक माँग के समय (पीक आवार्स) में ग्रिड को बिजली देती है। पहले गैस व ऊर्जा संयंत्रों में काम करती थी। टेस्ला अब दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिये 129 टह्न बैटरी में पवन ऊर्जा का भण्डार एकत्र कर रही है और इसे कम दाम पर उपभोक्ताओं को बेच रही है। यह करने वाली टेस्ला अकेली कम्पनी नहीं है। बहुत सी कम्पनियां इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। साल 2016 में इन कम्पनियों ने ग्रिड स्केल बैटरी भण्डारण में 6500 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

अब वापस भारत में आते हैं। भारत में ग्रिड से जुड़ी बैटरी भण्डारण सिस्टम पर कई पायलट प्रोजेक्ट प्राप्ति पाए हैं। पुदुच्चेरी में तीन तकनीक-एडवार्स लेड एप्सिड, लीथियम आयन और एल्क्लाइन फ्लो बैटरी का परीक्षण चल रहा है। इसमें दिन में ऊर्जा का संग्रह रात में इस्टेमेल किया जा रहा है।

ये उदाहरण बताते हैं कि आज हमारे पास ऐसी बैटरियां हैं जो बड़ी मात्रा में बिजली का भण्डारण कर सकती हैं जो कोयले से उत्पन्न और गैस चालित ऊर्जा संयंत्र की तरह बिजली उपलब्ध करा सकती हैं। इन बैटरियों में तेजी से सुधार भी हो रहा है। भविष्य की बैटरी और अधिक ऊर्जा का भण्डारण करेगी। साथ ही तेजी से चार्ज और खत्म होगी। अधिक स्थिर और सुरक्षित होगी। और सबसे जसूरी बात यह कि आज की बैटरीज से 70-80 प्रतिशत सस्ती होगी।

बैटरियों के दाम गिर रहे हैं। लीथियम आयन का दाम साल 2010 से 50 प्रतिशत तक कम हो गए हैं। केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अभी लीथियम आयन की भण्डारण लागत 12.6 रुपए 'हौं है जो 2025 में गिरकर 3.5 रुपए 'हौं हो सकती है।

3.5 रुपए प्रति 'हौं भण्डारण लागत और 3 रुपए 'हौं सौर रूफटॉप संयंत्र की उत्पादन लागत के साथ भारत के घर 2025 तक ग्रिड से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा इसलिये क्योंकि 2025 तक हर घर में सौर रूफटॉप समेत बैटरी पर खर्च 6 रुपए 'हौं होगा जबकि बिजली कम्पनियां 7 रुपए वसूल करेंगी।

चलन 3- घर, घरेलू सामान कार्यक्रम होंगे : वैश्विक ऊर्जा का सबसे अधिक उपभोग करने वाले 80 से ज्यादा देशों ने घरेलू सामान और वाहनों के लिये एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग (ईईएसएल) कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। पिछले सालों में उद्योग, इमारतों और परिवहन में ऊर्जा दक्षता निगमन अनिवार्य रूप से दोगुना हो गई है। आईईए के अनुसार, ऊर्जा दक्षता में सुधार ने दुनिया की कुल ऊर्जा की माँग में काफी बढ़ि सीमित की है। ऊर्जा दक्षता की गति ऐसी है कि 2016 में ऊर्जा के दाम में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद उस साल दक्षता में अधिक निवेश हुआ। यूएसईआईए के अनुसार, ऊर्जा दक्षता में सुधार की गति आगे भी जारी रहेगी। यह वैश्विक ऊर्जा में अधिकता को कम करने में काफी मददगार होगी। अगर 2015 के स्तर की बात करें तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के दोगुना होने पर भी 2040 तक वैश्विक ऊर्जा उपभोग 28 प्रतिशत ही बढ़ेगा। इसी तरह जीडीपी की ऊर्जा गहनता यानी 65000 रुपए जीडीपी के उत्पादन के लिये उपभोग की गई ऊर्जा भी इस अवधि में गिरकर आधी हो जाएगी।

यह तथ्य है कि ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में बिना शोर-शारबे के एक क्रान्ति हुई है, खासकर घरेलू सामान में दक्षता के मामले में। 1990 में एक बल्ब 60 वाट और सीलिंग पंखा 150 वाट बिजली की खपत करता था। आज हमारे पास एलईडी बल्ब हैं जो सिर्फ 7 वाट बिजली की खपत करता है और 1990 के बल्ब से 20 गुण ज्यादा चलता है। पंखा भी अब 25 वाट बिजली की खपत करता है। 1980 के दशक में 24 इंच की सीआरटी टीवी 150 वाट बिजली की खपत करता था। अब उसी आकार का एलईडी टीवी महज 24 वाट में चलता है। ऐसी की ऊर्जा दक्षता भी 1990 के दशक से सात गुना बढ़ी है। इसी तरह फ्रिज की दक्षता में भी 6 गुण सुधार हुआ है।

हम अति दक्ष सामान के युग में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर सौर पीवी के स्थापन और इसका प्रचार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर मिनी ग्रिड और शहरी इलाकों में सौर रूफटॉप के कारण अब डीसी घरेलू सामान उपयोग में लाए जाएँगे। ये सामान ऐसी सामान के मुकाबले में दोगुनी दक्षता के होंगे।

आज ऐसी व्यावसायिक और आवासीय इमारत बनानी सम्भव है जो परम्परागत इमारतों के मुकाबले 70 प्रतिशत कम बिजली का उपयोग करेंगी। और इसकी भरपाई पाँच साल से भी कम अवधि में हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) के 2017 संस्करण नई व्यावसायिक इमारतों के लिये 25 प्रतिशत बिजली की बचत अनिवार्य कर रहे हैं। साथ ही इसने 50 प्रतिशत बिजली बचाकर इमारतों को सुपर ईसीबीसी श्रेणी हासिल करने के लिये रोडमैप प्रदान किया है। सभी इमारतों की कक्षाओं में ईसीबीसी अनिवार्य करके और सामान में स्टार रेटिंग कार्यक्रम मजबूत करके भारत आसानी से 2030 तक इमारतों की दक्षता में तीन गुना सुधार कर सकती है।

चलन 4- बिजली गतिशील हो रही है : विश्व में केवल 21 प्रतिशत अन्तिम ऊर्जा का उपभोग बिजली के रूप में हो रहा है। तेल, गैस कोयला और बायोमास जैसे ईंधन बाकी 79 प्रतिशत अन्तिम ऊर्जा में योगदान

देते हैं। इन ईंधनों का इस्तेमाल परिवहन, उद्योग और भवनों में खाना बनाने और गर्मी के लिये होता है। आज हमारे पास ऐसी तकनीक है जिससे हम इन ईंधनों का प्रत्यक्ष प्रयोग बन्द कर सकते हैं और इनके बदले बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। विमानों, जहाजारी, भारी ड्यूटी सड़क परिवहन, सीमेंट, लौह, स्टील, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों में ऐसा किया जा सकता है। आईईए के अनुसार, 2014 से 2040 के बीच विश्व में बिजली की माँग 70 प्रतिशत बढ़ जाएगी और आधी से ज्यादा माँग की पूर्ति नवीनीकरण से होगी। 2016 में पहली बार बिजली सेक्टर ने तेल और गैस सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा निवेश अर्जित किया। यह निवेश इसलिये बड़ा है क्योंकि बाजार के कुछ क्षेत्र तुरन्त इस बिजली का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

उद्योग को ऐसा करने में वक्त लगेगा। लेकिन दो क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ईंधन से बिजली पर आ सकते हैं। वह दो क्षेत्र हैं निजी वाहन और इंडक्शन कुरिंग।

विश्व की हर बड़ी ऑटोमोबाइल कम्पनी ने या तो बिजली से चलने वाली कार पेश कर दी है या उनकी योजनाओं में है। यह सब पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। सबसे पहले चीन ने ई वाहनों की दिशा में बड़ी पहल की। यहाँ 2016 में बिजली से चलने वाली 7,50,000 कारें बेची गईं। करीब 20 लाख ई-कारों का भण्डार रखा गया। इनमें से 40 प्रतिशत कारें चीन में बिक गईं। हाल में भारत ने भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को बन्द करने की योजना की घोषणा की है। 2030 तक यहाँ बिजली से चलने वाले वाहन ही चलेंगे। आईईए के ग्लोबल ईवी आउटलुक 2017 के अनुसार, 2025 तक सड़कों पर ई वाहन 4-7 करोड़ तक बढ़ जाएंगे। हालांकि ऑटोमोबाइल के कुछ जानकारों का अनुमान है कि 2030 तक बिकने वाली हर तीन में से एक कार बिजली चालित होगी।

बिजली से चलने वाली कारों के मुकाबले बिजली चालित दुपहिया वाहनों की अच्छी शुरूआत हुई है। अकेले चीन ने 20 करोड़ दुपहिया बेच दिए हैं। भारत में यह आँकड़ा पाँच लाख ही है लेकिन सभी बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता कम्पनियाँ बिजली से चलने वाले वाहनों के नए मॉडल ला रही हैं।

सरकार की योजना फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, भारत में 2020 तक 250 लाख बिजली चालित दुपहिया वाहन होने चाहिए। उद्योग के जानकारों का कहना है कि अगर ठीक से प्रोत्साहन दिया जाए तो 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

ई वाहनों में तेजी से विकास की तरह ही इंडक्शन कुरिंग के विकास में भी तेजी आएगी। इंडक्शन कुरिंग खाना बनाने के लिये सबसे दक्ष और सबसे सस्ते माध्यम के रूप में उभरा है। आज एक चूहे वाला इंडक्शन स्टोव दो हजार रुपए से कम दाम पर उपलब्ध है। पाँच सदयों का एक परिवार इंडक्शन कुरिंग अपनाकर एलपीजी के मुकाबले कम-से-कम 30 प्रतिशत ईंधन का खर्च कर सकता है। क्या भारत को थोस खाना बनाने के ईंधन से इंडक्शन कुरिंग में

शिफ्ट कर जाना चाहिए या एलपीजी में निवेश करना चाहिए? सरकार के लिये यह अहम सवाल है जो ऊर्जा तक वैश्विक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में कई हजार-करोड़ खर्च कर रही है।

चलन 5- स्मार्ट ग्रिड का विस्तार : स्मार्ट ग्रिड एक बिजली का नेटवर्क है जो ऊर्जा के सभी स्रोतों खासकर नवीकरणीय ऊर्जा पर नजर रखने के लिये विकसित हुआ है। यह बिजली की माँग को पूरा करने के लिये डिजिटल एवं उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करता है। स्मार्ट ग्रिड, को दो दिशाओं में काम करने की अनुमति देता है। इससे उपभोक्ताओं को विक्रेता बनाने से सहलियत होती है। यह माँग और पूर्ति को प्रतिबन्धित करने के लिये दिन के अलग-अलग समय में अलग दर का समर्थन करता है। 2020 तक स्मार्ट ग्रिड का बाजार 14.30 लाख करोड़ और 2030 तक 32.50 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बहुत से देश स्मार्ट ग्रिड पर काम कर रहे हैं या इस दिशा में अगे बढ़ रहे हैं। भारत में 2010 में इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स (आईएसजीटीएफ) और इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (आईएसजीएफ) के गठन के साथ स्मार्ट ग्रिड की शुरूआत हुई थी। आईएसजीटीएफ नीति-निर्देश प्रदान करने के लिये बना एक अन्तर्राष्ट्रीय समूह है। आईएसजीएफ स्मार्ट ग्रिड तकनीक के विकास को गति देने के लिये सार्वजनिक और निजी हितधारकों का एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संघ है। सरकार ने 2015 से 338 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन से राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की शुरूआत की थी।

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने देश भर में 11 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो स्मार्ट ग्रिड के विभिन्न क्रियाकलापों से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त उदय योजना के तहत फीडर वितरण और ट्रांसफॉर्मर स्तर पर बड़े उपभोक्ताओं के लिये स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

गतिशीलता में बदलते सुरभारत स्मार्ट ग्रिड की तरफ केवल नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि वितरण से जुड़ी कई बुनियादी समस्याओं जैसे उच्च संचरण (हाई ट्रांसमिशन) एवं वितरण घाटा, बिजली चोरी, बार-बार लोड शेडिंग एवं कम वोल्टेज को सुलझाने के सन्दर्भ में देख रहा है। स्मार्ट ग्रिड तकनीक में इनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान निहित है। उदाहरण के लिये स्मार्ट मीटर एवं उन्नत मीटरिंग आधारभूत संरचना से उपभोक्ताओं व ट्रांसफॉर्मर स्तर पर बिजली चोरी और बिलिंग में सुधार की सम्भावना है। सबस्टेशन में सुधार से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस तरह थोड़े वक्त में स्मार्ट ग्रिड बिजली कम्पनियों को सेवा में सुधार और नुकसान कम करने में मददगार साबित होगा। लेकिन दौर्धकाल में वितरण क्षेत्र से जुड़ी बड़ी बिजली कम्पनियों के बन्द होने का रास्ता बनाएगा और उन्हें खत्म कर देगा।

ये पाँच तकनीकी चलन भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर गहरा असर डालेंगे। आईए अब इसके दो मौलिक प्रभावों को देखते हैं। ये प्रभाव हैं कोयले और बड़ी एकीकृत डिस्कोर्म का अन्त।

अन्त की शुरूआत

जनवरी 2017 के मध्य में लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में एक विचित्र खबर आई। खबर थी,

भारत को 2027 तक नए कोयला बिजली संयंत्रों की जरूरत नहीं है, सिवाए उन 50 गीगावाट (एक गीगावाट = 1000 मेगावाट) क्षमता के जो निर्माणधीन हैं। इसकी घोषणा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई थी। सीईए देश की मुख्य बिजली योजना प्राधिकरण है। कोयला-बिजली मन्दी के बारे में कई भी बात, कुछ साल पहले तक एक उलट विचार माना जाता था। 2020 तक 150 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करने के लिये नई कोयला खदानों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। ये मुख्यतः बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक था। 2007-2012 के दौरान, दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के मुताबिक 2,20,000 टह क्षमता वाले कोयला बिजली संयंत्रों को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई थी और इससे भी कई और संयंत्र को मंजूरी मिलने की बात थी। तो, इन सभी प्रस्तावित संयंत्रों का क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो इस निर्णय के बदलाव का कारण बनाया गया है?

सीईए का बिजली की माँग पर ये असहज पूवार्नुमान और कैसे इसे पूरा किया जाएगा, यही इस बदलाव के लिये जिम्मेदार है। सीईए ने अपने इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) में बिजली की माँग में लगातार उच्च वृद्धि दर का पूवार्नुमान दिया है जो कभी पूरा नहीं हुआ। ईपीएस हर पाँच साल में प्रकाशित किया जाता है और इस क्षेत्र में विकास के लिये रोडमैप तैयार किया जाता है। ईपीएस द्वारा किया गया अधिमूल्यांकन का परिणाम कोयला बिजली क्षेत्र में अधिक्षमता के रूप में निकला इसके अलावा, वर्तमान सरकार द्वारा 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 175 टह स्थापित करने का लक्ष्य तय किए जाने से पहले तक, सीईए ने पारम्परिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को कमतर ही अँका।

अधिक माँग के अनुमानों का असर यह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, पारम्परिक स्रोतों से 88,537 टह के लक्ष्य के मुकाबले 99,209 टह क्षमता की स्थापना की गई। यह भारतीय बिजली क्षेत्र के इतिहास में पहली बार हुआ जो कि लक्ष्य का 112 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया गया। अगर हम 12वीं योजना के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित हुए हैं तबस्को जोड़ें तो अप्रैल 2017 में, भारत में 160 टह की माँग के मुकाबले 327 टह क्षमता स्थापित की। नीतीजतन, कोयला आधारित बिजली संयंत्र 60 प्रतिशत के प्लाट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर संचालित हुए। इसका मतलब है कि वे अपनी क्षमता के सिर्फ 60 प्रतिशत पर ही काम कर रहे थे।

अगर हम अगले 10 वर्षों में बिजली की माँग और मौजूदा बिजली संयंत्रों की क्षमता के साथ-साथ निर्माणधीन संयंत्र और जो पाइपलाइन में है, विशेष रूप से, सौर और पवन संयंत्रों की, तुलना करें तो कोल पावर सेक्टर के पीएलएफ में सुधार की सम्भावना नहीं है।

गलत पूवार्नुमान ने खेल बिगाड़ा 2021-22-कोयला बिजली क्षेत्र (कोल पावर सेक्टर) का पीएलएफ आगे घेटा : 2017 में प्रकाशित नवीनतम 19वीं ईपीएस के अनुसार 2021-22 के लिये पूरे देश की अनुमानित बिजली आवश्यकता और उच्च (पीक) माँग 1566 बिलियन यूनिट 'हॉं (बीयू) और 226 टह है। 2026-27 के लिये, अनुमानित बिजली आवश्यकता 2047 बीयू है और अनुमानित पीक डिमांड (उच्च माँग) 299 टह है। अगले 10 वर्षों में

बिजली आवश्यकता में वार्षिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह पिछले 10 वर्षों में हुई वृद्धि के समान ही है।

आइए अब आने वाले सालों में स्थापित होने वाले या लक्षित नए बिजली संयंत्र पर विचार करें:

1. 2017-22 के दौरान, लगभग 50 त्रह की नई कोयला आधारित बिजली संयंत्र चालू होने की सम्भावना है।

2. मार्च 2022 तक, 2,800 टह परमाणु रिएक्टर को चालू किया जाएगा।

3. 2021-22 तक, लगभग 15 त्रह पनबिजली संयंत्र आने की सम्भावना है।

4. 2022 तक लगभग 4 त्रह गैस आधारित बिजली संयंत्र के चालू होने की सम्भावना है।

5. भारत ने 2021-22 तक 175 त्रह नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2016-17 तक 57 त्रह पहले ही स्थापित किया जा चुका है। लक्ष्य को पूरा करने के लिये अगले पाँच वर्षों में अतिरिक्त 118 त्रह स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन नियामक और बाजार से जुड़े मुद्दों के कारण इस लक्ष्य के पूरा होने की सम्भावना नहीं है। इसकी जगह, 2022 तक 125 त्रह नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना यथार्थवादी है। इसलिये, 2017 और 2022 के बीच भारत केवल 70 त्रह ही स्थापित करेगा।

.यदि इन सभी प्लांट्स को चालू कर दिया जाए, तो 2022 तक अनुमानित स्थापित क्षमता 470 त्रह होने की सम्भावना है। यह 2021-22 के लिये आवश्यक बिजली और पीक लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी होगा। वास्तव में, कोयला बिजली संयंत्र का पीएलएफ 2021-22 में 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, 2021-22 तक भारत में वास्तविक बिजली की माँग के मुकाबले कहीं बहुत अधिक स्थापित क्षमता होगा।

लेकिन 2026-27 में क्या होगा? 2021-22 में जो भी क्षमता है, क्या उससे भारत 2026-27 की अपनी बिजली माँग को पूरा कर पाएगा?

2026-27- गैर-जीवाश्म ईंधन की स्थापित क्षमता जीवाश्म ईंधन से अधिक होगा : सीईए अनुमानों के मुताबिक, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जो गति है, उससे 2021-22 और 2026-27 के बीच अतिरिक्त 100 त्रह अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। सीईए 2022-27 के दौरान 12 त्रह जल विद्युत क्षमता की स्थापना का भी अनुमान दे रहा है। इसके अलावा, 4.8 त्रह क्षमता के परमाणु संयंत्र भी 2026-27 तक चालू होने की सम्भावना है। सीईए मॉडलिंग से पता चलता है कि अगर ये क्षमताएँ काम करती हैं तो भारत को 2022-2027 के दौरान कोई भी कोयला या गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2021-22 में मौजूदा कोयला क्षमता, 2026-27 के ऊर्जा और पीक लोड माँग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा। वास्तव में, 2026-27 में कोल पावर प्लांट का पीएलएफ 60 प्रतिशत तक पहुँच पाएगा।

2026-27 में पहली बार, गैर-जीवाश्म ईंधन की स्थापित क्षमता जीवाश्म ईंधन से अधिक होगी। कोयला और गैस स्थापित क्षमता केवल 46.5 प्रतिशत ही योगदान देंगे। शेष अक्षय ऊर्जा, पनबिजली और परमाणु

प्लांट से आएगा। फिर भी 2026-27 में, कोयला और गैस आधारित बिजली संयंत्रों से 65 प्रतिशत बिजली उत्पन्न की जाएगी। शेष गैर-जीवाश्म ईंधन से आएगा। लगभग 16.5 प्रतिशत सौर और पवन ऊर्जा से आएगा।

2031-32- कोयला बिजली संयंत्रों के अन्त की शुरुआत : 2026-27 के बाद की दुनिया अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरत पूरी करेगा। 2017-27 के दौरान, प्रत्येक 1 टह कोयला क्षमता के लिये, भारत कम-से-कम 3 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। 2026-27 तक, पवन और सौर ऊर्जा, कोयला प्लांट, ऊर्जा क्षेत्र पर हावी होगी। तो क्या भारत को 2027 के बाद नए कोयला बिजली संयंत्रों की जरूरत है?

यह दो कारकों पर निर्भर करता है, एक, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के मुकाबले कोयला विद्युत संयंत्रों की लागत प्रतिस्पर्धा और दूसरा, 2032 की जरूरत को पूरा करने के लिये 2027 की कोयला बिजली क्षमता की पर्याप्तता।

जैसा कि शुरुआत में दिखाया गया है, 2025 में भारत के उपभोक्ता के लिये सौर और पवन बिजली, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत होगा। बैटरी भण्डारण के साथ बड़े और छोटे सौर और पवन बिजली, कोयला और गैस बिजली संयंत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिये, नए कोयला बिजली संयंत्र स्थापित करना आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। लेकिन ग्रिड की तकनीकी आवश्यकता के बारे में क्या?

19वीं ईंपीएस रिपोर्ट के अनुसार 2027 और 2032 के बीच, बिजली आवश्यकता में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और पीक लोड की आवश्यकता में 4.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान बताती है। 2031-32 में पीक लोड की माँग 370 त्रह होने का अनुमान है और बिजली की आवश्यकता 2531 बीयू रहेगी।

ग्रिड स्थिरता के लिये, अगर हम मान लें कि 2026-27 में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली का अनुपात 2031-32 में भी समान रहता है तब 2031-32 में कोयला बिजली संयंत्रों से लगभग 1560 बीयू बिजली का उत्पादन करना होगा। ये 2026-27 में मौजूदा कोयला बिजली संयंत्रों से सम्भव होगा। एकमात्र बदलाव यह होगा कि प्लांट का पीएलएफ 2027 के 62 प्रतिशत से बढ़कर 2032 में 74 प्रतिशत हो जाएगा।

यह एक सबसे अधिक वांछनीय परिणाम है, क्योंकि 75 प्रतिशत पीएलएफ को उच्चतम माना जाता है। इसलिये, भारत को 2022 के बाद कोयला बिजली संयंत्रों को स्थापित करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि आज जो कोयला बिजली संयंत्रों का संचालन हो रहा है या निर्माण हो रहा है, वो 2032 तक आसानी से हमारी बिजली आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।

2032 के बाद, भारत को नए कोयला बिजली संयंत्र स्थापित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे स्थापित करना सौर या पवन संयंत्र की तुलना में महँगा हो जाएगा। चूंकि कोयला प्लांट का पीएलएफ 2032 में सबसे ज्यादा होगा। 2032 में कोयले की खपत सबसे ज्यादा होगी और फिर यह कम होना शुरू हो जाएगी। यह मानते हुए कि 1 डह उत्पादन के लिये 0.65 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता है, 2031-

32 में भारत बिजली क्षेत्र में 100 करोड़ टन कोयले का उपभोग करेगा। इसलिये, भारत में बिजली के लिये कोयले की खपत 2031-32 तक सौ करोड़ टन तक पहुँच जाएगी और फिर कम होना शुरू हो जाएगी।

2032 में सर्वोत्तम पीएलएफ और कोयला संयंत्र चलन से बाहरयादि हम मान लें कि कोयला बिजली संयंत्रों का आर्थिक जीवन 30 वर्ष है तो (ऊर्जा मंत्रालय इसे 25 साल मानता है), तो 2050 तक अधिकतर कोयला बिजली संयंत्र संचालन से बाहर हो जाएंगे और उन्हें गैर-जीवाश्म ईंधन प्लांट के साथ प्रतिस्थापित करना सम्भव हो जाएगा।

सौर ऊर्जा की गर्मी अधिक उपभोक्ताओं तक इस परिदृश्य में (कोयला संयंत्र चलन से बाहर के ग्राफ में देखें) 2056-57 तक, भारत की कोयला बिजली क्षमता वर्तमान क्षमता का छठा हिस्सा यानि 30 त्रह होगा और फिर कम होना शुरू हो जाएगा। अन्तिम कोयला बिजली संयंत्र 2061-62 तक बन्द किया जा सकता है। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है कि 2022 के बाद, कुछ नए कोयला बिजली संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा, लेकिन उनमें अतिरिक्त क्षमता नहीं होंगी। उन्हें पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलने के लिये स्थापित किया जाएगा। अगर हम कोल प्लांट का आर्थिक जीवन 25 वर्ष मानें तो 2050 में अन्तिम कोयला संयंत्र बन्द हो सकता है।

बड़े एकीकृत डिस्कॉम्प्स का समय खत्म होने को है

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) राज्य में 20 करोड़ लोगों तक बिजली पहुँचने (ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन) के लिये जिम्मेदार है। यह लगभग 30,000 सर्किट (सीकेटी) किमी के ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और 40,000 से ज्यादा सीकेटी किमी के वितरण आधारभूत संरचना का प्रबन्धन करता है। यह 1.65 करोड़ उपभोक्ताओं की सेवा करता है और 45,000 टह बिजली की आपूर्ति करता है। इसे हर साल लगभग 8,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यूपीपीसीएल बड़े एकीकृत डिस्कॉम्प्स का एक शानदार उदाहरण है, जो तकनीकी प्रगति के कारण बन्द होने की कगार पर है।

भारत में डिस्कॉम्प्स दिवालिया हो चुके हैं और सरकार से मिली सहायता पर जीवित हैं। सभी डिस्कॉम्प्स के लिये नवीनतम आँकड़े 2014-15 के हैं। उस साल डिस्कॉम्प्स को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उनका कुल बकाया कर्ज 4.07 लाख करोड़ रुपए का था। इनका नेटवर्क माइनस (ऋणात्मक) 2.43 लाख करोड़ रुपए का था। आज समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान 25 प्रतिशत है। इस मुद्दे पर विचार करने लायक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उच्च नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और लक्ष्य वाले राज्यों में डिस्कॉम्प्स की वित्तीय हालत बहुत ही खराब है। अगर हम नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमओएनआरई) द्वारा निर्धारित 2022 के लक्ष्य पर विचार करते हैं, ज्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा, 175 त्रह का 83 प्रतिशत 10 राज्यों में स्थापित होना है। भारत में ये शीर्ष 10 राज्य डिस्कॉम्प्स की खराब बैलेंस शीट का बड़ा हिस्से के जिम्मेदार हैं। ये राज्य 2014-15 के कुल घाटे का 72 प्रतिशत और संचित घाटे के 73.5 प्रतिशत के लिये जिम्मेदार थे। इन 10 राज्यों के डिस्कॉम्प्स के हिस्से में कुल बकाया ऋण का लगभग

80 प्रतिशत हिस्सा था।

नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर पैठ डिस्कॉम्स को और अधिक अप्रासारित करना देगा। नवीकरणीय ऊर्जा परामर्श फर्म, ब्रिज टू इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्कॉम्स द्वारा वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये लागाया जा रहा शुल्क इतना अधिक है कि वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिये सोलर रूफटॉप में स्थानान्तरित होना ज्यादा व्यावहार्य है। 2020 तक, सभी राज्यों में सोलर रूफटॉप वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये बिजली का सबसे सस्ता स्रोत होगा। वास्तव में, 2020 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आंश्च प्रदेश जैसे सभी बड़े राज्यों में, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये ग्रिड टैरिफ के मुकाबले सोलर रूफटॉप सस्ता होगा। ये उच्च-भुगतान वाले उपभोक्ता सोलर रूफटॉप की ओर जाएँगे तो इससे डिस्कॉम्स पर वित्तीय दबाव ज्यादा आएगा।

वास्तव में, बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना एक बड़ा खतरा डिस्कॉम के लिये होने वाला है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, 1 टह या इससे अधिक लोड कनेक्शन वाला एक उपभोक्ता डिस्कॉम्स की जगह खुले बाजार से बिजली खरीद सकता है। उन्हें ग्रिड का उपयोग करने के लिये भुगतान करना होगा। एक ओपेन एक्सेस (खुली पहुँच) वाला उपभोक्ता ठह स्केल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित कर सकता है और उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिये ग्रिड का इस्तेमाल कर सकता है।

2016 में प्रयास एनर्जी समूह द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट ह्लैडियाज जर्नी टुवर्ड्स 175 जीडब्ल्यू रीन्यूएबल्स बाई 2022ह के अनुसार, विभिन्न राज्यों में खुली पहुँच के माध्यम से मिलन वाली सौर ऊर्जा की लागत वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के उपयोगिता शुल्क से सस्ता है। आगे, सौर ऊर्जा और भण्डारण प्रौद्योगिकी की कम लागत के साथ ही ओपेन एक्सेस (खुली पहुँच) भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सम्भव है कि एक दशक के भीतर, उच्च-भुगतान वाले उपभोक्ता डिस्कॉम्स से दूर चले जाएँ। वे अपनी खुद की बिजली भण्डारण सुविधा वाले अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कर लेंगे और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति में सक्षम हो जाएँगे। वे ग्रिड और स्थानीय वितरण नेटवर्क का उपयोग करेंगे और ग्रिड ऑपरेटर को पावर ट्रांसमिट करने के लिये भुगतान शुल्क दे देंगे।

एक बार अगर ऐसा होता है, तो यह डिस्कॉम्स को अव्यवहार्य बना देगा। बड़े उपभोक्ता बड़े विकेन्द्रीकृत परियोजनाओं और छोटे उपभोक्ता सोलर रूफटॉप की ओर चले जाएँगे और एकीकृत प्रणालियों का निर्माण करेंगे। तब नवीकरणीय ऊर्जा दुनिया को ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और चलाने के लिये अलग संचरण और वितरण ऑपरेटरों की जरूरत होगी। वितरण कम्पनियों का काम, ट्रांसमिशन कम्पनियों जैसी, वितरण आधारभूत संरचना को बनाए रखना और शुल्क लगाना है। कोई भी निर्माता, व्यापारी या समूह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकेगा और उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। स्मार्ट ग्रिड के साथ विद्युत क्षेत्र का बिखराव उस

तरीके को बदल देगा जिस तरीके से हम अभी बिजली का उत्पादन और उपभोग करते हैं। इसमें क्रान्तिकारी बदलाव आ जाएँगे। हमारे पास हजारों ह्यूप्रोज्यूमर्सल होंगे जो बिजली खरीदेंगे और बेचेंगे, हजारों मिनी-ग्रिड और लाखों ॲफ-ग्रिड होंगे। जर्मनी की तरह, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्वामित्व नागरिक, पंचायत, सहकारी समितियों, कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पास होगा न कि बड़ी कम्पनियों के पास।

वर्तुअल पावर कम्पनियाँ उभरेंगी। वे लोगों की छतों और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न बिजली एकत्र करेंगी और अन्य उपभोक्ताओं को बेच देंगी। उनके पास स्वयं की कोई सम्पत्ति नहीं होगी। बिजली क्षेत्र में यह हाउबर मॉडलह की तरह होगा। ऊर्जा भण्डारण कम्पनियाँ भी उभरकर सामने आएँगी, जो बड़े स्तर पर बिजली भण्डारण उपकरणों को स्थापित कर सकेंगी और ग्रिड को बिजली प्रदान करेंगी।

उपभोक्ताओं के लिये दक्षता उत्पाद (एफिशिएंसी प्रोडक्ट) बेचने वाली ऊर्जा दक्षता सेवा कम्पनियाँ (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस कम्पनीज) हमारे पास होंगी। वे बाजार भी बड़ा हो जाएंगा। ये एनर्जी सर्विस कम्पनियाँ ऊर्जा सेवा, जैसे लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग बेचेंगी, बिजली नहीं। एक बार ऐसा होने पर, हम वाट की दुनिया में रहेंगे न कि किलोवाट की दुनिया में योकि सुपर-एफिशिएंट उपकरण मानक बनाए जाएँ।

उच्च नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले राज्यों का सबसे कमजोर विद्युत वितरण तंत्रजैसे ई-वाहन अॉटोमोबाइल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होगा, भवन और वाहन एकीकृत होंगे। मौजूदा पेट्रोल पम्प विद्युत चार्जिंग कम्पनियों में बदल दिया जाएगा, योकि बैटरी 10 मिनट से कम समय में चार्ज हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि होगी, बिजली का ऑन साइट उपयोग होगा और सरप्लस को ग्रिड में भेज दिया जाएगा। कल का ग्रिड आज के इंटरनेट की तरह होगा। उपरोक्त दुनिया में, हमारे पास कुछ बड़े जनोपयोगी (यूटिलिटी) सेवाएँ होंगी (यहाँ तक कि जीवाश्म ईंधन आधारित)। लेकिन वे लोड सन्तुलन के लिये आपातकालीन उपयोग (स्टैंडबाय) पर होंगे। वे लचीले होंगे। उनका स्टैंडबाय

पर रहने के लिये फीड-इन-टैरिफ देना होगा।

लेकिन गरीबों का क्या होगा? अगर अमीर विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा पर चले जाएँगे तो गरीबों को सब्सिडी कौन देगा? इसका उत्तर यह है कि अमीर ग्रिड और वितरण नेटवर्क के संचालन को सब्सिडी देंगे। जैसा कि वे इन बुनियादी ढाँचे का उपयोग करेंगे, उन्हें गरीबों को सब्सिडी देना चाहिए। जहाँ तक बिजली का सम्बन्ध है, सरकार गरीबों को न्यूनतम बिजली आवश्यकता प्रदान करने के लिये सीधे सब्सिडी दे सकती है। यह एकमात्र तरीका है, जिससे भारत बिजली क्षेत्र को काबूनहित कर सकता है और सभी को ऊर्जा तक पहुँच प्रदान कर सकता है। लेकिन क्या सरकार ऐसे भविष्य के लिये कल्पना और योजना बना रही है? जबाब है, नहीं। कोयले के अन्त के बारे में बात करना निषेध है। बड़ी डिस्कॉम्स के खत्म होने की भविष्यवाणी बेतुका माना जाता है। लेकिन तथ्य यह है कि सरकार इस बारे में नीतियों और योजनाओं के बारे में सोच रही है, हालाँकि ये तरीका थोड़ा विखंडित है। 2050 तक कोयला खत्म हो सकता है और इससे भी पहले वितरण क्षेत्र समाप्त हो जाएगा।

सरकार आक्रामक रूप से बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। सभी राज्यों में सोलर रूफटॉप के लिये नेट मीटरिंग नीति अपनाई जा रही है। ओपेन एक्सेस की अनुमति है लेकिन डिस्कॉम्स द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सरकार ने ई-वाहनों के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना भी बनाई है, जिसका परिवहन क्षेत्र और बैटरियों के अर्थशास्त्र पर बड़ा प्रभाव होगा। यह उपकरणों और इमारतों में ऊर्जा दक्षता के लिये स्टार रेटिंग को बढ़ावा दे रहा है। हालाँकि, इस पर और अधिक आक्रामक होने की जरूरत है।

सरकार स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर में निवेश कर रही है। और आज की राजनीति यह माँग करती है कि जल्द ही सभी को बिजली तक पहुँच प्रदान की जाए। यदि सभी सुधारों को एक साथ रखा जाता है, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की सुनिधि का सप्तना 2030 तक सच हो जाएगा।



# ग्लोबल वार्मिंग बनाम मानवाधिकार



जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सुस्त चाल से, इससे प्रभावित हो रहे समुदायों में स्वाभाविक रूप से निराशा बढ़ी. परंपरागत राजनैतिक-वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित उक्त उपाय ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो रहे थे, पीड़ित लोगों की समस्याओं की अनदेखी हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मानवीय गतिविधियों के चलते वैश्वक तापमान में हो रही वृद्धि के लिए जिम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था न होने से प्रभावित समुदायों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इन सब कारणों का सम्मिलित नतीजा यह रहा कि दिसंबर 2005 में कनाडा और अमेरिका में सक्रिय इन्युट ने इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के समक्ष एक अपील दायर की। अपील में इन्युट ने आरोप लगाया था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्पाजन को नियंत्रित करने में अमेरिका की विफलता से उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि तकाल इस अपील को

खारिज कर दिया गया, लेकिन फरवरी 2007 में कमीशन ने मानवाधिकारों और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध पर अपना पक्ष रखने के लिए इन्युट, सेंटर फॉर इंटरनेशनल एन्वॉयरमेंटल लॉ (सीआईईएल) और अर्थजस्टिस संस्था के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। इस बैठक के काफी उत्साहजनक परिणाम निकले और पहली बार यह माना गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भी इंसान ही होता है। इस लिहाज से यह आवश्यक है कि मानवाधिकारों के अंतर्गत जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और न्याय के दायरे में रहकर ही इस पर

घोषणापत्र पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बाली में हुए 13वें सम्मेलन में भी विचार किया गया। यह घोषणा की गई कि जलवायु परिवर्तन को केवल प्रकृति से ही जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मानव जीवन के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह प्रकृति में आने वाले बदलाव हैं, लेकिन प्रकृति में आ रहे इन बदलावों के लिए इंसान और उसकी गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने भी इसकी हामी भरी और जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने और उससे निबटने के लिए मानवाधिकारों के दायरे के अंदर ही प्रयास किया जाना आवश्यक है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा था कि 28 मार्च 2008 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव संख्या 7/23 को मंजूरी



दी. इस प्रस्ताव द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि जलवायु में आ रहे बदलावों से विश्व भर में मानव जीवन पर ताल्कलिक एवं दूरागमी प्रभाव पड़ते हैं और इससे मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं। इससे पैदा होने वाली परिस्थितियाँ मानवाधिकारों के उपभोग में बाधा का काम करती हैं। प्रस्ताव में उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को यह निर्देश भी दिया गया कि वह जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके परिषद के दसवें सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करे। साथ ही परिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श को कोपनहेगन में होने वाले यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के 15वें सम्मेलन (सीओपी-15) से पहले सदस्य राष्ट्रों के समक्ष पेश किया जाए, ताकि इस मुद्रे पर आगे विचार-विमर्श हो सके। प्रस्ताव के दिशानिर्देशों के मद्देनजर 15 जनवरी 2009 को ओएचसीएचआर ने अपने अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग सभी तरह के मानवाधिकारों को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं, जो जलवायु परिवर्तन के चलते विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, जैसे जीनों का अधिकार, भर पेट भोजन का अधिकार, पानी की उपलब्धता, स्वस्थ रहने का अधिकार और रहने के लिए आवास एवं स्वनिर्णय का अधिकार। इसमें यह भी कहा गया कि यूं तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन कुछ खास इलाकों जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र, समुद्र किनारे गहराई में बसे देश, बाढ़ प्रभावित

इलाके या ऐसे देश, जहां सूखा या मरुस्थलीकरण की समस्या है (मालदीव एवं माली आदि), के लिए यह ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट में बताया गया कि खतरे को कम करने या उससे निवारन के लिए अपनाए गए तरीकों जैसे लोगों को दूसरी जगह बसाए जाने में भी मानवाधिकारों का मुद्दा जुड़ा हुआ है।

ओएचसीएचआर की रिपोर्ट के जवाब में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 25 मार्च 2009 को हुई अपनी दसवीं बैठक में मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव संख्या 10/4 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। परिषद ने यह स्वीकार किया कि ग्लोबल वार्मिंग से मानवाधिकारों के उपभोग पर प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। प्रस्ताव में उन अधिकारों की भी चर्चा है, जो जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। इसमें यह भी माना गया कि भौगोलिक स्थिति, गरीबी, लिंग, उम्र या किसी समुदाय विशेष से संबद्ध लोगों के मानवाधिकार ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (एन्वॉयरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स) 2010 वर्ष 2010 का पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 27 जनवरी 2010 को वाशिंगटन में हुई विश्व आर्थिक परिषद की सालाना बैठक में जारी किया गया। यह सूचकांक कोलंबिया और येल विश्वविद्यालय से जुड़े पर्यावरण विशेषज्ञों ने तैयार किया था। हर दो साल पर जारी होने वाला यह सूचकांक वर्ष 2006 में पहली बार तैयार किया गया था। प्रदूषण को नियंत्रित


करने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर भारत और चीन को इस सूचकांक में क्रमशः 123वां और 121वां स्थान दिया गया था, जो इस बात को रेखांकित करता है कि तीव्र आर्थिक विकास से पर्यावरण पर भी खासा जोर पड़ता है। हालांकि अन्य नए औद्योगिकत देशों में ब्राजील 62वें और रूस 69वें स्थान पर थे, जो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से विकास का स्तर या उसकी गति ही एकमात्र कारक नहीं है। सूचकांक के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों से निबटने में आइसलैंड शीर्ष पर है। आइसलैंड की इस सफलता का आधार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और जंगलों को दोबारा बसाने की कोशिश है। आइसलैंड के अलावा स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने भी इस दिशा में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 163 देशों को दस अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कुल 25 मानकों के आधार पर जगह दी गई है। इसमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य, हवा की गुणवत्ता, जल संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता, बनोकरण, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे मानक शामिल हैं।

2006-07 तक विकसित देशों द्वारा कार्बनडाईऑक्साइड उत्सर्जन में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि

1990 से 2007 के बीच 41 विकसित देशों द्वारा कार्बनडाईऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके लिए सबसे ज्यादा दोपी ऑस्ट्रेलिया (42 प्रतिशत), कनाडा (29 प्रतिशत) और अमेरिका (20 प्रतिशत) जैसे देश हैं। ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1990 से 2007 के बीच उत्सर्जन में सबसे ज्यादा वृद्धि ट्रांसोपर्ट यानी यातायात (17.9 प्रतिशत) के क्षेत्र में हुआ तो विनिर्माण एवं उत्पादन उद्योग में सबसे ज्यादा कमी (17.3 प्रतिशत) आई। विकसित और विकासशील देशों के बीच उत्सर्जन के स्तर में इस भारी अंतर को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने सलाह दी कि भारत जैसे विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मानने से इंकार कर देना चाहिए, जो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। विकासशील देश पहले ही ऐसे प्रस्ताव को मानने से प्रति अपना विरोध दर्ज करते रहे हैं। उनका मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा के मद्देनजर विकसित देशों को पहले और प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।

वहीं क्योटो प्रोटोकॉल की समाप्ति से पहले 2008-12 के बीच विकसित राष्ट्रों को 1990 के मुकाबले अपने उत्सर्जन के स्तर में औसतन 5 प्रतिशत की कमी लानी है। उत्सर्जन के मामले में अप्रणीती ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश यूएफसीसीसी में शामिल होने के बावजूद क्योटो प्रोटोकॉल को मानने से इंकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब वे क्योटो प्रोटोकॉल को निरस्त करने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसके लिए अलग-अलग देशों को तैयार करने की जड़ोजहद जारी है। हालांकि भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाले जी-77 के सदस्यों सहित कुल 184 देशों में इसे अब तक अनुमोदित किया जा चुका है।

# अविलम्ब लाया जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून



जनसंख्या नियंत्रण कानून ही सारी समस्याओं का एक मात्र समाधान है। सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आना चाहिए, नहीं तो सारी समस्याएं और अधिक विकास छोटी जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि न तो समस्याओं का कोई हल निकलेगा, ना हिंदुस्तान बचेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी। क्योंकि एक बार पहले से ही धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो चुका है। आज हर जगह धर्म विशेष की तरफ से हमला और पत्थर बाजी की खबर आ रही है। आज के समय में जब-जब हिंदू ल्योहार आते हैं या राम शोभायात्रा निकलती है, चाहे हनुमान शोभायात्रा निकलती है तब-तब उसपर हमला और पत्थरबाजी की खबर आम होती दिखाई दे रही है। हर जगह शोभा यात्राओं पर रोक लगाने के लिए पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पूरे देश के मतदाताओं ने बड़ी आशा के साथ हिंदूत्व के नाम पर भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया था। भाजपा से देश की जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन भाजपा उनकी अपेक्षाओं पर खरी उत्तरी दिखाई नहीं दे रही है। आज मतदाता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है, जैसे उसकी रक्षा नहीं,

उपेक्षा हो रही है। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, महांगाई अपने चरम पर पहुँच चुकी है, रोजगार चौपट हो गए हैं, अमीर और गरीबों के बीच बहुत गहरी खाई हो गई है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ हिन्दू परिवारों को अपना ही घर को छोड़ने पर विवश होना पढ़ रहा है। जो हां बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की जहां वर्षों से कुछ हिंदू परिवार रह रहे थे, लेकिन उनके आसपास रहने वाले धर्म विशेष के लोग ही उन्हें धमका रहे थे, भाग जाओ! नहीं तो तुम्हारी आखरी रात होगी, यह शब्द मेरे नहीं है। यह खबर है 22 अप्रैल 2022 सोमवार मध्यप्रदेश के नई दुनिया अखबार के प्रथम पेज की। नई दुनिया अखबार का प्रथम पेज इन्हीं खबरों से पूरा भरा पड़ा है। उधर भोपाल के शहर काजी मध्यप्रदेश के गृह मंत्री को सांप्रदायिक हिंसा होने की धमकी वाला पत्र लिखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी शिवराज सरकार चुप्पी साथे बैठी हुई है। यह भी समझना जरूरी है कि सरकार के ऊपर किसका दबाव है, जिसके चलते कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है। उधर बंगाल की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे वह भारत का हिस्सा है ही नहीं। वहां आये दिन हिन्दुओं की हत्या कर उनके घरों को जला दिया जाता

है जिसकी कोई चर्चा तक नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के कल्पेआम देखने को मिलते। बात करें दिल्ली की जो देश की राजधानी है, जहां सरकार की नाक के नीचे जहांगिरपुरी में दगे होते हैं और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लेते ही कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है।

क्या स्थिति हो गई है कि आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को धमका रहे हैं। जो अपने आपको अल्पसंख्यक बता कर सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ बढ़ चढ़कर ले रहे थे वे आज बहुसंख्यक को धमका रहे हैं। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आज के समय में 1-4 का अनुपात है। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया मैंने विस्तार से जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि हर अस्पतालों में यही अनुपात चल रहा है जहां हिंदू परिवार से एक बच्चे जन्म ले रहा है तो वही मुस्लिम परिवार से 4 बच्चे जन्म ले रहे हैं और ज्यादातर मुस्लिम परिवारों के बच्चे सरकारी अस्पतालों में ही पैदा हो रहे हैं। सरकार भी उन्हें वोट बैंक समझकर हर सुविधा मुहैया करा रही



है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में और स्थिति विकराल हो जाएगी। आज तो केवल भगवान की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा कर शोभा यात्रा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हिन्दू शब्द यात्रा भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वह अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए चाहे हिन्दू हो मुसलमान या फिर किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, सभी के लिए समान कानून लाना चाहिए। जो भी व्यक्ति दो से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसकी सारी सरकारी सुविधाएं तुरत समाप्त कर दी जाएगी। दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति ना तो चुनाव लड़ सकेंगे, ना सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे और ना ही मतदान कर सकेंगे। अगर ऐसा कानून आता है तभी जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे पास न तो प्राकृतिक संसाधन बचेंगे, न रोजगार बचेंगे और न ही इतनी जनसंख्या को सरकारी नौकरी दी जा सकी। महंगाई और बढ़ती जाएगी, मारकाट की स्थिति बनेगी, लूटपाट की बारदात बढ़ती जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करना ही हर समस्याओं का समाधान है। अतः सरकार से निवेदन है कि सरकार बिना किसी देर किए इस पर विचार करें तथा जितनी जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। अगर अभी समय हाथ से निकल गया तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा।

बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, महंगाई अपने चरम पर पहुँच चुकी है, रोजगार घौपट हो गए हैं, अमीर और गरीबों के बीच बहुत गहरी खाई हो गई है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ हिन्दू परिवारों को अपना ही घर को छोड़ने पर विवश होना पढ़ रहा है। जी हाँ बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की जहाँ वर्षों से कुछ हिन्दू परिवार रह रहे

थे, लेकिन उनके आसपास रहने वाले धर्म विशेष के लोग ही उन्हें धमका रहे थे, भाग जाओ! नहीं तो तुम्हारी आखरी रात होगी, यह शब्द मेरे नहीं है। यह खबर है 22 अप्रैल 2022 सोमवार मध्यप्रदेश के नई दुनिया अखबार के प्रथम पेज की। नई दुनिया अखबार का प्रथम पेज इन्हीं खबरों से पूरा भरा पड़ा है। उधर भोपाल के शहर कार्जी मध्यप्रदेश के गृह मंत्री को सांप्रदायिक हिंसा होने की धमकी वाला पत्र लिखते हैं। इतना सब कुछ होने

के बाद भी शिवराज सरकार चूपी साधे बैठी हुई है। यह भी समझना जरूरी है कि सरकार के ऊपर किसका दबाव है, जिसके चलते कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है।

उधर बंगाल की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे वह भारत का हिस्सा है ही नहीं। वहाँ आये दिन हिन्दुओं की हत्या कर उनके घरों को जला दिया जाता है जिसकी कोई चर्चा तक नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के कल्लेआम देखने को मिलते। बात करें दिल्ली की जो देश की राजधानी है, जहाँ सरकार की नाक के नीचे जहांगीरपुरी में दंगे होते हैं और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लेते ही कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। क्या स्थिति हो गई है कि आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को धमका रहे हैं। जो अपने आपको अल्पसंख्यक बता कर सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ बढ़ चढ़कर ले रहे थे वे आज बहुसंख्यक को धमका रहे हैं। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आज के समय में 1-4 का अनुपात है।

# साम्प्रदायिक भाईचारे से खिलवाड़ कब तक?



देश लम्बे समय से शांत था, एकाएक एक वर्ग-विशेष एवं कलिपय राजनीतिक दलों को यह शांति, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं अमन-चैन की स्थितियां रास नहीं आयी और उन्होंने साम्प्रदायिक भाईचारे एवं सौहार्द को खण्डित करने का सफल पथयन्त्र रच दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में यह बिल्कुल साफ कर दिया कि देश के सांप्रदायिक भाईचारे से खिलवाड़ करने की छृष्ट किसी को नहीं दी जाएगी और इसके लिए शीर्ष अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। राष्ट्रीय एकता-अखण्डता, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति-व्यवस्था को किसी भी जाति एवं धर्म का व्यक्ति आहत करें, उसकी निन्दा ही नहीं, कठोर कर्तव्याधी होनी ही चाहिए। ऐसी घटनाओं के प्रति न्यायालय जागरूक हो, उससे पहले समाज को जागरूक होना चाहिए। हम अल्पविदा करें

उन सब साम्प्रदायिक दुराग्रहों एवं संकीर्णता की बदलती पश्यायें और परिणामों को जो हमें विकास, आपसी भाईचारे, प्रेम, सुयश के साथ-साथ जीवन की शांति एवं समाधि से वर्चित रख देते हैं। दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होते हुए हमें उन सभी सवालों के उत्तर खोजने होंगे जो हमारी सौहार्द एवं शांति की संस्कृति पर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हैं। बड़ा प्रश्न है कि साम्प्रदायिक नफरत एवं द्वेष के वातावरण में भारत कैसे शक्तिशाली बन सकेगा? साम्प्रदायिक हिंसा, नफरत एवं द्वेष की स्थितियां दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ही नहीं, अब तो राजस्थान जैसे शांति एवं सौहार्दप्रिय प्रांत में राजनीतिक आग्रह का कारण बन रही है। अत्यन्संख्यक समुदाय को खुश करने के लिये बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करना राजनीतिक दुराग्रह का द्योतक है। साम्प्रदायिक

संकीर्णता एवं हिंसा रूपी कोढ़ 'माँ' के शरीर पर चिपके हुए हैं। ये तो वो फोड़े हैं जो मिटते नहीं, रिसते रहते हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि वर्षों से साथ-साथ रहने वाले लोग एक मिनट में ही कैसे जान के दुश्मन हो जाते हैं। जो बीत गया वह झूठ था या यह जो घट रहा है वह झूठ है। और हां ये सब दोंगे त्यौहारों, पर्वों पर ही क्यों होते हैं? ये तो जिस किसी के हैं, 'पवित्रता' का ही बोध कराते हैं। त्यौहार, जो भाईचारे के, पवित्रता के, प्रकाश के, रंगों के, अच्छाइयों के, यूं कहें जीवन मूल्यों के प्रतीक थे। संस्कृति, सम्झता के बेशकीमती तानों-बानों से गुंथे हुए थे। ये आज भी ताज से उजले, गंगा से पावन, कुतुबमीनार जैसे ऊँचाई लिए हुए, भाखड़ा जैसे जीवनदायी और अपने में महापुरुषों का संदेश संजोए हुए हैं। जो यह हम हैं कि इन सबसे परिचित नहीं हो रहे हैं, लगता है हमारी पात्रता में ही

कहीं सुराख हो गए हैं। रामनवमी से अब तक देश में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं और इन वारदातों का दायरा लगभग एक दर्जन राज्यों में फैल चुका है। ऐसे में, सुग्रीव कोर्ट की ताजा टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने लगे, तो प्रशासनिक लापरवाही की गुंजाइश ही नहीं रह बचेगी। दोषी व्यक्तियों के प्रति निष्पक्षता से कानूनी कार्रवाही होने लगे तो खिंचण्डन एवं विद्वेष की खाइयां चोड़ी नहीं होगी, बल्कि इन्हें

बार-बार दोहराने का अपराध करने वाले भी सहमेंगे। यह जानते हुए कि सांप्रदायिक हिंसा से न सिर्फ पूरा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होता है, जान-माल की क्षति होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है, हमारा तथाकथित राजनीतिक अमल एवं संकीर्ण एवं देश तोड़क सांप्रदायिक शक्तियां प्रायः बेहतर नज़र नहीं पेश कर पाती। समाज के अगुवा लोग भी अब बहुत सक्रिय नहीं दिखते। कैसी विसंगतिपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियां हैं कि

लोग नुकसान हो जाने के बाद तिरंगा यात्रा या सद्भावना यात्रा निकालते हैं, जबकि उस समय वे गायब रहते हैं जब उनकी रहनुमाई एवं सद्भावना प्रयासों की सबसे अधिक जरूरत हिंसा के समय होती है। यह बड़ा एवं स्पष्ट तथ्य है कि यदि कानून-व्यवस्था जागरूक हो तो प्रशासनिक इच्छशक्ति को बढ़ावत संप्रदायों के असामाजिक तत्वों को सिर उठाने से रोका जा सकता है, ऐसा हुआ है और भविष्य में अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है।

# क्या मुट्ठिम समुदाय 'अल्पसंख्यक' है?

'अल्पसंख्यक' शब्द का अनवरत दोहन और दुरुपयोग भारतीय राजनीति का कड़वा सच है। भारतीय संविधान में सन्दर्भ-विशेष में प्रयुक्त इस शब्द को आजतक अपरिभाषित छोड़कर मनमानी की जाती रही है कि इस मनमानी ने दो समुदायों-हिन्दू और मुसलमान के बीच अविश्वास, असंवाद और अलगाव का बीजारोपण किया है। तथाकथित प्रातिशील-पंथनिरपेक्ष दलों की स्वार्थ-नीति का शिकार यह शब्द उनके लिए वोटबैंक साधने का उपकरण रहा है। आज तुष्टिकरण की राजनीति की विदाई बेला में 'वास्तविक अल्पसंख्यकों' की पहचान करते हुए उन्हें संरक्षण-प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही, समस्त भारतीयों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए 'समान नागरिक संहिता' भी लागू की जानी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम-2005 को समाप्त करने की माँग की है। उन्होंने अपनी इसी याचिका में यह भी कहा है कि यदि इन आधारीन, अनुचित, अतार्किक और असंवैधानिक अधिनियमों को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो इन प्रावधानों का लाभ उन राज्यों में हिन्दुओं को भी मिलना चाहिए जहाँ कि वे 'अल्पसंख्यक' हैं।

इस याचिका में संविधान में एक विशिष्ट सन्दर्भ में प्रयुक्त अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने और उसकी सुस्पष्ट निर्देशिका/नियमावली बनाने की न्यायसंगत और समीचीन माँग की गयी है। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 350 में अल्पसंख्यक शब्द प्रयुक्त हुआ है। लेकिन वहाँ इसकी व्याख्या नहीं की गयी है। इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस सरकार ने सन 1992 में अल्पसंख्यक आयोग के गठन के समय वोटबैंक की मनमानी राजनीति की। अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यकों की प्रचलित परिभाषा पर सवाल उठाते हुए अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि प्रचलित परिभाषा के अनुसार तो आज देश में सैकड़ों धार्मिक अल्पसंख्यक समूह और हजारों भाषाई अल्पसंख्यक समूह होने चाहिए। लेकिन यह दजां मुड़ीभर समुदायों को ही क्यों दिया गया है? क्या यह सांप्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति का नायाब उदाहरण नहीं है?

भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के सेक्षण 2(सी) के तहत मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई



समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। सन 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था। इस याचिका के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ-पत्र दायर करते हुए भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही नहीं है; बल्कि राज्य सरकार भी किसी समुदाय को उसकी संख्या और सामाजिक-सांस्कृतिक विश्वित के आधार पर यह दर्जा दे सकती है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लक्ष्यद्वीप, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में हिन्दुओं की संख्या काफी कम है।

अतः वे अल्पसंख्यक होने की पात्रता को पूरा करते हैं। सम्बंधित राज्य सरकार चाहें तो अपनी भौगोलिक सीमा में उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करते हुए विशेषाधिकार और संरक्षण प्रदान कर सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा देकर इसकी शुरूआत भी कर दी है कि इसी तरह गुजरात सरकार ने भी अपने यहाँ जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में 'अल्पसंख्यक' की अधिक समावेशी और तर्कसंगत परिभाषा देते हुए व्यापक नियमावली बनाया

जाना जरूरी है, ताकि केंद्र/ राज्य अपनी मनमानी करते हुए इस प्रावधान का दुरुपयोग न कर सकें। अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर करते हुए 'टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिड्या' मामले में उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ के 2003 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को आधार बनाया है। इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई के लिए राज्य हो सकती है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों से सम्बंधित केन्द्रीय कानून बनाने के लिए भी इकाई राज्य होंगे, न कि सम्पूर्ण देश होंगा।

इसलिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का नाम-निर्धारण राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अर्थात राज्य विशेष को इकाई मानकर उसके आधार पर होना चाहिए कि यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रोचक किन्तु विचित्र ही है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या (1914 करोड़) पाकिस्तान (1814) से अधिक है। फिर वे अल्पसंख्यक क्यों और कैसे हैं; यह विचारणीय प्रश्न है। मई 2014 में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का कार्यभार संभालते समय नजमा हेपतुल्ला द्वारा दिया गया बयान अलंत महत्वपूर्ण है कि उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है।

# चंपारण सत्याग्रहः किसानों के शांतिपूर्ण विद्रोह का प्रतीक



इस अप्रैल में चंपारण के किसान आंदोलन को 105 वर्ष पूर्ण हुए। खेती के कोपरेटाइजेशन या कंफनीकरण और शोषण की संगठित लूट के खिलाफ चले आंदोलन की कई मांगों की जड़े चंपारण तक पहुंची मिलेगी। इसके पहले विद्रोह हुए थे परंतु इस तरह का संगठित नियोजनपूर्ण प्रयास नहीं हुआ था। ये एक सदी पहले किसानों का पहला संगठिक शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन था। गांधीजी 175 दिन बिहार के चंपारण में रुक कर आंदोलन चलाते रहे। बदले में चंपारण ने इसे गांधीजी का नेतृत्व को

राष्ट्रिय पटल पर स्थापित करने वाला पहला आंदोलन बना दिया।

चम्पारण जिले में बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। तीन चौथाई से अधिक जमीन केवल तीन बड़े मालिकों और जागीरदारों की थी। चंपारण में इन जागीरदारों के नाम थे बेतिया जागीर (राज), रामनगर जागीर (राज) और मधुबन जागीर (राज)। पहले ग्रास्ता आदि नहीं था इसलिए अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए ठेकेदारों को गाँव दिए गए। जिनका मूल काम मालगुजारी वसूल करके जागीरदारों को देना

था। 1793 के पहले कुछ ठेकेदार देसी हुआ करते थे, बाद में अंग्रेज भी इसमें आ गए। जिनका सम्बन्ध गन्ना और नील के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से था। उन्होंने बेतिया राज की तरफ से ठेका लेना शुरू कर दिया। समय के साथ देशी ठेकेदारों की जगह ब्रिटिश ठेकेदारों ने ले ली। उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। 1875 के बाद कुछ अंग्रेज जिलच्चा उत्तर पश्चिमी भाग में जाकर बस गए और इस तरह सम्पूर्ण चम्पारण में अंग्रेजों की कोठियां स्थापित हो गईं। गांधीजी जब चंपारण गए तब अंग्रेजों की 70 कोठियां स्थापित हो

चुकी थीं।

तीनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों (किसानों) पर नील की खेती के लिए जबरन लागू तीन तरीकों में एक था। खेती का अन्य दो तरीका 'कुरतौली' और 'कुश्की' कहलाता था। तीनकठिया खेती में प्रति बीचा (20 कट्टा) तीन कट्टा जोत पर मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। 1860 के आसपास नीलहे फैक्ट्री मालिक द्वारा नील की खेती के लिए 5 कट्टा खेत तथा किया गया था जो 1867 तक तीन कट्टा या तीनकठिया तरीके में बदल गया। इस प्रकार फसल के पूर्व में दिए गए रकम के बदले फैक्ट्री मालिक रैयतों के जमीन के अनुपात में खेती कराने को बाध्य करते थे। 1867 से चंपारण में तीनकठिया तरीके से जमीन पर नील लगाने की जबर्दस्ती की प्रथा प्रचलित थी। नील लगाने का करारनामा बनता जिसे सद्गु कहा जाता। इस करार के अनुसार किसानों को उनकी जमीन के निश्चित हिस्से में नील लगाना पड़ता था। वह जमीन कौनसी होगी ये नीलवाले जिनहे कोठीवाले भी कहा जाता था वो तय करते थे। किसानों को न चाहते हुए भी अच्छी उपजाऊ जमीन नील के लिए देनी पड़ती। बीज कोठीवाले देते और बुआई-जुताई किसानों को करनी पड़ती। फसल को कारखाने तक लाने तक का बैलगाड़ी का खर्च कोठीवाले करते थे, जो कारखाने में तय ऐसे में काट लिया जाता। फसल अच्छी हुई तो दर्ज की गई रकम दी जाती थी और नहीं हुई तो उसका कारण जो भी हो उसकी कीमत ठीक नहीं मिलती थी। अगर किसानों ने करार को तोड़कर नील लगाया तो उनसे एक बड़ी रकम भरपाई के रूप में वसूल की जाती। किसानों को दूसरे फायदेमंद खेती के बजाए नील की खेती ही करनी पड़ती थी और उसके लिए अपनी सबसे उपजाऊ जमीन देनी पड़ती थी। खेती अगर घाटे में गई तो कोठीवालों की अप्रिम राशि वापस कर पाना किसानों के लिए कठिन हो जाता था। उनके ऊपर कर्ज का पहाड़ बढ़ जाता। उन्हे मारपीट और अत्याचार किए जाते। नील के अधीन क्षेत्र का विस्तार बढ़ता गया। क्षेत्रफल पर आधारित कीमत का बाजार के उतारचढ़ाव और बजन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत थी लेकिन इसमें ज्यादातर फैसला रैयतों के विरुद्ध हुआ करता था।

1912 के आसपास जर्मनी का कृत्रिम रंग नील बाजार में आने के कारण नील का भाव एकदम गिर गया और जबर्दस्त घाटा होने लगा। नील से हानेवाले नुकसान की भरपाई करने के लिए शरहबेशी, हरजा, हुंडा, तावान आदि नामों से नियम बना कर आदि अलग अलग नामों से जबर्दस्ती कर वसूली शुरू कर दी। 30,710 अनपढ़ निर्धन किसानों के करारनामों का पंजीकरण करके उनपर तब लागू 1215 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत कर वसूला जाने लगा इसे शरहबेशी कहा जाता था। किसानों को नील लगाने के बंधन से छुटकारा देने पर जो भारी भरकम कर वसूला जाता उसे हरजा कहा जाता। नील की जगह दूसरी धान या अन्य फसल लेने पर वो नाममात्र कीमत पर कोठीवालों को ही अनिवार्य तौर पर बेचनी पड़ती। इसे हुंडा कहा जाता। रैयतों को खेती में काम करने

पर मजदूरी जहां अन्य जगह 4-5 आना मिलती वहीं कोठियों की खेती पर 2-3 पैसा ही मिलती। नील बाने से मुक्ति के लिए नुकसान भरपाई के रूप में 'तावान' नाम से पैसे वसूलने का नियम बना। उस जमाने में मोतीहारी कोठी ने 3,20,00, जल्दा कोठी ने 26,000, भेलवा कोठी ने 1,20,000 रुपये किसानों से वसूले। जो नहीं दे सके उनकी जमीने और घर जब्त कर लिए गए कोठियों को गाँव छोड़कर भागना पड़ता। बहिष्कृत कर दिया जाता। कहीं कहीं किसानों को नंगा कर उनपर कीचड़ फेंका जाता, उन्हे सूर्य की तरफ देखते रहने की सजा दी जाती। महिलाओं को नंगा करके पेड़ से बांध दिया जाता था। कोठीवाले खुद को कलेक्टर से भी बड़ा समझते। गाँव के मृत जानवरों की खाल, खेतों में के पेड़, सब पर कोठीवाले हक जमाकर कब्जे में कर लेते। कोठीवालों ने चमड़े का ठेका लेने के कारण चर्चमकार भी बेकार हो गए और किसान चर्चमकार संबंध खत्म हो गए। घर में दीवार बनाने, बकरी खरीदने, पशु बिक्री करने पर्व त्यैहारों सब में कोठी तक हिस्सा पहुंचाना पड़ता।

1857 के बंगाल प्रांत में सरकार ने नीलवालों को सहायक दंडाधिकारी बना दिया गया। इससे किसानों में असंतोष और शोषण और बढ़ गया। लोग मिलों नील की खेती छोड़ने के आवेदन लेकर खड़े रहते। कई जगह किसानों के साथ हिंसा हुई। इस विद्रोह के नेता हरिश्चंद्र मुखर्जी थे जिनके लगातार आदोलनों से बंगाल में इसपर रोक लग गई। लेकिन बिहार में ये रोक लागू नहीं हुई। वहाँ धीरे-धीरे असंतोष ने विद्रोह का रूप धर लिया। 1908 में शेख गुलाम और उनके सहयोगी शीतल राय ने बेतिया की यात्राओं में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रचार शुरू कर दिया और मलहिया, परसा, बैरिया, और कुडिया जैसे इलाकों में विद्रोह फैल गया। कई विद्रोही किसानों को जेल और दूसरी तरह की सजाई और जुमाने हुए।

पश्चिम चंपारण के सतवरिया निवासी पडित राजकुमार शुक्ल अपनी जेब से पैसा खर्च कर थाना और कोर्ट में रैयतों की मदद किया करते थे। मोतिहारी के बकील गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, कचहरी का कातिब पीर मोहम्मद मुनिस, संत रात, शीतल राय और शेख गुलाब जैसे लोग हमर्द बन गए। वह कानपुर गए। और प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को किसानों का दुखड़ा सुनाया। विद्यार्थीजी ने 4 जनवरी 1915 को प्रताप में चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित किया। विद्यार्थीजी ने शुक्लजी को गांधीजी से मिलने की सलाह दी। तब शुक्लजी साबरमती आश्रम गए लेकिन गांधीजी पुणे गए हुए थे। इसलिए उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। लखनऊ में 26 से 30 दिसंबर 1916 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां वार्षिक अधिवेशन था। बिहार से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। उसमें भाग लेने के लिए चंपारण से ब्रजकिशोर, रामदयाल साह, गोरख बाबू, हरिवंश सहाय, पीर मोहम्मद मुनीश, संत रावत और राजकुमार शुक्ल भी गए। उनका मकसद चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाना था। वहाँ पहुंचते ही लोकमान्य तिलक से

इस विषय पर बात की, लेकिन लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वराज होने के कारण इस पर ध्यान देने में असमर्था व्यक्त की। मदमोहन मालवीय जी से मिलने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के काम में व्यस्त होने के चलते गांधीजी के पास उन्हें भेज दिया। गांधीजी ने बड़े गौर से उनकी बातें सुनीं और आने का आश्वासन दिया। चम्पारण के किसानों के शोषण पर सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया जिसे पहली बार कॉंग्रेस में जमा अभिजन मध्यमवर्गीय, उच्च शिक्षित लोग सुन रहे थे।

कुछ दिनों बाद वे चंपारण के निकले लेकिन पटना पहुंचते ही गांधीजी को जिले से बाहर जाने की सरकारी नोटिस थमा दी गयी। महात्मा गांधी ने वापस जाने से इंकार कर दिया तो उनपर सरकारी आदेश की नाफरमानी का मुकदमा चलाया गया। गांधीजी ने गिरफ्तार होने की सम्भवना देखते हुए अपने कई सहकारियों की आंदोलन जारी रखने के लिए बुला लिया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल 1917 की सुबह गांधीजी कोर्ट में दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने उनके लिखित बयान में कहा कि उनका उद्देश्य इस मामले में सभी पक्षों से जानकारी लेना है और इससे कानून व्यवस्था के बिगड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने खुद को कानून का पालन करने वाला बताया लेकिन किसानों के प्रश्नों पर काम करना कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कानून की बजाए कर्तव्य व्यवस्था करने की बात की। अपराध मान्य करते हुए उन्होंने जमानत देने से मना कर दिया। 18 अप्रैल को मोतिहारी जिला अदालत में मजिस्ट्रेट जॉर्ज चंद्र ने गांधीजी को 100 रुपये की सुक्ष्म राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जिसे उन्होंने विनप्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। जज और कोर्ट में उपस्थित लोग स्वतंत्र थे और सजा का ऐलान कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। उनकी रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोगों ने विरोध किया और अदालत के बाहर रैलियाँ निकली। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को वापस ले लिया। तीसरे दिन सरकार से सूचना मिली कि गांधीजी पर से धारा 144 हटा ली गई है। उच्चाधिकारियों को आदेश मिला कि वे उनकी पूरी सहायता करें।

उसके बाद गांधीजी गाँवों का दौरा करने लगे। लोकरिया, सिंधार्गारा, मुरलीभरवा, बेलवा आदि गाँवों में मीलों पैदल चलकर ग्रामीणों की व्यथा सुनी। कोठीवालों द्वारा नष्ट किये गए घरों खेतों को देखा। गांधीजी को मिलने वाले समर्थन से कोठीवाले घबराने लगे थे। उन्होंने 20 से 25 हजार आवेदन अपने सहकारियों की मदद से दिनरात लिख कर तैयार किये। इन सहकारियों में डॉ राजेंद्र प्रसाद भी थे। गांधीजी की हिंदी अच्छी न होने के कारण सारा कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा था।

चंपारण में पहुंचते ही वहाँ जातिवाद से उनका समान हुआ। गांधीजी ने उस दौरान गाँवों की निरक्षरता, अज्ञान, अस्वच्छता गरीबी दूर करने के लिए अपने सहकारियों को लेकर भितहरवा, बड़हरवा और मधुबन इन तीन गाँवों में आश्रम की स्थापना की जहाँ पाठशाला भी थी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और डॉक्टरों का बंदोबस्त किया। भारत सेवक समाज की तरफ से डॉ। देव 6 महीने चम्पारण रुके।

# जाति-धर्म के नाम पर बढ़ता उन्माद देश व समाज के लिए घातक



आजकल देश में हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के त्वाहरों का सीजन चल रहा है, कायदे में तो अधिकांश लोगों को कम से कम इस दौर में पूजापाठ इबादत में व्यस्त होना चाहिए था, लोगों के लिए गलत कार्य करने पूर्ण रूप से वर्जित होने चाहिए थे। लेकिन इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के देश के अलग-अलग शहरों में गमनवर्मी व हनुमान जन्मोत्सव के धार्मिक जुलूसों पर पथराव के चलते जबरदस्त ढांग से हंगामा बरपा हुआ है, देश में धर्म पर आधारित राजनीति चंद दिनों में ही अपने अर्थम के चरम पर पहुंच गयी है। हालांकि इन हंगामा बरपाने वाले देशद्रोही लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी शासन-प्रशासन के द्वारा लगातार चल रही है, कहीं पर दंगा फसाद में शामिल लोगों के घरों पर सिस्टम बुलडोजर चलवा रहा है, कहीं इन देशद्रोही लोगों पर एनएसए तक लगाई जा रही है। वैसे देखा जाये तो दिलोदिमाग को बुरी तरह से झकझोर

देने वाली दंगा फसाद की स्थिति देश में ना जाने क्यों अब आयेदिन बनने लग गयी है, यह स्थिति देश के नियम कायदे, कानून व तरक्की पसंद देशभक्त देशवासियों को बहुत ज्यादा चिंतित करने का कार्य कर रही है। क्योंकि यह देशभक्त लोग तो दिन-रात मेहनत करके देश के विकास को एक नयी तेज रफ्तार देने का कार्य करते हैं, वहीं देश के अंदर छिपे हुए बैठे चंद देशद्रोही अराजक तत्व कभी जाति, कभी धर्म, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी शहर, कभी गांव, कभी मोहल्ले, कभी भाषा, कभी वेशभूषा, कभी पहाड़, कभी मैदान, कभी प्रदेश आदि के नाम पर लोगों की बीच मतभेद पैदा करके उनको आपस में लड़वा कर उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात तब होती है जब देश व समाज के हित में आयेदिन मंचों से सार्वजनिक रूप से बड़ी-बड़ी बातें करने वाले पक्ष विपक्ष के चंद राजनेता भी अपने एक

क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन देशद्रोही अराजक तत्वों को पूरा संरक्षण देने का कार्य करते हैं। आज के समय में सभ्य समाज के लोगों के सामने विचारणीय प्रश्न यह है कि देश में जिस तरह से दिन-प्रतिदिन तेजी के साथ ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि बिना सिर पैर की बातों को लेकर भी एक ही पल में दंगा फसाद शुरू हो जाता है, वह स्थिति देश व समाज हित के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उस पर तत्काल लगाम लगान की आवश्यकता है। आज समय की मांग है कि देश के विकास की तेज गति को अनवरत बरकरार रखने के लिए देशहित में तत्काल जाति-धर्म के नाम पर होने वाले आयेदिनों के हंगामे, दंगा-फसाद, उन्माद, तुष्टिकरण व धार्मिक कट्टरवाद पर शासन व प्रशासन का सख्ती से नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है?।

हाल के कुछ दिनों में घटित या फिर पूर्व में घटित घटनाओं के समय उत्पन्न हालात का निष्पक्ष रूप से

आंकलन करें, तो देश में अब वह समय आ गया है कि जब केन्द्र व प्रत्येक राज्यों की सरकारों को अपने बोट बैंक की राजनीति को तत्काल त्याग कर लोगों को देश व समाज के हित में नियम कायदे व कानून का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य करना ही होगा, उनको देश में पूर्ण अनुशसित ढंग से रहना सिखाना ही होगा। वैसे भी देश में अब वह समय आ गया है जब सरकार व सिस्टम को लोगों को ध्यान से व पूर्ण सख्ती के साथ जो व्यक्ति जिस भाषा में समझें उसे समझना होगा कि हमारा प्यारा देश संविधान से चलता है ना कि किसी भी जाति या धर्म के धार्मिक ग्रंथ से चलता है, इसलिए जिस व्यक्ति को भी भारत देश में रहना है उसके लिए संविधान के द्वारा तय नियम कायदे कानून व व्यवस्था सर्वोपरि है। देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जीवित हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद का वह कठिन दौर भी देखा था, जब देश में एक छोटी सूर्य से लेकर के पानी के विशाल जहाज तक के लिए हम लोगों को विदेशी देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन गवं की बात यह है कि आज हम लोग अपने पूर्वजों के ज्ञान, अविकार व मेहनत की बदौलत देश में अनगिनत छाटे बड़े प्रोडक्ट का उत्पादन करके देश का नाम दुनिया में रोशन करके अधिकांश में आत्मनिर्भर बन गये हैं। वैसे भी हम लोगों को यह समझना होगा कि देश अपने नीतिनिर्माताओं की बेहद कुशल कारगर रणनीति और दुनिया भर में अपार संभावनाओं से परिपूर्ण विभिन्न अवसरों को हासिल करने के चलते मेहनत के दम पर बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसित हो रहा है, इसलिए इस विकास के पथ पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि दंगा फसाद व अनुशासनहीनता करके विकास के पथ पर व्यवधान उत्पन्न करके सबकी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हैं, सरकार व सिस्टम को ऐसे देशद्रोहियों के मंसूबे को कामयाब होने से रोकना होगा, हम लोगों को भी उनके ज्ञासे में आने से खुद को बचना होगा और देश को भी बचाना होगा। हम लोगों को अपने इतिहास से सबक लेना होगा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक ना जाने कितनी बार देश में चंद लोगों के द्वारा ओछी राजनीति व क्षणिक स्वार्थ के चलते छोटी-छोटी बातों का बतांग बनाकर दंगा फसाद करवाने का कार्य किया है, उनके उक्साके में आकर के चंद लोगों ने अपने ही हाथों एक दूसरे के घरों को जलाने व एक दूसरे की हत्या तक करने का दुस्साहस किया है। वास्तव में देखा जाये तो यह लोग हमारे देश व समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इनके द्वारा दंगा फसाद को अंजाम देकर ना सिर्फ इंसान व इंसानियत की हत्या कराने का जघन्य अपराध किया जाता है, बल्कि इन लोगों की दंगा-फसाद की घटनाओं ने देश के विकास में बार-बार अवरोध उत्पन्न करने का कार्य किया है, इन चंद गलत लोगों की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में देश की छवि खराब होने का कार्य होता है।

वैसे देखा जाये तो देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में जाति-धर्म की आड़ में होने वाले आयोदिन के इन दंगा फसादों ने भारत की बहुत ही शानदार और गौरवशाली बहुलतावादी संस्कृति को बेहद गहरे जख्म देने का कार्य किया है, इन हालातों ने लोगों के बीच एक दूरी बनाकर दीवार खड़ी करने का कार्य

किया है, समाज में लोगों के बीच प्यार-मोहब्बत आपसी भाईचारे व विश्वास को बुरी तरह से छिन-भिन्न करने का कार्य किया है। देश में बहुत तेजी से बढ़ते धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरवाद ने आपसी प्यार-भाईचारे को कम करके लोगों के बीच एक गहरी खाई खोदने का कार्य कर दिया है, जिसको देश व समाज हित में अधिक गहरी होने से तत्काल रोकना होगा, हालात को ठीक रखने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जाति धर्म व बोट बैंक को देखें बिना देश में सभी लोगों को अनुशासन में रहना सिखाने के लिए तत्काल ही ठोस प्रभावी कदम धरातल पर उठाने होंगे।

वैसे भी हम सभी देशवासियों को समय रहते यह समझना होगा कि देश में अमीर-गरीब, जाति-धर्म, भाषा-क्षेत्र आदि जैसे बेहद संकीर्ण आधारों पर आम लोगों को बांटकर उनके बीच विवाद पैदा करने का कार्य कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा अपनी क्षणिक स्वार्थपूर्ति के लिए बेहद चतुराई के साथ किया जा रहा है, इसलिए देश व समाज हित में अब हम लोगों को ऐसे धूर्त लोगों के ज्ञासे में आने से बचना होगा। वैसे देश में जाति-धर्म के नाम पर आये दन बहकावे में आकर दंगा फसाद करने वाले लोगों के लिए कम से कम यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहां पर सभी जाति व सभी धर्मों को एक समान पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन फिर भी धर्म की आड़ लेकर के कुछ संगठन व कुछ लोग आयोदिन लोगों को बरगला कर माहौल खराब करने का कार्य करते रहते हैं, जो कि सरासर ओछी राजनीति से प्रेरित है। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में जिस तरह से अपने-अपने धर्म की आड़ में एक-दूसरे के धर्म के लोगों को चिढ़ाने का कार्य पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है, वह देश की एकता अखंडता के

लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समाज को तोड़ने वाली ऐसी हरकत करने लोगों को यह समझना होगा कि उनकी इस हरकत के चलते धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले तथाकथित ठेकेदार व चंद स्वार्थी राजनेता देश के आम जनमानस के बीच एक बेहद जहरीली विद्वेषपूर्ण मानसिकता का विकास करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि देश व सभ्य समाज दोनों के लिए बेहद घातक है। वैसे भी हम लोगों को समय रहते यह समझना होगा कि सच्चा धर्म हमें अनुशासन में रहकर जीवन जीना सिखाता है, ना कि धर्म के नाम पर दंगा फसाद, अनुशासनहीनता करना सिखाता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों धर्म के नाम पर आयोदिन देश में अधर्म होने लगा है दंगा-फसाद, लूटखोट व निर्दोष लोगों की हत्याएं तक होने लगी हैं। जो धर्म सभी लोगों को जीवन देना सिखाते हैं, अफसोस आये दिन उस धर्म की आड़ लेकर ही धर्म के तथाकथित ठेकेदार व उनके अंधभक्त लोगों की उन्मादी भीड़ के द्वारा अज्ञानी लोगों को उकसा कर मानव व मानवता की हत्याएं बैखौफ होकर करवाने का अपराध किया जा रहा है। वैसे देखा जाये तो पूरी दुनिया में धार्मिक उन्माद व कट्टरवाद अपने पूर्ण चरम पर है, धर्म की ओट लेकर के आये दन अधर्म के कार्य हो रहे हैं, तथाकथित स्वत्रोपित धर्म के ठेकेदार व चंद लोग इंसान व इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं, ऐसे लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है, उस हालात से अब हमारा देश भारत भी अछूता नहीं रहा है। एक तरफ तो हमारा देश भयावह कोराना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंदी का भयंकर प्रकोप है, देश में तेजी से बढ़ती मंहगाई व बेरोजगारी की समस्या की जबरदस्त मार वाला दौर चल रहा है।



# सांप्रदायिकता एक राजनीतिक हथियार बनी हुई है

रोजमर्या की भाषा में, 'सांप्रदायिकता' शब्द धार्मिक पहचान की रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये अपने आप में एक ऐसा रखौया है जो अपने ही समूह को एकमात्र वैध या योग्य समूह के रूप में देखता है, अन्य समूहों को निम्न, नाजायज और विरोध के रूप में देखता है। इस प्रकार सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। सांप्रदायिकता भारत में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह तनाव और हिंसा का एक स्रोत रहा है। सांप्रदायिकता एक ऐसी राजनीति को संदर्भित करती है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के शत्रुतापूर्ण विरोध में एक धार्मिक पहचान के इर्द-गिर्द एकजुट करने का प्रयास करती है। भारत में स्वतंत्रता पूर्व के समय से सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है, अक्सर औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनाई गई फूट डाली और राज करो की नीति के परिणामस्वरूप। लेकिन उपनिवेशवाद ने अंतर-सामुदायिक संघर्षों का आविष्कार नहीं किया और निश्चित रूप से इसे स्वतंत्रता के बाद के दंगों और हत्याओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

भारत में सांप्रदायिकता एक राजनीतिक हथियार बनी हुई है; राजनेताओं ने भारत में गंभीर सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने में खलनायक की भूमिका निभाई है। 1947 में एक विशेष धार्मिक 'समुदाय' के नाम पर भारत के दर्दनाक विभाजन की जड़ में राजनीति थी। लेकिन विभाजन के रूप में भारी कीमत चुकाने के बाद भी, उसके बाद हुए कई दंगों में, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों की भागीदारी पा सकते हैं। इसके साथ ही बोट बैंक के लिए तुशीकरण की नीति, समुदाय, संप्रदाय, उप-पंथ और जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और चुनाव के समय धार्मिक भावनाओं को भड़काने से सांप्रदायिकता का उदय हुआ। समुदाय को एकजुट करने के लिए, सांप्रदायिकता समुदाय के भीतर के भेदों को दबाती है और अन्य समुदायों के खिलाफ समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विकास की ताकतों ने भारत में सांप्रदायिक कारों पर काबू क्यों नहीं पाया? भले ही भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो लेकिन फिर भी भारतीय समाज के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जो इसकी विविधता के लिए खतरा बनती जा रही हैं। जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी बहुत सारी मजबूरियां पैदा करती हैं, खासकर युवा पीढ़ी के सामने। युवा पीढ़ी के कई लोग जो बेरोजगार हैं और गरीबी की स्थिति में हैं, सांप्रदायिकता जैसी बुराई में शामिल हो जाते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या को और गंभीर



बनाने में बाहरी तत्वों (गैर-सरकारी तत्वों सहित) की भी भूमिका होती है। सोशल मीडिया ने ब्रेक-नेक गति से फर्जी खबरों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि विहास, घृणास्पद संदेशों के प्रचुर आँड़ियो-विजुअल दस्तावेज लगभग तुरंत जनता तक पहुंचाए जाते हैं। हालांकि, अमानवीयता के इन ग्राफिक चित्रणों ने पछतावा नहीं किया है या मन नहीं बदला है; बल्कि, उन्होंने पक्षपात और कठोर रुख को गहरा किया है।

मीडिया नैतिकता और टट्स्थला का पालन करने के बजाय, अधिकांश मीडिया घराने विशेष राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुकाव दिखाते हैं, जो बदले में सामाजिक दरार को चौड़ा करता है। लोग अपने लिए सोचने के लिए सुसज्जित नहीं हैं और इससे वे स्वयं बुरे से अच्छे को अलग करने में सक्षम होने के बजाय आँख बंद करके प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं। बहुसंख्यक समूह अक्सर यह मानता है कि देश की प्रगति में उसका एकमात्र अधिकार है। यह हिंसा के कृत्यों की ओर जाता है जब छोटे समूह प्रगति के बहुसंख्यकवादी विचारों का विरोध करते हैं। इसके विपरीत, अल्पसंख्यक समूह जब भी अपने जीवन के तरीकों को उल्लंघन से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वे अक्सर खुद को राष्ट्र-विरोधी होने के लिए दोषी पाते हैं। यह अक्सर समाज में हिंसा पैदा करता है। हमारे पास धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय या जातीय संघर्ष के उदाहरण हैं जो हमारे इतिहास के लगभग हर चरण में पाए जा सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास धार्मिक बहुलवाद की एक लंबी परंपरा भी है, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से लेकर वास्तविक अंतर-मिश्रण या समन्वयवाद तक है। यह समन्वित विरासत भक्ति और सूफी आंदोलन के भक्ति गीतों और

कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है सांप्रदायिक हिंसा वैचारिक रूप से गठबंधन राजनीतिक दलों के बोट बैंक को मजबूत करती है और समाज में एकजुटता को और बाधित करती है। अनूप नारायण सिंह

छोटे आकार और अपने अनूठे स्वाद के कारण पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान बनाने वाला हाजीपुर का चिनिया केला उचित संरक्षण के अभाव में अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कभी हजारों एकड़ में हाजीपुर में इसकी खेती होती थी जो अब सिमटकर रह गया है बाजारवाद के इस दौर में उचित मार्केटिंग के अभाव में किसानों ने चीनिया केला की खेती करनी छोड़ दी एक जमाना था जब आप पटना के महात्मा गांधी से तु पुल होते हाजीपुर जाते थे तो दूर-दूर तक हजारों एकड़ में आपको केले की खेती नजर आती थी अब पूरा इलाका बीरान नजर आता है महात्मा गांधी से तु के निर्माण होने के बाद सबसे ज्यादा कर फायदा किसी को हुआ था तो वह था हाजीपुर के केला और केला व्यवसायीयों को उनके टोल प्लाजा के पास आते-जाते रुकते वाहनों के यात्रियों के रूप में चीनिया केला को बाजार मिल गया था। वैसे चीनी अकेला की डिमांड देश ही नहीं विदेशों तक में थी। महात्मा गांधी पुल की बदहाली के साथ केला व्यवसायीयों की बदहाली भी शुरू हुई खासकर चिनिया केला बाजार में गुम होने लगा छोटे साइज और सस्ता दर होने के कारण किसानों ने भी चिनिया केला के खेती से मुंह मोड़ना शुरू किया। हाजीपुर का नाम सुनते ही सहसा एक नाम उभरकर जुबान पर आता है..यानि केला। इस क्षेत्र का मालभोग हो या अलपान या फिर चीनिया। इन सभी केलों का अपना स्वाद और अपनी विशेषता है। इस क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति केले के बगानों की स्थिति पर ही निर्भर करती है। केले की खेती किसानों की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु समय-समय पर आई कई प्राकृतिक आपदाओं ने केले के फसल उत्पादकों की कमर ही तोड़ दी है। सरकार द्वारा केला फसल को फसल बीमा में शामिल नहीं किए जाने के कारण क्षेत्र के किसानों को प्रति वर्ष भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। वर्तमान में जिले के जहुआ, सहदुल्लहपुर, सैदपुर गणेश, पानापुर धर्मपुर, कंचनपुर, रजासन, पकौली, भेरोपुर, माइल, दाउद नगर, खिलवत, बिहुपुर, रामदौली, शीतलपुर कमालपुर, अमर, कमोपुर, मधुरापुर, मथुरा, गोखुला, मजलिसपुर, चेचर, कुतुबपुर, मनियापुर आदि गांवों के हजारों हेक्टेयर भूमि पर केले की फसल लहलहाती है। जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में 3250 हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती होती है।

# भारत में गेम चेंजर साबित होगी औषधि केंद्र की स्थापना

हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत हर्ष एवं गर्व का विषय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्वक पारम्परिक औषधि केंद्र यानी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है। आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के जरिये, पारम्परिक औषधि में निहित सम्भावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से उक्त वैश्वक केन्द्र भारत के जामनगर में स्थापित होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 अप्रैल 2022 को रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि यह केंद्र देश के आयुष उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दरअसल कोरोना महामारी के खंडकाल में भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धति ने नागरिकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के क्षेत्र में अपने आप को वैश्वक स्तर पर सिद्ध किया है। बीमारी होने पर इलाज करना तो बाद की बात होती है परंतु बीमारी होने ही नहीं देना भी अपने आप में बीमारी का सबसे बड़ा इलाज माना जाता है। यह चिकित्सकीय कार्य भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सहज रूप से सम्भव बनाया जा सकता है। और, वैसे भी प्राचीन भारत का 'चिकित्सा विज्ञान' बहुत उन्नत था। कुष्ठ रोग का पहिला उल्लेख भारतीय चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत सहिता, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, में वर्णित है। हालांकि, द ऑक्सफोर्ड इन्टर्नेट कम्प्युनियन टू मेडिसिन में कहा गया है कि कुष्ठ रोग का उल्लेख, साथ ही इसका उपचार, अथर्व-वेद (1500-1200 ईसा पूर्व) में वर्णित किया गया था, जो सुश्रुत सहिता से भी पहिले लिखा गया था। सुश्रुत ने मोतियांबिंद के आपेशन और प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति को सदियों पहिले विकसित कर लिया था। रॉयल आस्ट्रेलिया कलेज ऑफ सर्जन्स में लगी सुश्रुत की प्रतिमा शल्य चिकित्सा में उनके योगदान का प्रमाण है।

अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्वक पारम्परिक औषधि केंद्र की स्थापना भारत के सहयोग से भारत में किया जाना (इस औषधि केन्द्र की स्थापना के लिये भारत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा) अपने आप में आभास दिलाता है कि पूरा विश्व ही अब भारतीय पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली पर एक तरह से भरोसा जता रहा है और भारत को यह जिम्मेदारी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली को विश्व के नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसे वैश्वक स्तर पर आगे बढ़ाया जाय। भारत पूरे विश्व के लिए फार्मर्स हब तो पहिले से ही बन चुका है। मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया में दी गई जानकारी के अनुसार पारम्परिक चिकित्सा या लोक चिकित्सा कई जानवर पीढ़ियों द्वारा विकसित वे ज्ञान प्रणालियां होती हैं जिनके प्रयोग से आधुनिक चिकित्सा



प्रणाली से भिन्न तरीके से शारीरिक व मानसिक रोगों की पहचान, रोकथाम, निवारण और इलाज किया जाता है। कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में 80 प्रतिशत तक जनसंख्या प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार में स्थानीय पारम्परिक चिकित्सा पर निर्भर है। अब समय आ गया है कि भारतीय पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली को अपनी गृहभूमि से बाहर निकालकर वैश्वक पहचान दिलाई जाय। इसमें आगे आने वाले समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के सहयोग से स्थापित किए जा रहे वैश्वक पारम्परिक औषधि केंद्र की विशेष भूमिका रहने वाली है। विश्व की प्रमुख पारम्परिक चिकित्सा शैलियों में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पारम्परिक भारतीय एवं प्रेशर चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, प्राचीन ईरानी चिकित्सा, पारम्परिक चीनी चिकित्सा, पारम्परिक कोरियाई चिकित्सा, एक्यूपंकर, मुटी (दक्षिणी अफ्रीकी पारम्परिक चिकित्सा), इफा (पश्चिमी अफ्रीकी पारम्परिक चिकित्सा) और अन्य पारम्परिक अफ्रीकी चिकित्सा शैलियां शामिल हैं। साथ ही, पारम्परिक चिकित्सा के भिन्न क्षेत्रों में जड़ी-बूटी चिकित्सा, नृजाति चिकित्सा विज्ञान (थ्रोमेडिसिन), लोक वानस्पतिकी (ओबोटेनी) और चिकित्सक मानवशास्त्र भी शामिल हैं। वैश्वक पारम्परिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखे जाते समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ऐसे काल में जब पारम्परिक औषधि की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस केन्द्र के जरिये पारम्परिक व आधुनिक चिकित्सा को

जोड़ने और एक स्वस्थ पृथ्वी की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयासों में मदद मिलेगी। भारत, अत्याधुनिक डल्क्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के भारत में स्थापना को लेकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है।

इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक श्री टैड्रेस एडहेनॉम घेरयेसस ने कहा कि यह वास्तव में एक वैश्वक परियोजना है और पारम्परिक औषधि के लिये वैश्वक केन्द्र की स्थापना के जरिये, पारम्परिक चिकित्सा के लिये तथ्यात्मक आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी और सर्वजन के लिये सुरक्षित व कारगर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस समय 107 सदस्य देशों में पारम्परिक एवं पूरक औषधि के लिए राष्ट्रीय सरकारी कार्यालय कार्यरत हैं परंतु वैश्वक पारम्परिक औषधि केंद्र वैश्वक स्तर पर प्रथम केंद्र के रूप में भारत में स्थापित किया जा रहा है। इस नए वैश्वक केन्द्र के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय, क्षेत्रीय व देशीय कार्यालयों एवं अन्य देशों (भारत आदि) में विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे पारम्परिक औषधि सर्बाधित कारों में सामंजस्यता स्थापित की जाएगी। इसी क्रम में, विभिन्न देशों की इस सम्बंध में राष्ट्रीय नीतियों को समर्थन देने और स्वास्थ्य-कल्याण के लिये पारम्परिक औषधि के इस्तेमाल को बढ़ाने के इरादे से तथ्य, डेटा, सततता और नवाचार पर इस केंद्र के माध्यम से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।



वैश्विक स्तर पर एलोपेथी नामक अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति पर पहिले से ही बहुत दबाव है और यह चिकित्सा प्रणाली कई देशों के दूर दराज इलाकों में आज भी उपलब्ध ही नहीं कराई जा सकी है और फिर इस चिकित्सा प्रणाली के नकारात्मक साइड इफेक्ट्स भी बहुत गहरे दिखाई देने लगे हैं। अतः एक प्रकार से तो इस चिकित्सा पद्धति पर लोगों का विश्वास ही कम होता जा रहा है। इसलिए अब पूरे विश्व का भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धति की ओर ध्यान जा रहा है ताकि एलोपेथी नामक अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति पर लगातार बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। भारत पारम्परिक चिकित्सा पद्धति (आयुष) का वैश्विक स्तर पर अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकरण एवं अंतरराष्ट्रीयकरण भी होना चाहिए। उक्त नए केंद्र के भारत में खुल जाने से भारत के आयुष उद्योग को उक्त कार्य करने में आसानी होगी। आज आधुनिक विज्ञान जगत में पारम्परिक औषधि की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है एवं इस्तेमाल में लाई जा रही स्वीकृति प्राप्त औषधि उत्पादों के लगभग 40 प्रतिशत भाग में प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जिसमें जैवविविधता संरक्षण व सततता का महत्व भी रेखांकित होता है। पारम्परिक औषधि को आधुनिक दवाओं में

बदले जाने के कई उदाहरण विश्व भर में मिलते हैं। जैसे भारत में तुलसी, गिलोय, हल्दी, नीम, जामुन और हरबल जैसे उत्पादों को आधुनिक दवाओं के रूप में वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। भारत में तो केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) एवं आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, एवं होम्योपैथी), भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बहुत लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं। यह भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने, उसका विकास करने एवं उसे समन्वन्त करने हेतु एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है और अब वैश्विक पारम्परिक औषधि केंद्र के भारत में ही खुल जाने से भारत के उक्त संस्थानों को अपने कार्य को गति देने में सहायता प्राप्त होगी। भारत का आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धति (आयुष) के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ पहले ही विभिन्न प्रकार की बातचीत कर चुका है और ये भारतीय प्रणालियां दिश्यन पूर्वी एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों, यूरोपीय देशों, लैटिन अमेरिका आदि में औषधीय प्रणाली के रूप में अधिक

लोकप्रिय और स्वीकृत हो रही हैं इसलिए भारत के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर संबंधित देशों में पारंपरिक प्रणालियों को नियमित करने, एकीकृत करने और आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के सामने उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों की पहचान करने के लिए काम प्रारम्भ करेंगे। उक्त के अलावा भारत का आयुष मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य देशों के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने, नियमन ढांचा विकसित करने में भी मदद करेंगे। भारत का आयुष उद्योग 2020-21 में 1820 करोड़ अमेरिकी डॉलर का उद्योग माना गया है जो वर्ष 2014 में केवल 300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। पिछले 7 वर्षों के दौरान आयुष उद्योग 6 गुना आगे बढ़ा है तथा आगे आने वाले वर्षों में और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। भारतीय आयुष उद्योग का भविष्य न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। अब तो वैश्विक पारम्परिक औषधि केंद्र के भारत में ही खुल जाने से भारत का पारम्परिक औषधि केंद्र अब वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित करेगा। वैश्विक स्तर के औषधि केंद्र की भारत में स्थापना अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए।

# अपनी मेहनत व लगन पर विश्वास रखना चाहिए



मजदूर का मतलब हमेशा गरीब से नहीं होता है, मजदूर वह ईकाई है, जो हर सफलता का अभिन्न अंग है, फिर चाहे वो ईंट-गरे में सना इन्सान हो या ऑफिस की फाइल्स के बोझ तले दबा एक कर्मचारी। हर वो इन्सान जो किसी संस्था के लिए काम करता है और बदले में पैसे लेता है, वो मजदूर हैं। मजदूर तुच्छ नहीं है, मजदूर समाज की एक महत्वपूर्ण ईकाई है।

मजदूर वर्ग समाज का एक अभिन्न अंग है। मगर हमारे समाज में मजदूर को हमेशा गरीब ही समझा जाता है। समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता है, समाज को सफलता की ओर ले जाता है। मजदूर वर्ग में वे सभी लोग आते हैं, जो किसी संस्था या निजी तौर पर किसी के लिए काम करते हैं और बदले में मेहनतामा लेते हैं।

ईंट सीमेंट से सना इन्सान हो या दफ्तर में फाइल के बोझ तले बैठा कोई कर्मचारी। इन्हीं सब मजदूर, श्रमिक को सम्मान देने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है।

**80 देशों में 1 मई को राष्ट्रीय छूटी घोषित है:**

1 मई को अंतराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरी दूनिया में मनाया जाता है, ताकि मजदूर एसोसिएशन को बढ़ावा व प्रोत्साहन मिल सके। यूरोप में तो इसे पारंपरिक तौर पर बसंत की छुट्टी घोषित किया गया है। दूनिया के लगभग 80 देशों में इस दिन को राष्ट्रीय छूटी घोषित की

गई है। अमेरिका व कनाडा में मजदूर दिवस सितम्बर महीने के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। भारत में हम इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। मजदूर को मजबूर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है, वह अपने खून पसीने की खाता है। ये ऐसे स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो थोड़े में भी खुश रहते हैं एवं अपनी मेहनत व लगन पर विश्वास रखते हैं इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं होता है। मजदूर दिवस की शुरूआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदूस्तान ने की भारत में श्रमिक दिवस को कामकाजी आदमी व महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। पहली बार भारत में चेन्नई में 1 मई 1923 को मजदूर दिवस मनाया गया था, इसकी शुरूआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदूस्तान ने की थी। इस मौके पर पहली बार भारत में आजादी के पहले लाल झंडा का उपयोग किया गया था। इस पार्टी के लीडर सिंगारावेलु चेतिअर ने इस दिन को मनाने के लिए 2 जगह कार्यक्रम आयोजित किये थे।

**विश्व में विरोध के रूप में मनाया जाता है**

1 मई 1986 को अमेरिका के सभी मजदूर संगठनों ने मिलकर निश्चय किया था कि वे 8 घंटों से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जबकि पहले श्रमिक वर्ग से 10-16 घंटे काम करवाया जाता था, साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। श्रमिक दिवस

को ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विरोध के रूप में मनाया जाता है। कामकाजी पुरुष व महिला अपने अधिकारों व हित की रक्षा के लिए सड़क पर उतरकर जुलूस निकालते हैं। ऐसा करने से श्रमिक दिवस के प्रति लोगों की सामाजिक जागरूकता भी बढ़ती है।

**अधिकारों के लिए प्रदर्शन पर घली थी गोलियां**

अपने अधिकारों को लेकर अनेक संगठनों के मजदूरों ने 4 मई को शिकायों के हेमार्केट में अचानक किसी आदमी के द्वारा बम ब्लास्ट कर दिया गया। वहाँ मौजूद पुलिस ने अधाधुंध गोली बरसायी, जिससे बहुत से मजदूर व आम आदमी की मौत हो गई। इस विरोध का अमेरिका में तुरंत परिणाम नहीं मिला, लेकिन कर्मचारियों व समाजसेवियों की मदद के फलस्वरूप कुछ समय बाद भारत व अन्य देशों में 8 घंटे वाली काम की पद्धति को अपनाया जाने लगा।

**महाराष्ट्र-गुजरात दिवस**

1960 में बम्बई को भाषा के आधार पर 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था, जिससे गुजरात व महाराष्ट्र को 01 मई स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए मई दिवस के दिन महाराष्ट्र दिवस व गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है।

# न्याय का राज सृजन करने वाले हैं 'भगवान परशुराम'

शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत भगवान विष्णु के छठवें अवतार महर्षि भगवान परशुराम का जन्म हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। देश-दुनिया में सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा इस पावन दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान परशुराम का जन्म प्रसिद्ध महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहां हुआ था। सनातन धर्म के विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर व हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम को दुनिया के सात चिरंजीवी पुरुषों में से एक माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में आज के समय में भी भगवान परशुराम पृथ्वी पर मौजूद है, वह चिरंजीवी है। भगवान परशुराम को अन्याय का संहार करके पृथ्वी पर न्याय का सृजन करने वाले न्याय के देवता के रूप में सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा पूजा जाता है। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार, धरती पर जब अन्याय, अधर्म और पापकर्म अपने चरम पर पहुंचा तो उस समय दुष्टों का विनाश करने के लिए ईश्वर ने स्वयं बारंबार अवतार लिया है, भगवान विष्णु ने भी स्वयं भगवान परशुराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्टों का संहार किया था।

भगवान परशुराम को रामभद्र, भार्गव, भृगुण्ठि, जमदग्न्य, भृगुवंशी आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने गुजरात से लेकर केरल तक बाण चलाकर विशाल समुद्र को पीछे हटाकर पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी नव भूमि निर्माण करने का कार्य किया था। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारत के अधिकांश ग्रामों को भगवान परशुराम ने ही बसाया था, इस बजह से वह भार्गव कहलाए। हैहयवंशी राजा सहस्रबाहु अर्जुन का भगवान परशुराम के समय जनता के बीच भय और आतंक था, जनता उसके अत्याचारों से बेहद त्रस्त थी, अहंकार के मद में चूर यह राजा भार्गव आश्रमों के ऋषियों तक को आरोदिन सताया करता था, भगवान परशुराम ने उसके समूल वंश को समाप्त करने का कार्य किया था। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया था। भगवान परशुराम ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हर युग में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। उन्होंने त्रेतायुग में मयादां पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को मिथिलापुरी पहुंच कर अपने संशय के निवारण उपरांत उन्हें वैष्णव धनुष प्रदान किया था। उन्होंने उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम पथार कर वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। सनातन धर्म के प्रकांड विद्वानों के



अनुसार कलियुग में होने वाले भगवान विष्णु के दसवें कल्पिक अवतार में भी भगवान कल्पिक को भी भगवान परशुराम के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम के निदेशनुसार भगवान कल्पिक भगवान शिव की तपस्या करके उनसे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करेंगे और पृथ्वी पर उत्पन्न सभी दुष्टों का संहार करेंगे। भगवान परशुराम इतने न्यायप्रिय थे कि उनके आगमन मात्र से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। भगवान परशुराम को पृथ्वी पर सामाजिक समानता, मानव कल्याण का प्रबल पक्षधर माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब-जब पृथ्वी पर दुष्टों ने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया, तब-तब भगवान ने

स्वयं अवतार लेकर धर्मपूर्वक उन अधर्मियों का विनाश करके मानवता की रक्षा करने का कार्य किया था। भगवान परशुराम इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं, उन्होंने सदैव यह प्रयास किया कि शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञान को सुपात्र व्यक्ति को प्रदान करके मानवता की रक्षा की जाये। भगवान परशुराम ने शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान प्रदान करने के जौ उच्च मापदण्ड स्थापित किए, वह बेहद अनुकरणीय हैं और मानव के कल्याण, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए व न्याय के लिए प्राचीन काल में व आज के आधुनिक काल में भी बेहद प्रमाणिक हैं। मैं सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम को कोटि कोटि नमन बंदन करता हूं।

# संतानोत्पत्ति में बाधक बनते मोबाइल और लैपटॉप



बैडरूम में देर रात तक मोबाइल फोन और लैपटॉप पर कार्य करने से पति-पती के बीच विवाद बढ़ रहे हैं। आधुनिक युग के दम्पति साइको सेक्स डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। शरीर में डाई हाइड्रोक्सी इथाइल अमाइन नामक रसायन का स्तर तेजी से घट रहा है। जिसकी वजह से पुरुष व महिला का हॉमोर्न साइकिल प्रभावित हो रहा है। जो अब बच्चे पैदा करने में मुश्किल खड़ी कर रहा है, संतानोत्पत्ति में बाधक बन रहा है।

इंडियन मेडिकल एजुकेशन के रिसर्च के अनुसार कुदरत ने लड़कियों को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन एवं लड़कों को टेस्टोस्ट्रोन हॉमोर्न तोहफे में दिया है ताकि वो अपनी वंश बेल को आगे बढ़ा सके। मगर बदलती दिनचर्या और आधुनिक उपकरणों की लत के कारण इन होमोर्नेस का स्तर गड़बड़ा रहा है। जिस से आधुनिक दम्पति बैंझपन की समस्या से लड़ रहे हैं। इस से बचने के लिए हमें मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनानी होगी, लगातार शाम को पैदल चलने की आदत बनानी होगी। ऐसा करने से हॉमोर्न स्तर सही रहेगा और दांपत्य में खुशियाँ आएगी।

आंकड़े बताते हैं कि तलाक के मामलों में युवा पीढ़ी आगे है। इसके पीछे मुख्य कारण पति-पती के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता का न होना है। पोन साइट्स दाम्पत्य जीवन में खलल डाल रही है। तलाक के मामलों में नव दम्पति अधिक है। इंटरनेशनल फेडरेशन

के अनुसार विवाह के लिए बेहतर उम्र युवती के लिए 22 और युवक के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। विलम्ब से विवाह विवाद का कारण बनते हैं। ऐसे में सन्तानोत्पत्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है और मानव स्वास्थ्य पर इन उपकरणों द्वारा उत्सर्जित रेडियो-फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स के संभावित खतरनाक प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रारंभिक अध्ययन सेल फोन के उपयोग और बांझपन के बीच एक संभावित लिंक का सुझाव देते हैं। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि सेल फोन का उपयोग शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता, व्यवहार्यता और आकारिकी को कम करके वीर्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पुरुष प्रजनन क्षमता पर मोबाइल फोन के हानिकारक प्रभाव के साक्ष्य अभी भी समान हैं क्योंकि अध्ययनों ने संभावित प्रभावों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का खुलासा किया है, जो मामूली प्रभावों से लेकर वृषण क्षति की परिवर्तनशील डिग्री तक है। हालांकि पिछले अध्ययनों ने पुरुष बैंझपन में सेल फोन के उपयोग की भूमिका का सुझाव दिया था, पुरुष प्रजनन प्रणाली पर सेल फोन से उत्सर्जित ईएमडब्ल्यू की किया का तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं है। रेडियो-फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स एक विशिष्ट प्रभाव, थर्मल आणविक प्रभाव या दोनों के संयोजन के माध्यम से

प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। मानव कामुकता स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण घटक है लेकिन जब मोबाइल और लैपटॉप बेडरूम में रहेंगे तो इनका नशा दम्पतियों के वैवाहिक जीवन पर असर

डालने लगते हैं। नयी टेक्नॉलॉजी के साथ विवादों की घटनाएं लगातार जन्म ले रही हैं। आपत्तिजनक साइटों दाम्पत्य जीवन में खलल पैदा करने लगी हैं। साइको सेक्स डिस्आर्डर पैदा हो रहे हैं। डिस्आर्डर से ग्रसित दम्पतियों के विवादों के कारण हर महीने तलाक हो रहे हैं। यह तलाक नवविवाहित जोड़ों में ज्यादा हैं लेकिन 40 पार दम्पतियों में भी हो रहे हैं। दिन में करीब 4 घंटे तक सेल फोन को सामने की जेब में रखने से भी अपरिपक्व शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यह पुरुषों में उनकी प्रजनन क्षमता को कम करने वाले डीएपए को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओहियो (अमेरिका) के कलीवलैंड किलिनिक फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, सेल फोन के इस्तेमाल से शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता, व्यवहार्यता और सामान्य आकारिकी को कम करके वीर्य की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसके अलावा, कई शोधकाताओं द्वारा यह पाया गया है कि उच्च और मध्यम आय वर्ग के 14 प्रतिशत जोड़ों को गर्भधारण करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल, गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही महिलाओं के लिए सेल फोन रेडिएशन का लगातार संपर्क बहुत हानिकारक माना जाता है।

# माँ ही पहली शिक्षिका, पहला स्कूल

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ये सबसे अच्छी उम्र होती है, क्योंकि वह इस उम्र में सबसे ज्यादा सीखता है। एक बच्चा पांच साल से कम उम्र के घर पर ज्यादातर समय बिताता है और इसलिए वह घर पर जो देखता है, उससे बहुत कुछ सीखता है। छत्रपति शिवाजी को उनकी माँ ने बचपन में नायकों की कई कहानियां सुनाईं और वो बड़े होकर कई लोगों के लिए नायक बने।

## बच्चों का पहला स्कूल घर

घर पर ही एक बच्चा सबसे पहले समाजीकरण सीखता है। एक बच्चा पहले घर पर बहुत कुछ सीखता है। लेकिन आज, चूंकि अधिकांश माता-पिता कमाने वाले हैं, इसलिए वे अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिता पाते हैं। बच्चों को प्ले स्कूलों में भेजा जाता है और अक्सर उनके दादा-दादी द्वारा उनका पालन-पोषण किया जाता है। ये बच्चे उन लोगों की तुलना में नुकसान में हैं जो अपने माता-पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक बच्चा सीखता है कि क्या स्वीकार किया जाता है और क्या स्वीकार नहीं किया जाता है, क्या सही है और क्या नहीं? वो अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता सकते हैं, जिससे उनकी बॉनिंग मजबूत होती है और वो बड़ा होकर एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनता है।

## ऐसी कई कहानियां

हमारे रिशेदार के एक बच्चे को उसके दादा-दादी ने पाला है, क्योंकि उसके माता-पिता अमेरिका में अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। वह बड़ा होकर एक जिद्दी, हीन भावना वाला बच्चा बन गया। आज भी घर प्रथम पाठशाला है और माँ प्रथम शिक्षिका। यहां तक कि एक बच्चे को अपने परिवार और विशेष रूप से माँ के साथ बिताने के लिए थोड़ा सा समय भी उसके प्रभावशाली दिमाग पर बहुत प्रभाव डालता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हृभगवान हर जगह नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने माँ बनाई तो जो व्यक्ति बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो हमेशा एक माँ होती है। बच्चे के लिए माँ का सबसे ज्यादा स्तेह होता है। वो केवल माँ ही नहीं बल्कि बच्चे की पहली शिक्षिका भी होती है। वो बच्चे को जन्म से ही पढ़ाकर स्थायी प्रभाव डालती है। माँ की शिक्षा इंश्वरीय शिक्षा है।

ऐसी कई माताएं हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के प्रति अपने निराले प्यार से अपने बच्चों को हीरो बना दिया है। हाल ही में खबर आई थी कि एक माँ ने अपनी बेटी को घर पर पढ़ाया और वह कभी स्कूल नहीं गई और अब उसे आईआईटी में एडमिशन के लिए बुलाया है।



## माँ: फिर समाज में इतने मुद्दे दर्यों?

पहले दिन से शुरू हुई माँ की शिक्षा और जीवन में माँ का आशीर्वाद होने तक चलते रहें, इसकी जरूरत नहीं है। माँ को शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षित होना चाहिए। माताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मूल्य शिक्षा की कहीं भी बराबरी नहीं की जा सकती। अब सबाल यह उठता है कि अगर हर माँ अपने बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर रही है तो समाज में इतने मुद्दे क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि और भी कई कारक हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और माँ की शिक्षा कभी भी बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं लाती।

मैं यहां, यह कहना चाहूँगी कि एक माँ अपने बच्चे के चेहरे पर पहली मुस्कान देखती है और अपनी शिक्षा और आशीर्वाद से उसे स्थायी बना देती है। मातृत्व की कला बच्चों को जीने की कला सिखाना है। घर बच्चे के समग्र विकास के लिए पहला बिल्डिंग ब्लॉक है और माँ वास्तव में सबसे अद्भुत शिक्षक है।

## आज बच्चों में दृष्टिकोण का अभाव

घर पर, शिक्षाविदों के अलावा, बच्चा अपनी माँ से प्यार, देखभाल, करुणा, सहानुभूति आदि जैसे नैतिक

मूल्यों को सीखता है, जो स्वयं निखार्थ प्रेम और बलिदान की अवतार है।

अपने माता-पिता के साथ बातचीत करके बच्चे के दैनिक अवलोकन के माध्यम से, वह एक दृष्टिकोण / व्यवहार विकसित करता है, जो जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में उसकी सोच, जीने का तरीका, समझ और निर्णय लेने में मदद करता है। आज फास्ट लाइफ के साथ तालमेत बिठाने के लिए माँ-बाप दोनों घर से बाहर काम करने में लगे हुए हैं। माताएं अपने बच्चों को सही समय नहीं दे पाती हैं। पहले तो यह बच्चों की रुचि की उपेक्षा करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन साथ ही यह अनुशासन सिखाता है, आत्म-प्रेरणा उत्पन्न करता है। बच्चों में लंबे समय तक उनके चरित्र निर्माण में मदद करता है। बच्चा पहले के चरण से बदलते परिवेश में समयोजन करना सीखता है। इससे बच्चे भी घर पर अकेले रहते हुए नवोन्मेषी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। बच्चा माँ की शिक्षा को महत्व देता है, अपने चरित्र निर्माण, सम्मान, प्यार और देखभाल को घर पर आकार देता है। माँ दुख में बच्चे की सांत्वना, दुख में आशा और कमजोरी में ताकत और उसके जीवन को आकार देने में सबसे अच्छी शिक्षक है इसलिए आज भी, यह सच है कि घर पर माँ पहले स्थान पर है और बच्चे के पालन-पोषण में पहली शिक्षक भी।